षष्ठम् माला, खण्ड 6, अंक 43, मंगलवार, 2 अगस्त, 1977/11 श्रावण, 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. VI, No. 43, Tuesday, August 2, 1977/Sravana 11, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

[खंड 6 में अंक 41 से 48 तक हैं / *Vol. VI contains Nos.* 41 *to* 48]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 43, मंगलवार, 2 अगस्त, 1977/11 श्रावण, 1899(शक)

No. 43, Tuesday, August 2, 1977/Sravana 11, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS.	
तारांकित प्रश्न संख्या 725 से 729	Starred Questions Nos. 725 to 729 .	1—13
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 730 से 748	Starred Questions Nos. 730 to 748 .	13—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 5690 से 5889	Unstarred Questions Nos. 5690 to 5889	23—128
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	129-130
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
कर्नाटक के दो मंत्रियों द्वारा न्यायपालिका पर कथित प्रभाव डालने के बारे में विधि मंत्री का कथित वक्तव्य	Reported Statement by the Minister of Law about alleged interference with judiciary by two Karnataka Ministers	130
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi .	130
श्री शांति भूषण	Shri Shanti Bhushan .	130
नियम 377 के अधीन सूचनाओं के बारे में—	Re. Notices under Rule 377	132
नियम 377 के अधीन मामले	Matters Under Rule 377 . .	133
(एक) भारी वर्षा के कारण गुजरात में सड़कों तथा पुलों को हुई क्षति	(i) Damage to Railways and Roads in Gujarat due to heavy rains	133
(दो) पंजाब विश्वविद्यालय, के चंडीगढ़ परिसर में गुण्डागर्दी की वारदातें	(ii) Incident of gangsteris in Panjab University Campus, Chandigarh	133
(तीन) मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का परिणाम	(iii) Outcome of Chief Ministers' Conference	133
(चार) पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में बाढ़ की स्थिति	(iv) Flood situation in West Bengal and elsewhere in the country	133

किसी नाम पर अंकित यह †इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(पांच) बनासकांठा (गुजरात) में बाढ़ों से हुई तबाही	(v) Flood Havoc in Banaskantha (Gujarat)	134
रेलवे अभिसमय समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृती	Resolution Re. Constitution of Railway Convention Committee—Adopted	134
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate . .	134
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977	Finance (No. 2) Bill, 1977 . . .	135
राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider amendments . recommended by Rajya Sabha .	135
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	135
श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan . .	138
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee. . .	140
श्री आर० वेंकटारामन	Shri R. Venkataraman . .	141
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta . .	142
श्री एम० एन० गोविंदन नायर	Shri M.N. Govindan Nair .	143
श्री अरविंद बाला पजनौर	Shri A. Bala Pajanor . . .	144
श्री चित्ति बासु	Shri Chitta Basu	144
चौ० बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh . . .	144
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar . . .	144
खण्ड 3, 13, 15, 20, 21 और तीसरी अनुसूची	Clauses 3, 13, 15, 20, 21 and third schedule	145—148
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 20वें, 21वें तथा 22वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Twentieth, Twenty-first and Twenty-second Reports of Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	149
श्री हुकमदेव नारायण यादव	Shri Hukamdeo Narain Yadav .	149
श्रीमती पार्वती देवी	Shrimati Parvati Devi . . .	150
श्री वी० तुलसीराम	Shri V. Tulsiram	150
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion . . .	151
कालाहांडी उड़ीसा में चावल मिलों का बंद होना—	Closure of Rice Mills in Kalahandi . Orissa	151
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo . . .	151
श्री पवित्र मोहन प्रधान	Shri Pabitra Mohan Pradhan .	152
श्री गिरीधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango	152
श्री गणनाथ प्रधान	Shri Gananat Pradhan .	153
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	153

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 2 अगस्त 1977/11 श्रावण, 1899 (शक)
Tuesday, August 2, 1977/Sravana 11, 1899 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Shri Balbir Singh : Mr. Speaker, Sir, I rise on a point of order.

Mr. Speaker : The question of point of order does not arise during the Question Hour.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न में एक गलती थी जो ठीक कर दी गई है।

The Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): The mistake is regretted.

अध्यक्ष महोदय : कार्यालय का कहना है कि शुद्धि स्लिप प्रत्येक सदस्य को दे दी गई है। इसके अलावा इस पर फिर 2 घंटे के वाद-विवाद में चर्चा होगी। अतः मैं अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

Scheduled Caste and Scheduled Tribe persons in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs

*725. **Shri Ram Vilas Paswan:** Will the Minister of Law, Justice and Company Affairs be pleased to state :

(a) the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes appointed in different categories of posts in his Ministry; and

(b) the steps being taken by Government to fill the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) There are 557 persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes appointed in different categories of posts in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs as detailed below:

Category of posts	Persons belonging to Scheduled Castes	Persons belonging to Scheduled Tribes	Total
Group A (Class I) . . .	32	2	34
Group B (Class II)	42	6	48
Group C (Class III)	218	45	263
Group D (Class IV)	180	32	212
TOTAL	472	85	557

(b) We are scrupulously following the instructions issued from time to time by the Department of Personnel and Administrative Reforms for reservation of vacancies in all services/groups in accordance with model rosters prescribed by that Department.

Shri Ram Vilas Paswan: I have asked what is the total number of employees working in the Ministry of law, Justice and Company Affairs in different categories and according to roster what should be the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees working on different categories of posts?

Shri Shanti Bhushan: The Justice Department is concerned with the Home Ministry and employees of Home Ministry work in the Justice Department. The remaining three departments are legal Affairs, Legislative and Company Affairs. Out of the total number of sanctioned posts of 3,579 the number of posts filled up are 3, 312 which consists of 472 of Scheduled Castes and 85 of Scheduled Tribes. Percentage for scheduled castes comes to $14\frac{1}{2}$ as against the reserved percentage of 15 and percentage for scheduled Tribes comes to $2\frac{1}{2}$ as against the reserved percentage of 7.

Shri Ram Vilas Paswan: I had asked what is their percentage in different categories of posts?

Shri Shanti Bhushan: In class I the total number of sanctioned post is 401 out of which 349 posts are filled up. Out of this, on 32 posts, Scheduled Caste employees and on 2 posts Scheduled Tribe employees have been appointed. Thus the percentage for scheduled castes comes to 9.17 i.e. a little above 9 per cent and for scheduled tribes it comes to a little more than half per cent. In Class II, the percentage of scheduled castes comes to a little more than $8\frac{1}{2}$ and for scheduled tribes it is $1\frac{1}{4}$ per cent. In class III, 12 per cent of posts are filled up by scheduled castes and a little more than $2\frac{1}{2}$ per cent by scheduled tribes. In class IV, 24 per cent for scheduled castes and 4.3 per cent for scheduled tribes.

Shri Ram Vilas Paswan: May I know the steps propsed to be taken by Government for filling the quota reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the number of reserved posts desereved so far by Government?

Shri Shanti Bhushan: The new Government assumed office on the 24th March, 1977. Since that Date, to have been making intensive efforts in this direction. During the period of four months from the 24th March to the 24th July, 9 person were appointed against Class I posts. Out of these 9 persons, 2 belong to the Scheduled Castes, which means that 22 per cent posts have gone to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Similarly out of 14 class II posts, 3 posts have gone to the Scheduled Castes, which means 21 per cent posts have gone to them. Scheduled Tribes people could not be appointed againt Class I and Class II posts. However, for Class III posts, Scheduled Tribes people have become available. Out of 69 posts, 9 posts have been filled by the people of Scheduled Tribes, that means. 13 percent of them have been appointed as against the 7 per cent quota reserved for them.

श्री बी० रचैया: : माननीय मंत्री ने जनता सरकार के बनने के बाद के आंकड़े दिये हैं। वास्तव में आंकडे उस समय से दिये जाने चाहिये जब आरक्षण आदेश लागू हुआ था। अतः माननीय मंत्री बतायें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के वास्ते गृह मंत्रालय ने जब इस विभाग को आदेश दिया था तब इन सभी श्रेणियों में कितने कितने आरक्षित पद खाली पड़े थे।

श्री शांति भूषण: जैसा मैंने कहा, कुल, 3,312 कर्मचारी हैं जिनमें अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या 472 है जो कि 14.5 प्रतिशत बैठता है जबकि उनके लिये 15 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया गया है। इस कमी की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अनुसूचित जातियों के लोगों की प्रतिशतता बढ़ाई जाये।

श्री एल के० डोले: सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खाली पड़े आरक्षित पदों को भरने के लिये क्या कदम उठा रही है और यह कोटा कब तक पूरा हो जायेगा।

श्री शांति भूषण : अनुसूचित जनजातियों में विभिन्न पदों के लिये योग्य व्यक्ति नहीं मिलते। इसलिये पद नहीं भरे जाते। हम आरक्षित पदों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिये विज्ञापन दिये गये हैं। लोक सेवा आयोग ने भी कुछ रिक्त स्थानों को भरने के लिये विज्ञापन दिये हैं। अतः हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं।

Shri Keshavrao Dhondge: You could not fill the quota of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services. Will you fill their quota in the Ministry ?

Shri Shanti Bhushan : There is no reserved quota in the Ministry. There is backlog in the services. The overall backlog is not much. It is of course there in certain categories and we are trying to clear it.

There is of course certain difficulties in regard to Scheduled Tribes because persons, qualified to fill class I and II posts, are not available in them.

भारतीय तेल निगम तथा अन्य कम्पनियों द्वारा आयकर की बकाया धनराशि की अदायगी

*726. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला:**
श्री प्रद्युम्न बाल :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन भारतीय तेल निगम की ओर तथा अन्य निकायों की ओर आयकर की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) ये राशियां कब से बकाया हैं और अदायगी न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बात को देखने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं कि इन कम्पनियों द्वारा आयकर की बकाया राशि की अदायगी तत्काल की जाये ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) इन उपक्रमों के संबन्ध में उस अवधि के कुछ आयकर मांगों की न्यायालयों/कर प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत स्थगन आदेशों के कारण अथवा मूल्यांकनों के अन्तिम रूप से पारित होने तक अदायगी नहीं की गयी थी जब ये निजी क्षेत्र में थी। कम्पनियों के ब्यौरे और राशियां सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी हैं। इंडियन आयल कार्पोरेशन लि० सहित अन्य उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनकी ओर से आयकर की कोई बकाया धनराशि नहीं है।

विवरण

क्रमांक	कम्पनी का नाम	आयकर मांग की बकाया धनराशि	समयावधि जिससे मांग संबन्धित है	भुगतान न करने के कारण
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि०	120.00 लाख रुपये (लगभग)	3.23 लाख रुपये वर्ष 1959-60 और 117 लाख रुपये (लगभग) 1962-63 और 1963-64 से संबन्धित हैं।	ये मांगें स्टैन्डर्ड रिफाइनिंग कम्पनी और एस्सो ईस्टर्न इंक से संबन्धित हैं। 3.23 लाख रुपये की वसूली को अपीलेट सहायक आयुक्त के सम्मुख पड़ी अपील के निपटान के लिए अनिर्णीत पड़े होने के कारण

1	2	3	4	5
				रोक दिया गया है। बकाया धन-राशि के लिये उच्च न्यायालय ने वसूली के विरुद्ध तब तक की अवधि के लिए निषेधादेश जारी किया है जब तक कि उक्त पार्टियों द्वारा दायर याचिका का अन्तिम रूप से निपटान नहीं कर दिया जाता।
2.	मैसर्स भारत रिफाइनरीज लि०	15.76 लाख रुपये	1973-74	यह धनराशि बर्माशैल तेल भंडारण तथा वितरण कम्पनी इंडिया लि० से संबन्धित है। इसकी वसूली को आयकर प्राधिकारियों द्वारा अपील के निपटान से संबन्धित अनिर्णीत निर्णय के कारण रोक दिया गया है।
3.	मैसर्स काल्टैक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लि०	74.30 लाख रुपये	5.44 लाख रुपये 1967-68, 1970-71, 1971-72 और 1974-75 से संबन्धित है और 68.86 लाख रु० वर्ष 1974-75 से सम्बन्धित है।	5.44 लाख रु० की मांग काल्टैक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लि० और 68.86 लाख रु० काल्टैक्स (इंडिया) लि० से संबन्धित है। कर प्राधिकारियों द्वारा अपील के अनिर्णीत पड़े रहने के कारण कर की वसूली रोक दी गई है।
4.	बामरलारी एंड कम्पनी लि०	8.00 लाख रु०	3.96 लाख रु० 1961 से 1970 तक की अवधि और 4.04 लाख रु० 1962-1971 तक की अवधि से संबन्धित है।	3.96 लाख रु० की मांग स्टील कन्टेनर्स लि० और 4.04 लाख रु० इंडस्ट्रीयल कन्टेनर्स लि० से संबन्धित है। इन कम्पनियों को बामरलारी एंड कम्पनी लि० में मिला दिया गया है। कर प्राधि-कारियों द्वारा सारी अवधि के लिए कुल देय धनराशि के लिये मांग नोटिस जारी करने और कर निर्धारण को अंतिम रूप दिये जाने से संबन्धित निर्णय के अनिर्णीत पड़े रहने के कारण भुगतान रोक दिया गया है।

Shri Shanker Singh Vaghela: May I know the grounds on which the stays were granted to these public companies and at whose door the blame lies for non-finalisation of the income-tax outstanding for the last 15-16 years?

Shri Hemvati Nandan Bahuguna: No income-tax is outstanding against any public company. Let there be no misunderstanding on this account.

However, the income-tax due from the Hindustan Petroleum Corporation pertains to the period when it had not been taken over by the Government. The then representative of the company is fighting his case. This case is pending before the Appellate Tribunal, which is under Finance Ministry. We are not to pay any arrears of the income-tax.

Shri Shanker Singh Vaghela: Only a paper-entry is to be made for converting the private companies into the public companies. What is causing so much delay in it?

Shri Hemvati Nandan Bahuguna : It is not that only a paper-entry is to be made. The arrears of income-tax are to be deposited into the Coffers of Government from the account of the old company. Esso was a private company upto a certain date. There after it, became a public company. The arrears due from the company upto the date it was a private company, will have to be paid from the account of the old company.

श्री प्रद्युम्न बाल : 8 जुलाई को वित्त मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये एक दस्तावेज में बताया गया है कि भारतीय तेल निगम की ओर 18.10 करोड़ रुपये के आय-कर की बकाया है। माननीय मंत्री कहते हैं कि किसी भी सरकारी तेल कम्पनी पर आयकर की कोई रकम बकाया नहीं है लेकिन वित्त मंत्री जी कहते हैं कि बकाया है। मैं जानना चाहता हूं कि दोनों मंत्रियों में कौन सत्य कह रहा है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मेरे सहयोगी ने क्या कहा है, इसका मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरे सामने वह दस्तावेज नहीं है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूं। मैं पुनः कहता हूं कि भारतीय तेल निगम पर या किसी अन्य सरकारी उपक्रम पर आय-कर का एक पैसा भी बकाया नहीं है।

श्री सोनु सिंह पाटिल : क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि सरकार ने रोकादेश को रद्द कराने के लिये कोई कारगर कदम उठाये हैं और यदि नहीं तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इसका उत्तर वित्त मंत्रालय देगा। मेरा मंत्रालय इस मुकदमे से सम्बन्धित नहीं है।

Shri D.N. Tiwari : May I know whether the Government had realised the income-tax from the private companies from the compensation paid to them at the time of their takeover or will Government now have to pay their income-tax?

Shri H.N. Bahuguna : We have made necessary arrangements. Let there be no worry on that account.

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय मंत्री ने कहा है कि कुछ भी बकाया नहीं है। क्या उन्होंने यह बात पूरे किये गये निर्धारण के आधार पर कही है या उस वर्ष तक के लिये कही है जब तक निर्धारण पूरा हो चुका है क्योंकि बकाया का प्रश्न उस पर निर्भर करता है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कुछ वर्षों के बारे में कुछ मांगें और पूरे किये गये निर्धारण थे। आय-कर अधिकारी ने भारतीय तेल निगम पर एक विशेष वर्ष के लिये लगभग 18 करोड़ रुपये का आय-कर निर्धारित किया है और अधिकरण ने इस आदेश को रद्द करा दिया है।

Conversion of Railway Saloons into Second Class Compartments

***727. Shri Ramji Lal Suman:** Will the Minister of Railways be pleased to state whether Government are converting the saloons into second class compartments; if so, the number of saloons converted so far and those yet to be converted?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : Since the majority of the saloons are timber-bodied, they are not suitable for conversion into regular second class passenger coaches which have to be preferably of the all-steel integral light weight type. However, possibility of converting some of the saloons into tourist coaches is being explored.

Shri Ramji Lal Suman: It is a matter of concern that saloon system is still continuing even after the Janta Party Government into power. When equality is being brought in all spheres, it should be brought in Railways also. The question is whereas Class I Officers of the Railways are entitled to use saloons. The same facility is not available to the Officers of same status and categories in other services. What is the reason behind it? I want to to know whether immediate action will be taken to discontinue all classes and introduce only one class in the Railways ?

Prof. Madhu Dandavate: The hon. Member may be having some misapprehension about the saloons. I have already made a detailed reference about saloons during the discussion on budget. In fact saloons are not mean for the travelling facility of high officers. These are inspection carriages. We have already issued clear instructions that saloons should not be used by General Managers or other high officers for travelling except in the cases of inspection to such places where rest house facilities, catering facilities etc. do not exist.

Secondly the main difficulty is that the saloons are timber built. We want to convert the maximum number of saloons into ordinary coaches. But it is not possible from the safety point of view, because the coaches are generally of all-steel type. The reason behind it that in case of accident great loss is suffered if the coaches are timber-built and that is why steel coaches are built by the Integral Coach Factory. However we are considering the suggestion of converting some of the saloons into tourist coaches. Those tourist coaches will not be for travelling but will be keeping coaches. Saloons will not be used by Officers, Ministers and General Managers unless they are going for inspection.

Shri Ramji Lal Suman : By what time these are likely to be converted ?

Prof. Madhu Dandavate : We have 1001 saloons. We have also suggested that inspection saloons should be connected only with goods trains and passenger trains and this work will be completed by 1977. It has also been decided not to connect them into 34 trains and with the present addition of 26 trains, the total comes 60 trains. As such saloons will not be connected with 60 trains. In 200 trains the use of carriages is being restricted.We hope that by the end of financial year a sufficient number of saloons will be connected into tourist coaches.

Shri Ram Avdesh Singh : Third class was converted into Second Class by the previous Government without providing any additional facilities. Will the present Government abolish the class system in the trains and there will be only one class as Dr. Ram Manohar Lohia used to say. Will there be socialism in trains also. When there will be only one class. Will this Government introduce Janta Trains?

Prof. Madhu Dandavate : At the time of budget I had announced that all new trains from this year will be Janta Trains and new second class compartments will be classless compartments, which will coushions and berths. The new model of that compartment has arrived in Delhi and I wish to take hon. Members to the Delhi Railway Station for inspection of that compartment so that they may see the type of classless trains we are introducing. I wish to assure that all trains in future will be Janta Classless Trains.

श्री के० गोपाल : मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सेलूनों को सेलूनों की बजाय 'निरीक्षण डिब्बे' कहा जाता है। क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि भारतीय रेलों में सभी डिब्बे इस्पात के बने नहीं

शाखा लाइनों पर लकड़ी के डिब्बे भी है। ऐसी स्थिति में क्या सेलूनों को शाखा लाइनों पर इस्तेमाल ने के लिए लकड़ी के डिब्बों में बदला जायेगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक नाम का संबन्ध है, तकनीकी तौर पर भी इन्हें 'निरीक्षण डिब्बे' कहा ता है ।

जहां तक निर्माण सामग्री का संबन्ध है, सुरक्षा के कारणों से तथा अन्य कारणों से नये डिब्बे वल इस्पात के डिब्बे बनाये जायेंगे। सभी विशेषज्ञों की राय है कि दुर्घटना हो जाने पर इस्पात के ब्बे लकड़ी के डिब्बों से अधिक सुरक्षित होते हैं। परन्तु हम उन्हें खराब नहीं करना चाहते। मैं सभा बताने चाहते हूं कि पुराने सेलून चाहे जितने रह जायें, हम एक भी नया सेलून नहीं बनायेंगे। जैसे से सैलून कम होते जायेंगे, उनके स्थान पर नये सैलून नहीं बनाए जायेंगे।

Shri Sataya Deo Singh: The hon. Member has stated that instructions have been sued not to use saloons in a number of trains. The same circular was issued by the previous Government also. But despite that circular saloons were being attached. The on. Minister has stated that saloon will not be used as reserved accommodation at such place where accommodation and catering facilities are available. It should be ensured iat saloons are used only as inspection coaches and that too only for the places where itering and accommodation facilities are not available.

I may also tell the hon. Minister that there are not only timber saloons, but there are eel saloons also, which are termed as paradise of railways.

Shri Madhu Dandavate: It is a suggestion. I will bear it in mind.

एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों के विरुद्ध जांच

*728. **श्री के० कुन्हम्बू** : क्या **क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विदेशी कम्पनियों की जांच की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) तथा (ख) विदेशी कम्पनियों के नामों तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का उल्लेख करता हुआ विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। विवरण-पत्र में केवल उन विदेशी कम्पनियों को ही सम्मिलित नहीं किया गया है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्यरत हैं बल्कि उनको भी जो अपनी भारतीय सहायकों के माध्यम से कार्यरत हैं। इनका सम्बन्ध निर्बन्धनकारी और एकाधिकारिक व्यापार प्रथाओं से हैं, जो एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा देखी जा रही हैं।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	धारा	एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के समक्ष जांच की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	इंडियन एलुमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	10(क)(iv)	जांच अभिवचन स्तर पर है ।
2.	फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	10(क)(iv)	—यथोपरि—

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	वैस्टर्न इंडिया मैच कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	10(क)(i) 10(क)(iv)	जांच अभिवचन के अंतिम स्तर पर है
4.	सीबा गेगी आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई	10(क)(iii)	यथोपरि
5.	एल्कली एंड केमिकल्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	10(क)(i) 10(क)(iv)	जांच अभिवचन के स्तर पर है ।
6.	अशोक लेलेन्ड लिमिटेड, मद्रास	10(क)(iii) 10(क)(iv)	जांच अभिवचन के अंतिम स्तर पर है
7.	एवेरी इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता	10(ख)	जांच अभिवचन के स्तर पर है ।
8.	ब्रिटानिया विस्कुट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	10(क)(iv)	यथोपरि
9.	क्लोराइड इण्डिया लि०, कलकत्ता	10(क)(iv)	यथोपरि
10.	डनलप (इण्डिया) लि०, कलकत्ता	10(क)(i)	यथोपरि
11.	जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	10(क)(iii)	यथोपरि
12.	ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	10(क)(iii)	जांच अभिवचन के अंतिम स्तर पर है।
13.	गैस्ट कीन विलियम्स लि०, कलकत्ता	10(क)(iv)	जांच अभिवचन के स्तर पर है ।
14.	इण्डिया फोइल्स प्रा० लि०, कलकत्ता	10(क)(iv)	यथोपरि
15.	इण्डियन आक्सीजन लि०, कलकत्ता	10(क)(iv)	जांच अभिवचन के अंतिम स्तर पर है।
16.	इण्डिया टायर एण्ड रबड़ कम्पनी (इण्डिया) लि०, बम्बई	10(क)(i)	जांच अभिवचन के स्तर पर है ।
17.	रेकिट एण्ड कालमन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता	10(क)(iv)	यथोपरि
18.	फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इण्डिया प्रा० लि० कलकत्ता	10(क)(i)	यथोपरि
19.	गुडईयर इण्डिया लि०, कलकत्ता	10(क)(i)	यथोपरि
20.	इन्टरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी (इंडिया) प्रा०लि०, बम्बई	10(क)(iv)	यथोपरि
21.	त्रि-सुर इण्डिया प्रा०लि०, बम्बई	10(क)(iv)	यथोपरि
22.	यूनियन कारबाइड इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	10(क)(iv)	यथोपरि
23.	मोटर इण्डस्ट्रीज कम्पनी लि०, बंगलौर	10(क)(iii)	जांच अभिवचन के अंतिम स्तर पर है।
24.	पोलीडोर आफ इण्डिया लि०, बम्बई	10(क)(iii)	यथोपरि
25.	सीमन्स इण्डिया लि०, बम्बई	,,	जांच अभिवचन के स्तर पर है ।
26.	हिटली एड ग्रेशम लिमिटेड	,,	यथोपरि

(1)	(2)	(3)	(4)
27.	माजदा लैम्प कम्पनी लि०, नई दिल्ली	10(क)(iii)	जांच अभिवचन के स्तर पर है।
28.	ग्लैक्सो लैबोरेटरीज (इण्डिया) लि०, बम्बई	,,	यथोपरि
29.	एस्बैस्टोज सीमेंट लि०, नई दिल्ली	10(क)(iv)	यथोपरि
30.	कोलगेट पामोलिव (इंडिया) प्रा०लि०		हवाला अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत आयोग को किया गया था। इन मामलों में जांचें दिल्ली उच्च-न्यायालय के आदेश द्वारा रोक दी गई थीं।
31.	कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन		
32.	कैडबरी फ्रा० (इंडिया) लिमिटेड		

श्री के० कुन्हम्मू: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सूची में दी गई कम्पनियों में से कितनी कम्पनियों के विरुद्ध निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत मामले हैं और वे निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार क्या हैं?

श्री शांति भूषण : मैंने सभा पटल पर जो विवरण रखा है, उसमें 32 कम्पनियों के नाम हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि क्रम संख्या 7, 30, 31 और 32 को छोड़कर जिनके मामले एकाधिकारी व्यापारिक व्यवहार से सम्बन्धित है, अधिकांश मामले निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार के समक्ष हैं। इनका कार्य-वाही आयोग में लम्बित है। यदि माननीय मंत्री निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार का स्वरूप जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए। उस मामले में जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्री के० कुन्हम्मू : इनमें से बहुराष्ट्रीय फर्में कितनी हैं और उन्हें विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अनुरूप लाने के लिए उनकी साम्य पूंजी कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री शांति भूषण : जहां तक साम्य पूंजी का सम्बन्ध है, यह वित्त मंत्रालय का विषय है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

Shri Om Parkash Tyagi: Is the hon. Minister aware that a large amount of foreign exchange is being remitted by the multinationals to foreign countries in the name of profit and it result in great loss to foreign exchange? I want to know whether Government have any proposal for Indianisation of these multinationls and if so the progress made in this regard?

श्री शांति भूषण : निवेदन है कि मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

श्री एम० श्रीकान्तन नायर : इन 32 कम्पनियों में से 29 कम्पनियां एक ही श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं, अर्थात् उनके मामले विचाराधीन हैं। ऐसा लगता है कि एकाधिकार और निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग उन कम्पनियों के इशारे पर नाच रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि ये सब कम्पनियां एक ही स्थिति में क्यों हैं और इनमें से एक भी कम्पनी को अभी तक दोषी क्यों नहीं पाया गया?

श्री शांति भूषण : सूची में केवल उन्हीं कम्पनियों के नाम हैं, जिनके विरुद्ध कार्यवाही लम्बित है। सका कारण यह है कि प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या विदेशी कम्पनियों के विरुद्ध जांच की जा रही है। जहां तक उन मामलों का सम्बन्ध में जिनमें जांच पूरी हो गई है, उनकी सूची भी मेरे पास है। ऐसी कम्पनियों की संख्या 20 है। उनके विरुद्ध आदेश जारी कर दिये गये हैं।

यदि प्रक्रिया जनहित के विरुद्ध होती है तो आयोग "बन्द करने और मनाही" के आदेश जारी करता है जिसके अनुसार उन कम्पनियों को उस कार्य को वन्द करना होता है। ऐसे सभी मामलों में कम्पनियों ने आदेशों को माना। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी कम्पनी ने इसका उल्लंघन किया हो।

Shri Kanwar Lal Gupta: Out of the 32 companies given in the list 3 are monopoly companies. What actions are being taken so as to end the monopoly? Government have stopped the import of Coca-Cola but no arrangement has been made for its alternative. I want to know whether any alternative arrangement will be made to bring an end to these monopoly companies so that people may be able to get the things in public sector or somewhere else?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न यहां नहीं उठता।

श्री कंवर लाल गुप्ता: मेरा यह प्रश्न अवश्य उचित है कि इस पेय के विकल्प के लिए सरकार क्या कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न वाणिज्य मंत्री से पूछा जा सकता था। यदि मंत्री महोदय चाहें तो उत्तर दे सकते हैं वैसे यह प्रश्न यहां नहीं उठता।

श्री ज्योतिर्मय बसु: कैडबरी फ्राई, कालगेट, पामोलिव, पोण्ड्स और कोकाकोला कम्पनियों ने न्यायालय से रोकादेश प्राप्त कर लिए हैं। क्या इन कम्पनियों ने मंत्रालय द्वारा गलत विवरण देने का लाभ उठाया? क्या सरकार इन विवरणों को सही करेगी और तकनीकी कमियों को दूर किया जायेगा जिससे ये कम्पनियां न्यायालयों का दुरुपयोग न कर सकें। और यदि वे वहां जाएं भी तो उन्हें उनसे राहत न मिल सके?

श्री शांति भूषण: एकाधिकार और प्रतिबन्धित व्यापार प्रक्रियायों के सम्बन्ध में आयोग दो प्रकार कार्रवाई कर सकता है। या तो आयोग स्वयं कार्रवाई शुरू करे या सरकार उनके सम्बन्ध में आयोग को सूचित करे। सूची में उल्लिखित इन तीन मामलों के बारे में सरकार ने आयोग को बताया था। जिस मुद्दे को लेकर इन कम्पनियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है उसमें कहा गया है कि आयोग के सम्मुख उल्लेख करने से पहले सरकार को सामान्य न्याय के सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए था तथा आयोग के सामने मामला ले जाने से पहले हमें अपनी सफाई देने का अवसर देना चाहिए था। दिल्ली उच्च न्यायालय अभी भी उस पर विचार कर रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाओं के विचाराधीन रहने तक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

सदस्य द्वारा दिए गए अन्य सुझावों पर विचार किया जाएगा।

डा० हेनरी आस्टिन: क्या इनमें से किसी कम्पनी को जो अधिकतर बहुराष्ट्रीय है जिनके विरुद्ध एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत जांच चल रही है, जांच के दौरान विस्तार की अनुमति दी गई और क्या उन्हें लाभ अपने देश भेजने की अनुमति भी दी गई?

श्री शांति भूषण: लाभ वापिस अपने देश भेजने का विषय भी इस मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है। जहां तक विस्तार का प्रश्न है उसके लिए मुझे समय चाहिए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: इन 32 कम्पनियों के विरुद्ध कब से कार्यवाही चल रही है तथा इनमें से कितने मामले वर्तमान सरकार ने आयोग को सौंपे और कितने भूतपूर्व सरकार ने?

क्या इन्हीं कम्पनियों ने विस्तार, अधिग्रहण और विलय के प्रस्ताव रखे हैं और क्या इन मामलों को भी आयोग को सौंपा गया है?

श्री शान्ति भूषण : इस प्रश्न के लिए मुझे समय चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव : इस लम्बी सूची से लगता है, कि अधिकतर मामले प्रारम्भिक स्थिति में ही हैं। इस विलम्ब के क्या कारण हैं? क्या इसका कारण आयोग के पास अत्यधिक काम का होना है अथवा इन फर्मों को लम्बा समय दिया जा रहा है?

श्री शांति भूषण : इन कम्पनियों के नाम नहीं दिए गये हैं जिनके सम्बन्ध में अन्तिम आदेश दे दिए गये हैं। उनके नाम अलग सूची में दिए गये हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बात को ध्यान में रखा जाए। हम दोनों सूचियों को सभा पटल पर रखना चाहते हैं।

श्री शांति भूषण : मैं इन्हें सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री ए० बाला पजनोरे : मैं यह जानना चाहता हूं कि किन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है और सूची में दी गई कम्पनियां अपना विस्तार कर रही हैं अथवा किसी अन्य तरीके से अपना काम चला रही हैं?

श्री शान्ति भूषण : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है इन कम्पनियों के विरुद्ध जांच चल रही है। जांच के बाद उनके विरुद्ध कारंवाई की जाएगी। जिनके सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई है उनकी एक सूची सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों और आश्रितों की भर्ती के लिए कोटा

*729. **श्री के० मालन्ना** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय ने रेलवे में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती के लिए रेल कर्मचारियों के बच्चों और आश्रितों के लिए कोटा निर्धारित किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० मालन्ना : क्या दुर्घटनाग्रस्त हुए अथवा असम्भावित कष्ट में पड़ने वाले रेल कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार के अवसर दिए जाते हैं अथवा लाभ पहुंचाया जाता है?

प्रो० मधु दण्डवते : सामन्यतः श्रेणी 3 की नियुक्तियां रेलवे सेवा आयोग के द्वारा की जाती हैं और श्रेणी 4 की स्क्रीनिंग समिति द्वारा जहां तक ऐसे मामलों का सम्बन्ध है सहानुभूति स्वरूप इन पर विचार किया जा सकता है। महा प्रबन्धकों को ऐसी मामलों की जांच कर आवश्यक नियुक्तियां करने का अधिकार है। माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रशासन की जानकारी में कोई भी ऐसा मामला लाया गया तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

Shri Kishore Lal: The Children of those employees who require 8-10 years to become adult face great difficulty in getting employment because General Managers can grant exemption only upto 5 years. What arrangement are being made so as to give employment to these children?

Prof. Madhu Dandavate: According to rules that diffculty is there. We are considering this difficulty and necessary changes will be made in the rules.

श्री के० लकप्पा : रेल कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार देने की बात है। उन्हें बड़ी हानि हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन बच्चों के प्रार्थना पत्रों पर क्या आयोग निर्णय देगा या प्रशासनिक स्तर पर ही ये निर्णय लिए जाएंगे जिससे इन अभागे बच्चों को अत्यधिक औपचारिकताओं में जाए बिना नौकरी मिल सके।

प्रो० मधु डण्डवते : यह मूल प्रश्न से जोड़ा जा सकता है। प्रश्न यह था कि क्या रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए कोई कोटा सुरक्षित है अथवा नहीं। यदि ऐसा कर भी दिया जाए तब भी आयोग को उनका मामला भेजना होगा। कोटा रिज़र्व करने की बात पर भी संविधानिक रूप से विचार किया जा रहा है। विधि मंत्रालय से भी इस सम्बन्ध में परामर्श लिया जा रहा है कि इस सुझाव को संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन किए बिना किस प्रकार स्वीकार किया जा सकता है।

Shri Hukam Chand Kchhwai : Hon. Minister has said that there is no reservation for the wards of Railway employees. During railway strike the wards of those railway employees who were opposing the strike and also helping the Government in arresting the striking employees, were given employment in a large number. Railway Minister has announced that all the employees, whose services were terminated, will be taken back. But even today there are thousands of workers who have not been taken back. I can quote several example. Whether any arrangement will be made to give employment to the children of these employees at the time of their being capable to work.

Prof. Madhu Dandawate: At the time of two strikes the old Railway Ministry and the Government decided to fix a quota for the employment of the children of loyal employees. But when they consulted Law Ministry about this they found that it is illegal and against article 14 and 16 of the Constitution. As such I was bad on their fact that they have given employment to loyal workers in the name of compassionate ground. I would like to make it clear that every railway trade Union has put forth the same demand as has been made by the hon. Member. Provisions should be made for a fixed percentage of reservation in the recruitments in railways for the sons of railway labours and employees. I would like to assure that we are trying to remove the hinderances, if any, in the railway rules and regulation. But we can not ignore the law and the rules. We shall try to give them this facility in a proper manner.

The hon. Member has stated that thousands of such railway employees have not been taken back in services who were removed from services during the railway strike. All the Unions have intimated that nearly all the employees have been reinstated who participated in the 1974 railway strike. But if any Union will intimate to me that those employees have not been reinstated in accordance with the orders issued, those employees will be taken back in services.

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : रेलवे हड़ताल के कारण नौकरियों से निकाले गये अनेक नैमित्तिक कर्मचारी काम पर वापस ले लिए गए हैं। लेकिन उन्हें उनकी वरीयता नहीं दी गई है जिसके कि वे पात्र हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि उनका विचार सर्व प्रथम उत्पीड़ित नैमित्तिक कर्मचारियों, जिन्हें नौकरी पर बहाल कर लिया गया है और नये भर्ती किए गए ऐसे कर्मचारियों के बीच पारस्परिक वरीयता निर्धारित करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है। दूसरे जब आप रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को रेलवे की नौकरियों के मामले में प्राथमिकता देने की बातें कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि नई भर्ती करने से पहले वहां नमित्तिक और अस्थाई मजदूरों को—जो नैमित्तिक मजदूर के रूप में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं—नियुक्तियों को प्रथम प्राथमिकता दी जायेगी ?

प्रो० मधु दंडवते : माननीय सदस्या के प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि श्रीमती पार्वती कृष्णन अन्त तक हमारे साथ रही हैं फिर भी उनके दल के नेताओं ने विश्वासघात किया (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय, आवेश में आये बिना ही मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी ने यहां छुप कर कटाक्ष किया कि मुझे महिला सदस्य से अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने महिला सदस्य के साथ उचित व्यवहार किया है। मैंने तो केवल इतना ही कहा कि श्रीमती पार्वती कृष्णन संग्राम में अन्त तक हमारे साथ रही थीं। उनके कुछेक नेताओं ने यह सलाह दी कि क्षेत्र-वार हड़ताल वापस ले ली जानी चाहिए। मैं जानता हूं वह इस विशेष सलाह से सहमत नहीं थीं। **(व्यवधान)**

श्रीमती पार्वती कृष्णन : **

प्रो० मधु दण्डवते: **

अध्यक्ष महोदय : माननीया सदस्या के वाक्य और ना ही मंत्री महोदय के वाक्य कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किए जायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

श्रमिकों द्वारा भारतीय तेल निगम की डिब्बा फैक्टरी चलाया जाना

*730. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन्** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में भारतीय तेल निगम से सम्बद्ध डिब्बा फैक्टरी के छंटनी किये गये मजदूरों को पेशकश की गई है कि वे उक्त फैक्टरी को स्वयं चलायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारी पेशकश मानने को सहमत हो गये हैं ; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) उक्त डिब्बा फैक्टरी को उसके बही-मूल्य पर भूतपूर्व कर्मचारियों को बेचने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव किया गया है।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इन, भूतपूर्व कर्मचारियों ने कुछ और ब्यौरों की मांग की थी जिनको प्रस्तुत करने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन को सलाह दी गई है। इस मामले पर इंडियन आयल कारपोरेशन और इन भूतपूर्व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्श हो रहा है और ऐसी आशा की जाती है कि इसको विचार-विमर्श के बाद अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

अधिक दोमंजिली रेलगाड़ियां चलाना

*731. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में शीघ्र ही अधिक दोमंजिली रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में ऐसी कितनी रेलगाड़ियां चलाई जायेंगी तथा उन्हें किन मार्गों पर चलाया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) जी हां।

(ख) एक प्रोटो-टाइप डबल डेकर कोच बनाया गया है और आजकल वह 311/312 मद्रास जोलारपेट्टे एक्सप्रेस में चल रहा है। 12 और डबल डेकर कोच बनाने के लिए सवारी डिब्बा कारखाने को आर्डर दे दिया गया है। ये डिब्बे चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक जहां तक सम्भव होगा कम दूरी की गाड़ियों में चलाये जायेंगे। ये डिब्बे किन मार्गों पर चलाये जायेंगे, इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

**पीठासीन अधिकारी के आदेश से सभा की कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किए गये।
Not Recorded.

Huge Foreign Exchange Remitteance by the Foreign Drug Companies

732. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** will be pleased to state:

(a) whether foreign drug companies functioning in India remit huge amount of money in the form of foreign exchange to their countries every year;

(b) if so, whether Government have information as to how much amount has been remitted during the last three years and to which country this amount has been remitted; and

(c) the action taken by Government to remedy the situation?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) (a) and (b) : A statement showing the names of the foreign drug manu acturing companies with foreign equity more than 40% amounts remitted abroad as dividends/profit/Noyalty/ technical fee etc. during 1973; 1974 and 1975 and the names of the countries to which remitted is attached.

(c) The Activities of the foreign companies including those operating in the drug industry are regulated under the provisions of FERA, 1973 and guidelines issued to administer Section 29 of this Act.

The Hathi Committee in their report on the Drugs and Pharmaceuttical Industry have made various recommendations on the future of foreign drug firms. An early decision is expected to be taken in these recommendations.

STATEMENT

(Rs. Lakhs)

Sl. No.	Name of the firm	Amount remitted as Dividends/Profits/ Royalty etc.	Country to which remitted
1	2	3	4
1.	M/s. Abbot Labs (I) Pvt. Ltd.	14.86 (1973) 4.25 (1974) 3.63 (1975)	U.S.A.
2.	M/s. Anglo French Drug Co.	0.58 (1973) 0.59 (1974) 0.59 (1975)	Switzerland
3.	M/s. Alkali & Chem Corporation of (I) Limited.	Nil (1973) 25.91 (1974) 21.88 (1975)	U.K.
4.	M/s. Bayer (I) Limited	31.37 (1973) 1.41 (1974) 59.19 (1975)	West Germany
5.	M/s. Beecham (I) Pvt. Limited	2.67 (1973) 2.67 (1974) Nil (1975)	U.K.
6.	M/s Boehringer Knoll Limited	2.20 (1973) 1.73 (1974) 2.18 (1975)	West Germany
7.	M/s. Boots Co. (I) Limited	1.44 (1973) 4.38 (1974) 4.73 (1975)	U.K.

1	2	3	4
8.	M/s. Burroughs Wellcome & Co. . .	11.14 (1973) Nil (1974) Nil (1975)	U.K.
9.	M/s. Ciba Geigy .	48.21 (1973) 15.02 (1974) 24.54 (1975)	Switzerland
10.	M/s. Cyanamid (I) Limited .	35.65 (1973) 16.23 (1974) 1.35 (1975)	U.S.A.
11.	M/s. E. Merok (I) Limited .	2.19 (1973) 0.32 (1974) 2.40 (1975)	West Germany
12.	M/s. Glaxo Labs Limited	98. 7 (1973) 188.18 (1974) 59.00 (1975)	U.K.
13.	M/s. Johnson & Johnson	7.02 (1973) Nil (1974) 4.81 (1975)	U.S.A.
14.	M/s. May & Baker Limited . .	Nil (1973) Nil (1974) Nil (1975)	U.K.
15.	M/s. Merck Sharp & Dhome of (I) Ltd.	10.85 (1973) 9.63 (1974) Nil (1975)	U.S.A.
16.	M/s. Parke Davis (I) Limited	23.75 (1973) Nil (1974) Nil (1975)	U.S.A.
17.	M/s. Pfizer (I) Limited	68.63 (1973) 34.21 (1974) Nil (1975)	U.S.A.
18.	M/s. Richardson Hindustan Ltd. . .	4.39 (1973) 4.65 (1975) 5.58 (1974)	U.S.A.
19.	M/s. Roche Products Limited . .	16.53 (1973) 16.53 (1974) 8.59 (1975)	Switzerland
20.	M/s. Sandoz (I) Limited . .	9.90 (1973) 1.52 (1974) 9.15 (1975)	Switzerland
21.	M/s. Searle (I) Limited . .	Nil (1973) Nil (1974) 10.10 (1975) (in respect of 1973&1974)	U.S.A.
22.	M/s. Smith Kline & French . . .	18.01 (1973) Nil (1974) Nil (1975)	U.K.

1	2	3	4
23.	M/s. Hyeth Lab. Limited .	Nil (1973) 8.24 (1974) 4.45 (1975)	USA
24.	M/s. C.W. Gawnrick Co. (I) Limited .	Nil (1973) Nil (1974) Nil (1975)	USA
25.	M/s C.E. Pulford Limited . . .	0.75 (1973) Nil (1974) Nil (1975)	USA
26.	M/s Cooper Labs . .	Nil (1973) Nil(1974) Nil (1975)	USA
27.	M/s Ethnor Limited . .	Nil (1973) Nil (1974) Nil (1975)	USA
28.	M/s. Nicholas of (India) Limited . .	7.55 (1973) Nil (1974) Nil (1975)	U.K.
29.	M/s. Indian Schering Limited .	3.95 (1973) 1.97 (1974) Nil (1975)	U.K.
30.	M/s. Roussol Pharm. Limited	Nil (1973) 0.33 (1974) 0.19 (1975)	France/ West Germany
31.	M/s John Wyoth Prothers .	Nil (1973) Nil (1974) 30.00 (1975) (As profits)	U.K.
32.	M/s Curewel (I) Limited	Nil (1973) Nil (1974) 0.79 (1975) (Repayment of loan and interest)	Belgium
33.	M/s Geoffery Manners & Company	9.82 (1973) 10.05 (1974) 6.03 (1975)	USA
34.	M/s Hoechst Pharm. Limited	23.19 (1973) 16.49 (1974) 21.00 (1975)	West Germany
35.	M/s Organon (I) Ltd.	3.81 (1973) Nil (1974) 4.29 (1975)	Holland
36.	M/s Suhrid Geigp Limited	Nil (1973) 18.43 (1974) 0.48 (1975) 2.67	Switzerland
37.	M/s Synbiotics Limited	Nil (1973) Nil (1974) 1.34 (1975)	USA

1	2	3	4
38.	M/s Uni-Sankyo Limited	Nil (1973) 0.35 (1974) 0.14 (1975)	Japan
39.	M/s Mander Limited .	0.94 (1973) Nil (1974) 1.30 (1975)	Switzerland
40.	M/s Merner Hindustan Limited	9.87 (1973) 7.75 (1174) 7.13 (1975)	USA
41.	M/s Mhiffens (I) Limited	Nil (1973) 0.03 (1974) Nil (1975)	U.K.
42.	M/s Gartar Wallace & Co.	Nil (1973) 0.14 (1974) 1.10 (1975)	USA
43.	M/s U.S. Vitamins & Pharm. Ltd.	0.25 (1973) Nil (1974) 0.25 (1975)	USA

रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के लिये की गई कार्यवाही

*733. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक सभा में रेलवे बजट पर वाद विवाद के दौरान रेल मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसरण में रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): रेलों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के आधार पर रेलवे बोर्ड का मोटे तौर पर पुनर्गठन करने का विनिश्चय किया गया है। अभी ब्यौरा तैयार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में डेस्क आफिसर प्रणाली के कारण पदोन्नतियां रुक जाना

*734. **श्री लालजी भाई** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय में डेस्क आफिसर प्रणाली कब से लागू की गई है;

(ख) क्या इस योजना के कारण उनके मंत्रालय में सहायकों समूचे उच्च श्रेणी लिपिक संवर्ग, अवर श्रेणी लिपिकों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर समाप्त हो गये हैं, और

(ग) क्या अधिकांश लोगों के हित में इस योजना को समाप्त कर देने का विचार है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) 20 मई, 1975 से।

(ख) जी हाँ, केवल उच्च श्रेणी लिपिकों और निम्न श्रेणी लिपिकों के मामले में कुछ हद तक ऐसा हुआ है।

(ग) जी नहीं।

रेल विद्युतीकरण के लिए नियत धनराशि में वृद्धि

*735. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रेलवे के कुल पूंजीनिवेश में से कितने प्रतिशत धनराशि रेल विद्युतीकरण के लिये नियत की गई है; और

(ख) क्या ऊर्जा के संकट के कारण रेल मंत्रालय इस प्रतिशतता में वृद्धि करेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) चौथी योजना के दौरान, रेलवे विद्युतीकरण पर निवेश रेलों के कुल निवेश का 4.9 प्रतिशत रहा, पांचवीं योजना में यह प्रतिशत लगभग 4.7 प्रतिशत रहा है।

(ख) पांचवीं योजना में रेलवे विद्युतीकरण के लिए निधि का आबंटन सभी सम्बद्ध तथ्यों, जिनमें ऊर्जा संकट भी शामिल है, को ध्यान में रख कर किया गया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम में कच्चे तेल का उत्पादन

*736. **श्री निहार लास्कर** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विचार चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्वी अंचल में आसाम से कच्चे तेल का अपना उत्पादन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो कच्चे तेल के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा चालू वर्ष में आसाम राज्य विद्युत् मंडल को गैस की सप्लाई करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक किया जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान, 1.16 मिलियन मी० टन कच्चे तेल के हुए उत्पादन की तुलना में, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की वर्ष 1977-78 के दौरान लगभग 1.42 मिलियन मी० टन कच्चे तेल के उत्पादन करने की योजना है।

(ग) जी, हां। गैस की सप्लाई वर्ष 1978 के अन्त तक असम राज्य विद्युत् बोर्ड के नए विद्युत् संयंत्र के स्थापित हो जाने पर आरम्भ हो जायेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कांग्रेस नेताओं द्वारा चुनाव में सरकारी उपक्रम के वाहनों का ज्ञापन

*737. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेव** : **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जून, 1977 को गृह मंत्री को सम्बोधित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (नांगल यूनिट) नया नांगल के वाहनों का प्रयोग लोक सभा तथा विधान सभा दोनों ही के चुनावों में यात्राओं को सरकारी यात्रा बताकर करने के बारे में उल्लेख किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) 14-6-77 को गृह मंत्री को भेजे गए कथित ज्ञापन की गृह मंत्रालय को जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अशोधित तेल निकालते समय गैस की बरबादी

*738. श्री जी० एस० बनतवाला : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में जबकि गैस की कमी है कुबला क्षेत्र और बम्बई हाई में अशोधित तेल निकालते समय बड़ी मात्रा में गैस जलने दी जाती है; और

(ख) उत्पादित गैस के पूरे और उचित उपयोग तथा उसकी बरबादी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। तथापि, प्रश्न में "कुबला" क्षेत्र का संदर्भ समझ में नहीं आया है।

(ख) गैस को बम्बई हाई से बरास्ता उत्तर बसीन, जहां पर एक तटीय टर्मीनल स्थापित किया जायेगा, युरान तक ले जाने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं। इस पाइपलाइन के मई, 1978 के अन्त तक बिछ जाने की संभावना है। इससे गैस का समुचित ढंग से प्रयोग किया जाना सुनिश्चित हो जायेगा।

Delivery of Goods Fraudulently at wrong Destination

*739. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether in many cases goods booked through the Railways are sent to a place other than the place of destination fraudulently; and

(b) if so, the number of persons apprehended in this connection during the last three years and the action being taken against them?

Minister for Railways tProf. Madhu Dandavate): (a) and (b) : Number of cases in which goods were fraudulently diverted during the last three years was:—

Year	Number of cases
1974-75	22
1975-76	36
1976-77	10
Total:	68

In view of the fact that the daily average loading of wagons on Indian Railways was 26,667 in 1974-75, 28,378 in 1975-76 and 31,421 in 1976-77, these cases cannot be considered abnormal.

During the same period 43 railway staff and 60 outsiders were found to be involved. Action commensurate with the gravity of offences committed has been taken by the Zonal Railways against the railway staff involved. As for the outsiders, Police Department have taken necessary action.

यूरिया उर्वरक कारखाना लगाने के लिए श्री लंका को दिया गया ऋण

*740. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरिया कारखाना स्थापित करने के लिए श्री लंका को ऋण दिया है : और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी हाँ। श्री लंका में यूरिया संयंत्र की स्थापना करने के संबंध में विदेशी मुद्रा लागत के वित्तीय अंश की सहायता करने के लिए 10 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था करते हुए भारत सरकार और श्री लंका सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। ऋण केवल भारतीय फर्मों से सेवाएं प्राप्त करने तथा उनके प्रदाय के लिए ही प्रयोग में लाया जाएगा।

कृषि उत्पादन के लिए हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड लिमिटेड द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाएं

*741. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन में सहायता करने के लिये हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइडस लिमिटेड ने कोई परियोजना आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तथा (ख) : जी हां। हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रायोजनाओं की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :--

प्रायोजना का नाम	क्षमता (मी० टन/प्रतिवर्ष)	स्थान	चालू होने की संभावित तिथि
1	2	3	4
मालाथियोन	1800	रसायनी	1980 के आरम्भ में
डी० डी० टी०	5000	रसायनी	1980 के आरम्भ में
इन्डोसूलफेन	1600	अल्वाय	1980 के आरम्भ में
बी० एच० सी० ग्रेन्यूलेशन	6600	--वही--	तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
डिसोफोल	150	दिल्ली	अगले वर्ष
मैथोक्सीक्लोर	5	दिल्ली	अगले वर्ष

हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड अपने तकनीकी सामग्री के उत्पादन का 50 प्रतिशत तक इडोसूलफन और मालाथियोन अपने तकनीकी सामग्री के उत्पादन का 100 प्रतिशत तक डी० डी० टी०

के सूत्रयोग तैयार करने के लिए भी संयंत्रों को स्थापित कर रही है। इन्डोसूलफैन और मालेथियोन के लिए उनके सूत्रयोग संयंत्रों की क्रमशः 1977 के अन्त तक और सितम्बर, 1978 तक पूरे होने की सम्भावना है; उनके डी० डी० टी० सूत्रयोग संयंत्र की नवम्बर, 1978 तक तैयार होने की सम्भावना है।

Conversion of Lucknow Bareilly Metre Gauge Line into Broad Gauge Line

***742. Shri Ram Lal Rahi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to convert Lucknow-Bareilly metre gauge line into broad guage line;

(b) if so, the action taken so far in this regard; and

(c) the estimated expenditure on the conversion thereof?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) The proposal for the conversion of Lucknow-Bareilly line to broad guage is not under consideration at present due to lack of resources.

(b) and (c) : Do not arise.

गोमो स्टेशन पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित करना

*743. **श्री सुमर गुह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (जनवरी) 1941 में बिहार के गोमो स्टेशन से फन्टियर मेल में चढ़े थे जो उनका भारत से, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, बाहर निकलने का मार्ग था;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल मंत्रालय का विचार गोमो स्टेशन पर भारत के क्रान्तिकारी यात्री की ऐतिहासिक यात्रा की विवरण पट्टिका सहित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने का है जो भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिये विदेश गये थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) यद्यपि रेल प्रशासन के पास ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। लेकिन नेताजी सुभाष स्मारक समिति ने इस घटना के बारे में सूचित किया है।

(ख) और (ग) नेताजी सुभाष स्मारक समिति को, गोमो स्टेशन के परिचालन क्षेत्र में समिति के खर्च पर नेताजी सुभाष की मूर्ति को स्थापित करने के लिए, 1968 में अनुमति प्रदान की गयी थी। लेकिन समिति द्वारा इसके उपरान्त कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

Employees of Railway Workshop Retired, Suspended and Promotion with held during Emergency

***744 Shri Jagdambi Prasad Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of employees in other Railways along with the employees in Jamalpur Workshop suspended or whose promotions were withheld during the emergency and the number of those employees out of them, who have been reinstated as also the number of those who have not been reinstated so far and the reasons therefor?

Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): A total of 13380 Railway Employees, including 38 of Jamalpur Workshops, were suspended during the period of Emergency. Out of these 11523 have been reinstated leaving a balance of 1857 due to various reasons, e.g:

(i) employees being prosecuted on charges of theft of railway property or other criminal charges;

(ii) removed/dismissed from service;

(iii) disciplinary proceedings pending against them;

(iv) not interested in service, etc.

The promotion of 23 employees was withheld as a punishment under the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968.

फर्टिलाईजर्स एंड कैमिकल्स ऑफ ट्रावनकोर लिमिटेड लिकफेज II की त्रुटियों का अध्ययन

*745. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाईजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर कोचीन फेज II की त्रुटियों का अध्ययन पूरा हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(ग) किन-किन फर्मों ने अध्ययन किया और उनको कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) कोचीन चरण दो की त्रुटियों में सुधार और उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और संयंत्र के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) फैक्ट की कोचीन फेज II परियोजना के तीन मुख्य संयंत्र हैं अर्थात् :—

(1) सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र;

(2) फास्फेटिक एसिड संयंत्र ; और

(3) एन० पी० कें० संयंत्र।

सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र और फास फोरिक एसिड संयंत्र सफलतापूर्वक चालू हो गए हैं तथा इस समय सन्तोषजनक कार्य कर रहे हैं। कम्पनी एन० पी० के० 28 : 28 : 0 और 18 : 46 : 0 सूत्रयोगों के निर्माण करने के लिए एन० पी० के० संयंत्र को भी सफलता पूर्वक चला सकी है। तथापि, एन० पी० के० 17 : 17 : 17 सूत्रयोगों के निर्माण के लिए संयंत्र को सफलतापूर्वक चलाने में कुछ कठिनाई महसूस की गई थी। कम्पनी ने विदेशी सहयोगियों अर्थात् यू० एस० ए० की मैसर्स डैवी पावर गैस कम्पनी से विशेषज्ञ सलाह ली है और जो संशोधन आवश्यक समझे गये हैं उन्हे किया जा रहा है। विदेशी सहयोगियों के साथ तकनीकी समझौते की शर्तों के अनुसार फैक्ट को अपनी प्रार्थना पर उनके प्रवासी विशेषज्ञों के लिए ही केवल खर्चा बर्दाश्त करना है।

Child Marriage Act and Anti-Dowry Act

***746. Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Child Marriage Act and Anti Dowry Act have so far proved to be ineffective and both the social evils are still prevalent; and

(b) whether Government propose to make amendments in the existing Acts for recognising the said two offences as cognizable offences?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) & (b) The Government are aware that the Child Marriage Restraint Act and the Dowry Prohibition Act have not proved quite effective in eradicating child marriages and dowry. Proposals to amend these Acts including the question of making the offences thereunder cognizable are under consideration.

वेस्ट कोस्ट कोंकण रेलवे लाइन का बिछाया जाना

***747. श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैस्ट कोस्ट कोंकण रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : कोंकण लाइन के निर्माण के प्रश्न पर रेल मंत्रालय ने योजना आयोग से बात-चीत की है और उनकी अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है।

बालक दत्तक-ग्रहण विधेयक

***748. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

श्री सुखेन्द्र सिंह :

क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय समाज कल्याण परिषद् ने सरकार से अनुरोध किया है कि बालक दत्तक-ग्रहण विधेयक को तुरन्त पारित करने के प्रश्न पर विचार किया जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण): (क) जी हां।

(ख) सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।

रेल कर्मचारियों द्वारा सरकारी दस्तावेजों की चोरी

5690. श्री बटेश्वर हेमरम : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि कुछ बेईमान रेल कर्मचारी व्यवस्थित ढंग से सरकारी दस्तावेज़ों की चोरी करके उन्हें रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रैक्ट सोसाइटी लिमिटड, इलाहाबाद के सचिव को बेच रहे हैं जो उनकी फोटोस्टैट कापियों का प्रयोग अन्य लेबर-कोआपरेटिव सोसाइटियों तथा व्यक्तियों को डरा धमका कर लाभ उठाने के लिए करते हैं ;

(ख) क्या सरकारी गोपनीय बातों तथा दस्तावेज़ों का संग्रह करने हेतु सोसाइटी द्वारा कुछ सेवानिवृत्त रेल अधिकारियों तथा रेल कर्मचारियों के पुत्रों तथा सम्बन्धियों को नियोजित किया गया है ;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच के आदेश दिए गए हैं ; और (घ) यदि हां तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) :

(क) यह बात सत्य नहीं है कुछ कि रेल कर्मचारी नियमित रूप से सरकारी दस्तावेजों की चोरी करके उन्हें रेलवे स्टेशन पोर्टर्स को-ग्रापरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी लि०, इलाहाबाद के सचिव को बेच देते हैं। लेकिन, हाल ही में दो एक जैसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह कहा गया है कि रेल कर्मचारियो द्वारा सरकारी दस्तावेंजों की प्राप्तियां उक्त सोसाइटी को दें दी गई हैं।

(ख) एक प्रधान लिपिक (वाणिज्य) का पुत्र तथा एक सेवानिवृत्त सांख्यकीय अधिकारी उक्त सोसाइटी में काम कर रहे हैं। सरकारी भेद और दस्तावेज एकत्रित करने का इरादा सिद्ध नहीं हो सका है।

(ग) जी हां।

(घ) रेलवे स्टेशन पोर्टर्स को-ग्रापरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी लिमिटेड, इलाहाबाद के सचिव को गुप्त दस्तावेज देने के संबंध में लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं।

राय गडा टाउन के रेल फाटक पर ऊपरीपुल

5691. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को रायगडा टाउन (दक्षिण पूर्व रेलवे) के रेल फाटक पर ऊपरीपुल के निर्माण व्यय को बांटने के बारे में उड़ीसा सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार से ऐसे प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था जो कि बड़ी देर से लम्बित पड़े हैं; और

(ग) ऊपरीपुल की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) रायगडा में, लागत-साझेदारी के आधार पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए उड़ीसा राज्य सरकार से रेलवे को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) रेलवे ने फरवरी, 1974 और जुलाई, 1975 में राज्य सरकार से कहा था कि वह इस प्रस्ताव को प्रायोजित करे और वर्तमान नियमों के अनुसार ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की लागत में अपने हिस्से का खर्च वहन करने के लिए अपनी सहमति दें। किन्तु राज्य सरकार ने अप्रैल, 1976 में सूचित किया कि धन की कमी के कारण निकट भविष्य में रायगडा मैं ऊपरी सड़क पुल प्राप्त के निर्माण का काम शुरू करने का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की नियोजित नीति

5692. **श्री एहसान जाफरी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एक परिजोजना के लिए श्रेणी 8, 9 तथा 10 में व्यक्तियों को नियोजित करने तथा राष्ट्र की भलाई के लिए उनके जीवन के सर्वोत्तम दिनों का उपयोग कर परियोजना के पूर्ण होने पर उनकी सेवायें समाप्त करने की इंजीनियर्स इंडिया लि० की नियोजन नीति का उनके मंत्रालय ने अनुमोदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं तो सरकार का विचार इस श्रम विरोधी नीति को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इंजिनियर्स इंडिया लि० एक पूर्ण रूपेण सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी है। तथापि, इसकी प्रायोजनाओं के लिए निर्माण कार्मिकों के वर्ग 8, 9 और 10 की नियुक्तियां करना कम्पनी के अधिकार क्षेत्र में आती है। इन पदों पर भर्ती प्रायोजना की अवधि के लिए अस्थाई आधार पर की जाती है और नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रायोजना के आधार पर निर्भर करती है। सरकारी नीति के अनुसार, कुशल और अर्ध कुशल वर्ग के पदों पर स्थानीय लोगों को लगाया जाता है। उन्हें एक प्रायोजना से दूसरी प्रायोजना में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। जहां कहीं भी ठेका मिलता है, वहां इस प्रकार के कार्मिकों के मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती है। यदि इंजिनियर्स इंडिया लि० को इन वर्ग के लोगों को भी स्थाई तौर पर लगाने के लिए मजबूर किया गया तो यह अप्रतिस्पर्धात्मक वर्ग बन जायेगा और यहां तक कि यह एक कारोबार से बाहर की बात हो जायेगी। तथापि इस प्रकार के लोगों की सेवा समाप्ति के लाभ दिये जाते हैं, जिनकी व्यवस्था औद्योगिक विवाद अधिनियम में की गयी है।

तालचर स्थित उर्वरक कारखाने में नियोजित व्यक्तियों की संख्या

5693. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में तालचर स्थित उर्वरक कारखाने में सभी ग्रेडों, श्रेणियों तथा वर्गों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) एन० एस० आर० के रूप में यदि किन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी हो तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) उड़ीसा के कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई ;

(घ) उड़ीसा से बाहर के कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी ; और

(ङ) श्रेणी एक तथा श्रेणी दो के रूप में उड़ीसा के कितने व्यक्तियों को नियोजित किया गया।

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 30-6-1977 का 977।

(ख) शून्य

(ग) 797

(घ) 182

(ङ) 107

Shortage of Nylon Yarn Faced by Cloth Industry

5694. **Shri S.S. Somani** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether the industry engaged in manufacturing nylon cloth is facing great difficulty because of shortage of nylon yarn this year;

(b) if so, the estimated requirement of nylon yarn and the extent to which it is available indigenously; and

(c) the quantum of nylon yarn proposed to be imported during the current year and the amount of foreign exchange allocated therefor?

The Minister of Pertoleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna): (a) to (c) The anticipated requirement of nylon yarn during the current financial year is estimated at around 17,000 tonnes and the anticipated production is estimated at around 16,000 tonnes. The shortfall of about 1,000 tonnes is expected to be met by imports valued at around Rs. 2.05 crores.

स्पेशल गाड़ियों/छुट्टी स्पेशल गाड़ियों/पर्यटन स्पेशल और सुपर फास्ट गाड़ियों द्वारा पठानकोट पर न रुकना

5695. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कलकत्ता और बम्बई से जम्मू तक के लिए चलने वाली स्पेशल गाड़ियां, छुट्टी स्पेशल गाड़ियां, पर्यटन स्पेशल गाड़ियां और सुपरफ़ास्ट गाड़ियां चाकी बैंक पर तो रुकती हैं परन्तु पठानकोट पर नहीं रुकती हैं।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या चाकी बैंक में यात्रियों के लिए पेय जल आदि की सुविधाएं नहीं हैं ;

(घ) क्या कांगड़ा, छम्ब, मनाली, पालमपुर के यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है क्योंकि उन्हें चाकी बैंक में जोड़ने वाली गाड़ी नहीं मिलती है और उन्हें इसके लिए पठानकोट जाना पड़ता है, और

(ङ) यदि हां, तो जम्मू तवी के लिए जाने वाली गाड़ियों को पठानकोट पर रुकवाने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) सीधी जाने वाली गाड़ियों को पठानकोट के रास्ते से ले जाने में यात्रा समय में 80 मिनट की वृद्धि हो जाएगी जिससे रेल पथ, प्लेटफ़ार्मों की उपलब्धता आदि जैसी परिचालनिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी।

(ग) चक्की बैंक पर पीने के पानी और प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) जी नहीं, चूंकि पठानकोट और चक्की बैंक के बीच की 4 कि०मी० की दूरी को तय करने के लिए पर्याप्त सड़क परिवहन सेवाएं मौजूद हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Fees charged from Drivers of Vehicles at Stations

5696. Shri Mritunjay Prasad Verma: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the date from which fee is being charged from the drivers of the various vehicles who bring passengers to or pick them up from the platforms of big railway stations along with the rates of the fee;

(b) the amount of money for which contract has been given to the contractors for recovering this fee at the stations of New Delhi, Patna Junction, Lucknow Junction, Kanpur Central, Howrah and Muzaffarpur along with the names of those stations where this fee has been enforced;

(c) whether the Government is aware of the dis-satisfaction prevailing among the people everywhere as a result thereof; and

(d) if so, steps proposed in this regard?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) and (b) At some stations, a nominal fee is charged from drivers of commercial vehicles like taxi/auto-rickshaw/tonga/ekka, etc. who park their vehicles in specified parking places, wherever provided. The fee differs for various types of such vehicles and varies from station to station.

The details in respect of New Delhi, Patna, Lucknow, Kanpur Central, Howrah and Muzaffarpur, along with the names of other stations where this scheme is enforced, is enclosed. [Placed in Libarary See No. L. T. 888/77]

At important stations where space is available, parking fee is levied on private cars parked in the station premises. These contracts are awarded on tender basis.

At Howrah and Madras Egmore railway stations, the facility of entry of vehicles at platforms also exists. The rates of fee and the date from which these are levied are as under:

Station	Date from which fee levied	Rate of fee
Howrah	Since long	Rs. 5/- per entry being charged from private Cars and Jeeps.
Mardas Egmore	1-1-1969	Re. 1/- per entry levied from Motor Cars/ Taxis.

(c) and (d) No. However, a few complaints have been received which are being dealt with on their merits.

रेलवे को सप्लाई की जाने वाली लकड़ी की दरों में कमी

5697. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के वन विभाग ने, किरनदूर-कोटावालसा रेल लाइन पर जगदलपुर तथा दातेवाड़ा स्टेशनों पर लदान सुविधायें उपलब्ध किये जाने पर, डी०जी०एस० एण्ड डी० के माध्यम से रेलवे को सप्लाई की जाने वाली लकड़ी की दरों में कमी करने की पेशकश की थी, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) जी हां, 1972 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) किरन्दूल-कोटवाल्सा रेल सम्पर्क खण्ड की लाइन क्षमता केवल निर्यात के लिये बढ़े हुए लौह अयस्क यातायात तथा विशाखापत्तनम पर प्रस्तावित इस्पात कारखाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, इस स्थिति में सामान्य माल यातायात की बुकिंग के लिये जगदलपुर और दांतेवाड़ा स्टेशनों का खोला जाना संभव नहीं हो पाया है।

केला साईडिंग, नई दिल्ली में पार्सल क्लर्कों का कार्यकाल

5698. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्टेशन पर कार्यरत पार्सल क्लर्कों को एक वर्ष बाद बारी-बारी से केला साइडिंग, नई दिल्ली में भेजा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 में वहां कुछ क्लर्कों का कार्यकाल बढ़ा दिये जाने के क्या कारण हैं,

(ग) क्या यह भी सच है कि इन पार्सल क्लर्कों के कार्यकाल में विलम्ब शुल्क की अधिकतम राशि छोड़ी गई, और

(घ) यदि हां, तो उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक द्वारा वर्ष 1976 के रेल सप्ताह के दौरान इन कर्मचारियों को 500 रुपये पुरस्कार स्वरूप दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) (क) और (ख) जी हां, नई दिल्ली केला साइडिंग में काम करने वाले नयी दिल्ली स्टेशन के पार्सल क्लर्कों को प्रति वर्ष एक जगह से दूसरी जगह बदल दिया जाता है। परन्तु कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जबकि सेवा की अत्यावश्यकता को देखते हुए समय-समय पर, उनकी निर्धारित कार्यावधि को बढ़ाया गया था। इस तरह, वर्ष 1974 में एक पार्सल क्लर्क की निर्धारित कार्यावधि में वृद्धि की गई थी।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) यह पुरस्कार, इनमें से एक पार्सल क्लर्क द्वारा, लगेज सुपरवाइजर के रूप में किये गये अच्छे काम के लिए दिया गया था।

व्यापारियों द्वारा रेलवे से मांगे गये मुआवजे के मामले

5699. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या रेल मंत्री कन्नानोर तथा इरोड स्टेशन से बुक किये गये हथ-करघा वस्त्र के बारे में 31 अगस्त, 1976 के अतारकित प्रश्न संख्या 2075 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारियों ने अपने माल की क्षति के बारे में कन्ननौर, इरोड, नेल्लोर, मेबो तथा दिल्ली में रेलवे से मुआवजे के मांग के कुछ और मामले दायर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो व्यापारियों द्वारा मांगे गये मुआवजे की कुल राशि कितनी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उचित पर्यवेक्षण न करने के कारण, जिससे वर्ष 1976 में सीमेंट लदी एक वैगन को क्षति पहुंचने के कारण रेलवे पर 25,000 रुपये की राशि के मुआवजे का मामला बना था, गुड्स आफ़िस, मिनरल सेडिंग, नई दिल्ली के कुछ पर्यवेक्षण कर्मचारी आवश्यक रूप में सेवा निवृत्त किये गये हैं अथवा सेवा से हटाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो मुख्य पार्सल क्लर्क, नई दिल्ली के विरुद्ध ऐसी ही कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां, और अधिक मामले कणनूर, तेल्लिचेरी और दिल्ली के न्यायालय में दायर किये गये हैं।

(ख) केवल 1,60,959 रु० और 29 पैसे।

(ग) जी हां।

(घ) नई दिल्ली के मुख्य पार्सल क्लर्क के खिलाफ आरोप लगाये हैं और अनुशासन तथा अपील नियमों के अन्तर्गत जांच की जा रही है।

नई दिल्ली स्टेशन पर हथकरघा वस्त्र, टाइपराइटर्स तथा पीतल की खेपों का गुम होना

5700. **श्री भगत राम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से नई दिल्ली स्टेशन के लिए आई हथकरघा वस्त्रों, टाइपराइटरों तथा पीतल की कुछ खेपें मई, 1973 से मई 1976 के दौरान गुम हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी; और

(ग) पर्यवेक्षण में ढील के कारण पार्सल पर्यवेक्षण कर्मचारियों को स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) क्षतिपूर्ति के दावों के रूप में 1,04,279 रु० का भुगतान किया गया है ।

(ग) चूंकि इस हानि के लिये दायित्व का निर्धारण किया जा चुका है और दोषी पाये जाने वाले पर्यवेक्षक कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है, फिलहाल पर्यवेक्षक कर्मचारियों का स्थानान्तरण करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

दिल्ली डिवीजन के स्टेशन सुपरिन्टेडेंटों के विरुद्ध शिकायत

5701. श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली डिवीजन, उत्तर रेलवे के कुछ स्टेशन सुपरिन्टेन्डेंटों (राजपत्रित) के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा कदाचार के बारे में संसद् सदस्यों की ओर से 1975 तथा 1976 में अनेक शिकायतें मिली थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच कार्यवाही पूरी कर ली गई है;

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

(घ) क्या प्रशासन ने उन्हें दूसरी अवधि के लिए अधिवर्षता प्राप्ति के बाद भी नियोजित कर रखा है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) 8-4-1975 की एक अनुस्मारक को छोड़कर जो एक भूतपूर्व संसद् सदस्य द्वारा जुलाई, 1974 में की गयी शिकायत के सम्बन्ध में था, किसी भी संसद् सदस्य से वर्ष 1975 और 1976 में दिल्ली मंडल के स्टेशन अधीक्षकों (राजपत्रित) के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली । लेकिन, 1974 में एक भूतपूर्व संसद् सदस्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अधीक्षक के खिलाफ दो शिकायतें तथा एक अन्य संसद् सदस्य से दिल्ली मेन स्टेशन के अधीक्षक के खिलाफ एक शिकायत मिली थीं।

(ख) इन तीनों शिकायतों की जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है।

(ग) इन शिकायतों के जांच-पड़ताल के परिणाम का ब्यौरा अनुबन्ध-1 के रूप में संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अक्तूबर, 1974 में सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अधीक्षक के सेवा काल में एक वर्ष वृद्धि करने की मंजूरी दी गई थी तथा उसके बाद दो बार रेल सेवा में पुनर्नियोजन की मंजूरी दी गयी थी, जो क्रमशः एक वर्ष और तीन माह के लिए थी।

(ङ) सेवा काल में वृद्धि और तत्पश्चात् दो बार पुनर्नियोजन की मंजूरी सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अन्तर्गत दी गई थी। एक-एक वर्ष के लिए सेवा काल में वृद्धि और पुनर्नियोजन को मंजूरी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर परिचालन की बहुत ही कठिन समस्याओं तथा इस अधिकारी द्वारा किये गये उत्तम कार्य को ध्यान में रख कर दी गयी थी। दूसरी बार पुनर्नियोजन की मंजूरी बहुत कम समय के लिए दी गयी थी और उसका प्रयोजन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अधीक्षक के पद पर किसी उपयुक्त अधिकारी को खोजना था।

विवरण

दिल्ली मंडल के स्टेशन अधीक्षकों के विरुद्ध मिली शिकायतों के सम्बन्ध में की गयी जांच-पड़ताल का परिणाम :

I. स्टेशन अधीक्षक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन : एक भूतपूर्व संसद् सदस्य द्वारा भेजी गई दो शिकायतों की जांच-पड़ताल, उत्तर रेलवे के सतर्कता विभाग ने की थी। जांच के दौरान ये दोनों आरोप सिद्ध नहीं हुए। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने जिन्हें वर्तमान आदेशों के अनुसार यह मामला भेजा गया था, यह परामर्श दिया कि स्टेशन अधीक्षक की, जो पहले से ही पुनर्नियोजित है, पुनर्नियोजन की अवधि और आगे न बढ़ायी जाये।

II. स्टेशन अधीक्षक, दिल्ली मेन : एक संसद् सदस्य से प्राप्त शिकायत की जांच-पड़ताल भी उत्तर रेलवे के सतर्कता विभाग ने की थी। लेकिन, उक्त अधिकारी के खिलाफ लगाये गये कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सके। अतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से यह मामला बन्द कर दिया गया।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में इस्पात फाऊंड्री में उत्पादन को हानि

5702. **श्री रोबिन सेन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मई, 1977 में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के इस्पात फ़ाऊंड्री सेक्शन में उत्पादन की भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वस्तुतः कितने कार्य के घण्टे नष्ट हुए और कितने मूल्य की हानि हुई ;

(ग) क्या इस हानि के लिये कोई उत्तरदायित्व ठहराया गया है और इसके कारणों की जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) मई, 1977 के दौरान चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना के इस्पात फ़ाऊन्ड्री खंड में उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई थी। मई, 1977 के दौरान 480 मीट्रिक टन इस्पात की ढलाई की गई थी, जबकि मई, 1976 के उन्हीं महीनों में 400 मीट्रिक टन इस्पात की ढलाई की गई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Jaipur Metals and Electricals, Jaipur

5703. Shri Bhanu Kumar Shastri: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chairman of Jaipur Metals and Electricals, Jaipur, Rajasthan and other Directors of the Company have misused huge amount of money and thus weakened the Company; and

(b) if so, the action being taken by Government against the Chairman and Directors of the Company?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) Complaints have been received alleging mismanagement of the affairs of the company.

(b) (i) An inspection of books of account etc. of this company under section 209-A of the Companies Act, 1956, is being conducted.

(ii) In view of the substantial fall in the volume of production of the articles manufactured by this company for which there is no apparent justification, the Central Government have appointed a Committee under section 15 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 to investigate into the circumstances of the case.

(iii) Shri R.R. Kamani has ceased to be Chairman of the Company and in his place Shri V.B.L. Mathur, a Senior Officer of the Rajasthan Government has been appointed as Chairman. Two more senior officers of Rajasthan State Government have also been appointed as Additional Directors of the Company.

मथुरा स्थित तेल शोधक कारखाने का स्थान बदला जाना

5704. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा स्थित तेल शोधक कारखाने को किसी अन्य स्थान पर ले जाने का विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस कारखाने को ग्वालियर अथवा मुरैना में स्थापित करने के पहले सुझाव पर भी फिर से विचार किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिन्दरी उर्वरक निगम में बन्दूक की मरम्मत

5705. **श्री ए० के० राय :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की सिन्दरी यूनिट के उपकरण विभाग की वर्कशाप में 7 जुलाई, 1977 की संध्या को लगभग 3.30 बजे गैर-कानूनी रूप में एक बन्दूक की मरम्मत की जा रही थी ;

(ख) क्या बन्दूक की मरम्मत श्री एस० डी० गुप्ता (अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर) तथा नरेश शर्मा के मौखिक निर्देशों पर की गई थी और बन्दूक बाद में सी एस आई एफ़ द्वारा जब्त कर ली गई थी;

(ग) क्या वर्कशाप में बन्दूक पाये जाने से कर्मचारियों में आक्रोश पैदा हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो (1) बन्दूक किसकी थी ; (2) कारखाने में बन्दूक किस प्रकार आई; (3) इस गैर-कानूनी कार्य के लिए कौन उत्तरदायी थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) एक पुराना खिलौना वायु बन्दूक (एयर गन) (जिसके लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है) फ़र्टिलाइजर कारपोरेशन आफ़ इण्डिया, सिन्द्री के उप-महाप्रबन्धक श्री एस० आर० पांडे की है, जो टूटी हुई थी और श्री पांडे द्वारा लिखित रूप में देने पर तथा द्वार पर सी आई एस एफ के कर्मचारी द्वारा यथा मंजूरी पर उसकी टाइगर बनावट की जांच करने के लिए कारखाने के अन्दर लाई गई थी। कारखाने के अन्दर छोटे-छोटे प्राइवेट कार्यों की प्रभार्या के आधार पर अनुमति है।

वायु बन्दूक की ट्राइगर बनावट की जांच मौखिक रूप से अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर श्री जे० डी० गुप्ता के आदेशों से की गई थी। वायु बन्दूक सी आई एस एफ़ के कर्मचारी द्वारा ली गई थी और बाद में मालिक को वापस की गई थी। इस घटना से कर्मचारियों में आक्रोश पैदा नहीं हुआ था।

1-1-1964 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना

5706. श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल 1 जनवरी, 1964 के बाद सेवा निवृत्त हुए रेल कर्मचारियों को ही परिवार पेंशन का लाभ मिलता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1 जनवरी, 1964 से पहले सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों ने मंत्रालय से अनेक बार अनुरोध किया है कि वे दूसरी परिवार पेंशन योजना के लाभ के पात्र बन सकें; और

(ग) उपरोक्त अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क): जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) रेल कर्मचारियों पर लागू पेंशन योजना केन्द्रीय सरकार के दूसरे विभागों, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होते हैं, पर लागू पेंशन योजना पर आधारित है। उस मंत्रालय ने उपर्युक्त मांग पर विचार किया है और उसे स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कान्ट्रैक्ट सोसायटी लिमिटेड, इलाहाबाद तथा दिल्ली डिवीजन को दिये गये ठेके।

5707. श्री सुभाष आहुजा : क्या रेल मंत्री पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कान्ट्रैक्ट सोसायटी लिमिटेड इलाहाबाद को माल पार्सल उतारने-चढ़ाने के लिये दिये गये ठेके के बारे में 19-7-77 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4032 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली डिवीजन में माल पार्सल उतारने-चढ़ाने के बारे में दरों की सूची की प्रत्येक मद के लिये निर्धारित दरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सूची की प्रत्येक मद की दर का निर्धारण रेल प्रशासन ने स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मजदूरों के लिये निर्धारित की गयी न्यूनतम मजूरी दर को ध्यान में रखते हुए किया था;

(ग) यदि हां, तो स्थानिय प्राधिकरण ने दिल्ली डिवीजन में प्रत्येक स्टेशन के लिये अलग-अलग मंजूरी की किन दरों की सिफ़ारिश की थी; और

(घ) क्या सोसायटी ऐसे स्टेशनों के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्थानीय मजूरी दर नहीं दे रही है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया/ देखिए संख्या एल० टी० 889/77]**

(ख) माल/पार्सल सप्लाई के ठेकों की प्रत्येक मद की दरों का उल्लेख ठेकेदार/सोसाइटी द्वारा टेंडर फ़ार्मदर अनुसूची के प्रोफ़ार्मा में किया जाता है। समिति इन दरों को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निश्चित न्यूनतम मजदूरी की दर सहित सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखकर स्वीकार करती है।

(ग) श्रमिकों की मजदूरी की दरें स्थानीय सिविल प्राधिकारियों द्वारा जिला-वार निश्चित की जाती है, स्टेशन-वार नहीं। दिल्ली मंडल के जिलों में स्थानीय सिविल प्राधिकारियों द्वारा निश्चित की गई मजदूरी की दरें संलग्न विवरण **[ग्रंथालय में रखा गया / देखिए संख्या एल०टी० 889/77]** में बतायी गयी हैं।

(घ) मजदूरों को उनके द्वारा किये गये काम के आधार पर भुगतान किया जाता है।

साइकल स्टैंड का ठेका देने के लिए बयाना राशि और जमानत के रूप में जमा की जाने वाली राशि का निर्धारण

5708 **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्राइवेट पार्टियों और समितियों को साइकिल स्टैंड के ठेके देने के लिय बयाना राशि और जमानत के रूप में जमा की जाने वाली राशि के निर्धारण के लिये उत्तर रेलव प्रशासन द्वारा कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है ;

(ख) नई दिल्ली, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर सैन्ट्रल, अलीगढ़, लुधियाना, अम्बाला और मुरादाबाद में साइकिल स्टैंड के ठेके देने के लिए रेलवे द्वारा कितनी जमानत राशि निर्धारित की गई है और ये ठेके कितनी-कितनी राशि के हैं; और

(ग) क्या सरकार भिन्न-भिन्न डिवीजनल प्राधिकरणों द्वारा बयाना राशि और जमानत राशि निर्धारित करने के लिए समान नीति निश्चित करना चाहती है जिससे निहित हित वाली पार्टियों द्वारा हेर-फ़ेर करने की गुंजाईश न रहे ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें सूचना दी गयी है।

(ग) जमानत की राशि ठेके की कुल रकम का 10 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। उत्तर रेलवे के सभी मंडलों को पुनः अनुदेश दे दिये गये हैं कि यथा निर्धारित एक समान नीति का अनुसरण किया जाये।

इच्छुक पार्टियों द्वारा हेरा-फ़ेरी करने की कोई गुंजाईश न रहे, इसलिए हाल ही में बयाने की रकम ठेके के अनुमानित मूल्य के $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत से बढ़ाकर 10% कर दी गयी है, लेकिन शर्त यह है कि 'ए' श्रेणी के स्टेशनों के लिए रकम कम से कम 1000 रु० और 'बी' श्रेणी के स्टेशनों के लिए कम से कम 500 रु० होगी।

विवरण

स्टेशन	जमानत जमा	निविदा का मूल्य
नई दिल्ली	16,510	1,65,105
दिल्ली	13,200	1,32,000
लखनऊ . . .	9,600	1,56,000
इलाहाबाद .	10,000	46,105.01
कानपुर सेंट्रल . .	14,000	1,46,000
ग्रलीगढ़ .	2,000	17,105.97
लुधियाना	3,200	1,27,120
ग्रम्बाला छावनी . .	5,600	56,000
मुरादाबाद	1,890	18,880

इलाहाबाद में पार्सल ढोने वाले कुलियों को मजूरी का भुगतान

5709. **श्री विनायक प्रसाद यादव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोग्रापरेटिव लेबर कन्ट्रैक्ट सोसाइटी लिमिटेड वर्ष 1975 में इलाहाबाद में पार्सल ढोने वाले कुलियों को रु० 3.50 पैसे की दर से दैनिक मजदूरी देते थे ग्रौर श्रमिकों द्वारा ग्रांदोलन ग्रौर रोष व्यक्त किये जाने के परिणामस्वरूप 1 सितम्बर, 1976 से उसे बढ़ाकर 4 रुपये कर दिया गया था;

(ख) क्या सोसायटी ने मजूरी दर को रु० 3.50 पैसे से बढ़ाकर 4 रु० कर देने की सूचना रेलवे प्रशासन को दी थी; ग्रौर]

(ग) क्या रेलवे प्राधिकारियों ने सोसायटी द्वारा जानबूझकर श्रमिकों को रु० 5.50 पैसे न दिये जाने के कारण, जो उन्हें रेल प्रशासन से मिलते थे/हैं, जुर्माने किये थे ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) पहले समिति 3.50 रु० प्रति दिन के हिसाब से श्रमिकों को मजुरी देती थी जिसे 1 जुलाई, 1976 से बढ़ाकर 4 रुपये कर दिया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) उचित मजुरी के भुगतान ग्रौर कार्य घंटा विनियमों के सम्बन्ध में क्रमशः करार की धारा 14 ग्रौर 17 का ग्रनुपालन न करने के लिए ग्रक्तूबर, 1976 में सोसायटी पर 100 रुपये जुर्माना किया गया था।

जम्मू ग्रौर काश्मीर में तेल हेतु ड्रिलिंग के लिये चुने गये क्षेत्र

5710. **श्री बलदेव सिंह जसरोधा** : क्या पेट्रोलियम तथा **रसायन ग्रौर उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) जम्मू ग्रौर काश्मीर राज्य में ग्रागामी दो वर्षों में तेल हेतु ड्रिलिंग के लिये कितने क्षेत्रों का चयन किया गया है ;

(ख) उपरोक्त काम किन पार्टियों के सहयोग से किया जायेगा और तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं; और

(ग) जम्मू और काश्मीर में ड्रिलिंग के लिये कितने अब तक प्रयोग किये जा चुके हैं और उसके क्या परिणाम निकले थे ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इस समय जम्मू और काश्मीर राज्य में अगले दो वर्षों के दौरान तेल की खुदाई के लिए किसी भी स्थान का चयन नहीं किया गया है।

(ग) राज्य में अब तक तीन कुओं की खुदाई की जा चुकी है जिनमें किसी प्रकार के वाणिज्यिक तौर पर हाइड्रोकार्बन के भंडार का पता नहीं चला है।

शाहदरा और बागपत रोड के बीच रेल गाड़ियां

5711. **श्री महीलाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई बनी शाहदरा-सहारनपुर रेल लाइन पर जो इस समय शाहदरा से बागपत रोड स्टेशन तक चलती है, शाहदरा से बागपत रोड तक प्रातः 4.55 से सायं 6.45 तक और बागपत रोड से शाहदरा तक प्रातः 7 बजे से सायं 9 बजे तक गाड़ी नहीं है ;

(ख) इस लाइन पर दिन के समय रेल गाड़ियां न चलाने और सभी गाड़ियां रात के समय चलाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस लाइन के साथ-साथ जाने वाली सड़क पर बसें चलाने वाले बस मालिकों की सहायता करने के लिए कुछ अधिकारियों द्वारा दिन के समय गाड़ियां नहीं चलाई जा रही हैं ; और

(घ) दिन के समय रेल गाड़ियां कब तक चलाई जायेंगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (घ) दिल्ली-शाहदरा-बागपत रोड खण्ड 8-4-77 से यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया था, उस समय इस क्षेत्र के दैनिक यात्रियों और परिचालनिक व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए दो जोड़ी गाड़ियां चलाई गई थीं। बाद में, जनता की मांग पर, इस खण्ड पर 10-6-77 से और एक जोड़ी गाड़ी चलाई गई है। अब इस खण्ड पर तीन जोड़ी गाड़ियां चल रही हैं, जो इस प्रकार है :—

1 डीएसबी	3 डीएसबी	5 डीएसबी		2 डीएसबी	4 डीएसबी	6 डीएसबी
4.55	18.45	23.05	छू० दिल्ली शाहदरा प०	8.50	22.40	4.20
6.40	20.30	00.50	प० बागपत छू०	7.05	20.55	2.35

दिल्ली शाहदरा और बागपत रोड के बीच चल रही उपर्युक्त तीन जोड़ी गाड़ियां, इस खंड पर यात्री यातायात, विशेषकर दैनिक यात्री यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रायः पर्याप्त समझी जाती हैं। तथापि, इस खण्ड पर पार स्टेशनों के अभाव में एक अतिरिक्त जोड़ी सवारी गाड़ियां चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

मेघालय में गोपीनाथ किला में छिद्रण कार्य

5712. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या **पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने मेघालय में गोपीनाथ किला में तेल के लिए छिद्रण कार्य करना छोड़ दिया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या मेघालय के किसी अन्य भाग में तेल निक्षेपों का पता लगाने के लिए अग्रेतर छिद्रण कार्य किया जा रहा है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। गोपीनाथ किला संरचना में खोदे गए कुएं में परीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार के हाइड्रोकार्बन के संकेत नहीं मिले हैं। इसी क्षेत्र में ओ०एन०जी०सी० द्वारा आयोजित बाद के भूकंपीय सर्वेक्षणों से भी इस क्षेत्र में और आगे व्यधन कार्य को आरम्भ करने का औचित्य प्रतीत नहीं हुआ।

(ख) जी, नहीं।

दिल्ली के निकट 12 डाउन गाँड़ी में डकैती

5713. **श्री बशीर अहमद** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली के निकट 12 डाउन गाड़ी में रेल यात्रियों पर डाके डाले गये हैं और पुलिस डकैती का पता लगाने में असफल रही है;

(ख) क्या पुलिस राज्य-विषय होने के कारण कानून और व्यवस्था बनाये रखने में कठिनाइयां पैदा होती हैं; और

(ग) रेलवे के सम्बन्ध में पुलिस के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे यात्रियों की सुरक्षा निश्चित हो सकें?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) 3/4–7–77 की रात को गाजियाबाद और खुर्जा रेलवे स्टेशनों के बीच 12 डाउन दिल्ली-हावड़ा एक्सप्रेस में डकैती की एक घटना हुई थी। सरकारी रेलवे पुलिस, अलीगढ़ ने इस मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत अपराध सं० 162 दर्ज कर लिया है और जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिये रेलवे और पुलिस अधिकारियों के बीच नियमित रूप से समन्वय स्थापित किया जाता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में उच्च पदाधिकारियों की उपलब्धियों और परिलब्धियों की अधिकतम सीमा

5714. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के उच्च अधिकारियों की उपलब्धियों और परिलब्धियों की अधिकतम सीमा के प्रश्न पर नये सिरे से विचार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा देश के दोनों क्षेत्रों में वेतन ढांचे में अत्यधिक विषमता को दूर करने के लिए सरकार का अपने निर्णय के कब तक घोषणा करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो डनलप और इंडियन टोबैको जैसी गैर-सरकारी कम्पनियों के, जो अपने उच्च अधिकारियों को बहुत अधिक वेतन देती है, लाभ को विनियमित करने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) हां, श्रीमान जी ।

(ख) प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के वेतन ढांचे में असमानता तथा सभी अन्य सम्बन्धित मामलों पर प्रबन्धकीय पारिश्रमिक पर मार्ग संदर्शिका के परिशोधन को सूचित करते हुए ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में निर्णय शिघ्रातिशिघ्र किया जाएगा ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

मुम्बई उच्च न्यायालय में लम्बित दाण्डिक अपीलें

5715. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई उच्च न्यायालय में मृत्यु दंड-प्राप्त कैदियों की कितनी दाण्डिक अपीलें लम्बित हैं, और

(ख) इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) मुम्बई उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मृत्यु दण्ड-प्राप्त कैदियों की दो दाण्डिक अपीलें मुम्बई उच्च न्यायालय में लम्बित हैं । एक अपील इसलिए लम्बित है कि अपील के संबंध में पेपर बुक मुद्रण के लिए जुन, 1977 में मुद्रणालय को भेजी गई है । दुसरी अपील यरवदा केन्द्रीय कारागार, पूणे के अधीक्षक की इस रिपोर्ट के अभाव के कारण लम्बित है कि अभियुक्त (जो विकृत चित्त है) अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है ।

रोहतक, साम्पला, और बहादुरगढ़ स्टेशनों पर टिकट देना

5716. **श्री भगवत दयाल शर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोहतक, साम्पला और बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशनों पर टिकट समय पर नहीं दिये जाते;

(ख) जनवरी, 1976 से अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) : जनवरी 1976 से अब तक टिकट जारी करने में देरी की पांच शिकायतें—4 रोहतक से और एक साम्पला से प्राप्त हुई थीं। बाद में पांच शिकायतों में से 2 शिकायतें शिकायतकर्ताओं ने वापस ले लीं। अन्य दो मामलों में, दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पांचवें मामले में कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

टिकट घरों का समय से खोला जाना सुनिश्चित करने के लिये उत्तर रेलवे को पुनः अनुदेश दे दिये गये हैं।

आरमीनियन घाट, शैड नं० 1, हावड़ा स्टेशन पर पार्सल कार्यालय का पुनः खोला जाना

5717. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकारियों द्वारा हवाड़ा स्टेशन पर स्थित खाली पड़े हुए आरमीनियन घाट, शैड नं० 1, जो ग्राहकों तथा रेलवे हितों के लिये अधिक सुविधाजनक तथा आर्थिक लाभ वाला है, पर पार्सल कार्यालय खोले जाने से निरन्तर इन्कार करने के कारण रेलवे यातायात तथा राजस्व सड़क यातायात को चला गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितने राजस्व की हानि हो रही है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) आरमिनिय घाट पर कभी कोई पार्सल कार्यालय नहीं रहा है। केवल अब आरमैनियन घाट में सिटी पार्सल कार्यालय खोलने के बारे में प्रशासन द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। अतएव, आरमैनियन घाट में पार्सल कार्यालय को फिर से खोलने से इन्कार करने के कारण यातायात के अन्तरित होने का प्रश्न नहीं उठता।

चिदम्बरम, तमिलनाडु में रेलवे मजदूरों को मकान किराया भत्ता तथा क्वार्टर देना

5718. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिदम्बरम, तमिलनाडु में रेलवे मजदूर क्वार्टर न मिलने से कष्ट उठा रहे हैं और उन्हें मकान किराया भत्ते का भी भुगतान नहीं किया जाता; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) (i) चिदम्बरम में ऐसे रेल कर्मचारियों को, जो क्वा-टरों के आवंटन के लिए "अनिवार्य" के रूप में वर्गीकृत हैं, क्वार्टर दे दिये गये हैं सिवाय उनके जिन्हे क्वार्टर की जरूरत नहीं है।

(2) चिदम्बरम में काम करने वाले कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देय नहीं है क्योंकि चिदम्बरम इस प्रयोजन के लिये वर्गीकृत नगर नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रिंटिंग इंक और सर्फेस कोटिंग उद्योग को "एरोमैक्स" कच्चे माल की आवश्यकता

5719. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में प्रिंटिंग इंक तथा सर्फेस कोटिंग उद्योगों को "ऐरोमैक्स' की आवश्यकता है जो इस उद्योग के लिये मूल कच्चा माल है ;

(ख) क्या भारत रिफाइनरी उक्त उद्योग को इसका मूल कच्चा माल नहीं दे पा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त उद्योग को चालू रखने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी, हां।

(ख) जुलाई माह में ऐरोमैक्स की उपलब्धता कम थी, इस उत्पाद के उपभोक्ताओं को इसकी सप्लाई यथानुपात आधार पर की गई गई थी ?

(ग) उत्पाद की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अगस्त से ऐरोमैक्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये हैं।

नये उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिये विदेशी सहयोग

5720. श्री यशवन्त बोरोले : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पृथक प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत दो नई उर्वरक परियोजनाएं बनाने का प्रबन्ध किया है तथा भारतीय उर्वरक निगम के पास, जिसने ऐसे कार्य विशिष्ट सफलता के साथ किये हैं, तकनीकी सेवाओं की उपलब्धता की उपेक्षा करते हुए इस कार्य के लिये विदेशी सहयोग की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा निर्णय करने में औद्योगिक तकनीकी जानकारों को उपयुक्त स्थान न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) विदेशी सहयोगकर्ताओं के साथ समझौते की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : 1974-75 में भटिंडा और पानीपत में ईंधन तेल पर आधारित दो यूरिया प्रायोजनाओं के कार्यान्वियन को 1974-75 में एक नई कम्पनी अर्थात् नेशनल फर्टीलाइजर्स लि० द्वारा शुरू किया गया था।

जब कि भारतीय सरकारी क्षेत्रीय इंजीनियरी कम्पनियों ने उर्वरक संयंत्रों के कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का विकास अथवा अर्जन किया है, फिर भी उर्वरक उद्योग को, गैसीफिकेशन, अमोनिया सिन्थसिस सी और प्यूरीफिकेशन आदि जैसे उर्वरक संयंत्रों के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाहरी प्रौद्योगिकी/जानकारी पर निर्भर होना पड़ता है।

एफ० सी० आई० का पी० एण्ड डी० प्रभाग, जो नंगल और एफ० सी० आई के सिन्दरी संयन्त्रों में देसी ईंधन तेल पर आधारित उर्वरक प्रायोजनाओं का कार्यान्वियन कर रहा है, को भी संयंत्रों के प्रमुख पुर्जों के लिए लाइसेंस/प्रक्रिया जानकारी और मूल इंजीनियरी के रूप में विदेशों से प्राप्त करनी पड़ती है। एफ०सी०आई० प्रबन्ध के अधीन नंगल और सिन्दरी में संयंत्रों के लिए एफ सी आई के पी एण्ड डी प्रभाग द्वारा सेवाएं प्रदान की गई थीं और एक भारतीय सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम, इंजीनियर्स इन्डिया लि० द्वारा भटिंडा तथा पानीपत उर्वरक प्रायोजनाओं के लिए सेवाएं दी गई थीं। इंजीनियर्स इण्डिया लि० को भटिंडा और पानीपत प्रायोजनाओं का कार्यान्वियन सौंपने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि वस्तुतः

एफ सी आई के पी एण्ड डी प्रभाग ने पहले ही बड़ी संख्या में प्रायोजनाओं का कार्यान्वियन शुरू किया हुआ था और इस प्रभाग द्वारा चार नई प्रायोजनाओं के कार्यान्वियन के भी शुरू करने की संभावना थी। अतः यह प्रभाग पूर्ण रूप से व्यय था।

(ग) इन प्रायोजनाओं के लिए कोई विदेशी वित्तीय सहयोग नहीं किया गया है। एन०एफ०एल०ने, तकनीकी जानकारी, प्रक्रिया और मूल इंजीनियरी की सप्लाई के साथ-साथ अपेक्षित प्रक्रिया के लिए लाइसेंस और इन प्रायोजनाओं को आरंभ करने के लिए तकनीकी सहायता और आयातित उपस्कर और सामग्री के बारे में सहायता लेने के लिए मैसर्स टोयो इंजीनियरी कारपोरेशन के साथ इंजीनियरी ठेके किए हैं। उपर्युक्त कार्यकलाप के लिए टी ई सी के मध्य ठेके का मूल्य भटिंडा प्रायोजना के लिए 11.76 करोड़ रुपय और पानीपत के लिए 8.05 करोड़ रुपये है।

प्रायोजना के लिए भारतीय ठेकेदार इंजीनियर्स इण्डिया लि० ने भी पश्चिम जर्मनी के मैसर्स वेना केमिकल के साथ एक करार किया है जिसके अन्तर्गत डिजाइन दोनों संयंत्रों के प्रचालन तथा संरचना के लिए तकनीकी परामर्श सेवाओं की और पूर्व संचालन के लिए विशेषज्ञ सहायता तथा एन० एफ० एल० और/अथवा ई० आई० एल० के तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की गई हैं। उपर्युक्त फर्म के साथ ठेके की कुल लागत 46 लाख रुपये है जिसमें उनके विशेषज्ञों के स्थानीय व्यय शामिल नहीं हैं और यह व्यय इंजीनियर्स इण्डिया लि० करेगी।

उत्तर रेलवे में माल तथा यात्री यातायात से आय

5722. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1975 से मार्च, 1977 तक की अवधि में उत्तर रेलवे के विभिन्न डिवीजनों में माल और यात्री यातायात से कितनी-कितनी आय हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट के मार्गनिर्देशन में वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारियों के लगातार कठिन परिश्रम और निष्ठापूर्वक किये गये प्रयासों से इलाहाबाद डिवीजन की आय में अप्रैल, 1975 से दो वर्ष पूर्व की आय की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो जो अधिकारी/कर्मचारी अपने काम में निष्ठावान थे/हैं उनके मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) आय के सम्बन्ध में सूचना मण्डलवार नहीं बल्कि रेलवार संकलित की जाती है। अप्रैल, 1975 से मार्च, 1977 तक, माल और कोचिंग यातायात से उत्तर रेलवे की आय कुल मिलाकर इस प्रकार है :--

(करोड़ रुपये में)

	अप्रैल, 75 से मार्च, 77
माल	342.26
कोचिंग	231.21

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठता

Bench of High Court at Aurangabad (Maharashtra)

*5722. **Shri Keshavrao Dhondge** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether a demand has been made to the Maharashtra Government as also to the Union Government for setting up a bench of the High Court in Aurangabad for the Marathwada Division of the State;

(b) if so, the steps taken by Government in this direction; and

(c) when a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) Government have not yet taken a view in the matter.

Expiry of Period of Contracts for Canteens on Northern Railway

5723. **Shri Ravindra Pratap Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the period of contracts of canteens at various railway stations in Northern Railway has expired;

(b) if so, the names of such stations and the arrangements made there at present as also since when such arrangements are going on;

(c) how long the present arrangements are proposed to be continued by Government;

(d) whether Government propose to make permanent arrangements by awarding fresh contracts; and

(e) if so, the time by which it would be done ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) The term of vending/catering contracts at five railway stations on Northern Railway has expired.

(b)

Name of the station where the terms of the contacts have expired	The dates from which the terms have expired and the present arrangement
(1)	(2)
1. Sri Ganganagar	Expired on 3x-7-1975. The previous contractor is continuing the work.
2. Ambala Cantt. (Vegetarian Refreshment Room)	Expired on 31-3-76. The previous contractor is continuing the work.
3. Ghaziabad	Expired on 24-9-75. The previous contractor is continuing the work.
4. Mukerian	Expired on 3-3-77. The previous contractor is continuing the work.
5. Shahganj	Expired on 3-4-77. The previous contractor is continuing the work.

(c), (d) & (e) For Sri Ganganagar and Mukerian, applications have already been invited for awarding fresh contracts and further action in progress. For Ghaziabad, Ambala Cantt. and Shahganj, appeals received from existing contractors are under consideration. Permanent arrangements will be made as soon as these formalities are completed.

गरवा रोड़ स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर प्राप्त शिकायतें

5724. **श्री इलीमुद्दीन अहमद :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के मई और जून में गरवा रोड जंक्शन, पूर्व रेलवे पर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई है और क्या कोई जांच कर.ई गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका ब्यौरेवार कारण क्य। है तथा मार्च, 1977 के पश्चात् रेल मंत्रालय को कुल कितनी शिकायतें मिलीं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) कोई नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठत। । मार्च, 1977 के बाद गढ़वा रोड जंक्शन स्टेशन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

गेजेज प्रिंटिग इंक फैक्टरी, लिमिटेड कलकत्ता के विरुद्ध जांच

5725. **श्री राम सागर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेजेज प्रिंटिग इंक फैक्ट्री (लिमिटेड), कलकत्ता के कुप्रबंध की जांच करने के आदेश दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिमी बंगाल की कम्पनियों के रजिस्ट्रार द्वारा भी उक्त कम्पनी के लेखों की जांच की जा रही है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) कम्पनी की लेखा-बहियों आदि का कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग) कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल, कलकखा ने कम्पनी के 31-12-1973 की वर्ष समाप्ति के तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखे की कुछ मदों की बाबत कम्पनी से पूछ-ताछ की है । कम्पनी का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है । कम्पनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता ने कम्पनी तथा इसके अधिकारियों के विरुद्ध 1974 व 1975 के वर्षों के लेखे प्रस्तुत न करने की चूक के लिये मुकदमा दायर कर दिया है ।

यात्री गाड़ियों को गोवा से बड़ा जावरा और वाडबिल तक चलाना

5726. **श्री समरेन्द्र कुण्डु :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को एक संसद् सदस्य द्वारा लिखा गया एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ आठ विधान सभा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक अभ्यावेदन प्रेषित किय। गय। है जिसमें यह मांग की गई है कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर उड़ीस। के क्योंझर जि.े में य.त्री ग.ड़ियों को गोम्र। से बढ़ाकर बड़ा ज.वर। और वाडविल तक चलाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) बड़ा जामदा–वारावित इकहरी लाइन वाला विजलीकृत खण्ड है और यह मुख्यतः इस्पात कारखानों तथा निर्यात के लिए खनिज यातायात ढोने के लिए है । लोहा और मैंगनीज अयस्क का जितना माल यातायात इस समय हो रहा है उससे इस खण्ड की वर्तमान क्षमता का पूर्णतया उपयोग हो जाता है। चूंकि इस खण्ड पर केवल माल गाड़ियां चलती हैं, अतः सवारी गाड़ियों के चलाने की सुविधाओं जैसे प्लेटफार्म, पानी देने और सवारी डिब्बों आदि के अनुरक्षण के लिए टर्मिनल सुविधाओं का विकास नहीं किया गया है । इस समय जितना यात्री यातायात होता है वह सड़क सेवाओं द्वारा पूरी तरह सम्हाल लिया जाता है । इस खण्ड की महत्ता तथा आर्थिक हित की दृष्टि से अयस्क यातायात को ढोने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस खण्ड पर सवारी गाड़ी चलाने का प्रस्ताव नहीं है ।

बम्बई हाई से गुजरात को गैस की सप्लाई

5727. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को बम्बई हाई से गैस सप्लाई करने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने भी राज्य सरकार को इस बारे में आश्वासन दिया था;

(ग) गुजरात राज्य को इस समय कुल कितनी मात्रा में गैस सप्लाई की जाती है; और

(घ) गुजरात राज्य की उससे कहां तक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री सहित गुजरात सरकार को अपतटीय क्षेत्रों से गैस सप्लाई करने का आश्वासन दिया है ।

(ग) और (घ) गुजरात के तटीय क्षेत्रों से एसोसिएटेड और नानएसोसियेटेड गैस की कुल मात्रा का लगभग 2.3 मि० घन मीटर प्रतिदिन की दर से उत्पादन किया जा रहा है । करीब करीब इसके सम्पूर्ण भाग को गुजरात के विभिन्न उपभोक्ताओं को दे दिया गया है और इस प्रकार राज्य की वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण रुप से यह पूरा करती है । कम दबाव वाली गैस की थोड़ी सी मात्रा अर्थात् 80,000 घन मीटर गैस को लेने वाला कोई नहीं है । इस गैस को उपयोग में लाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग उपभोक्ताओं की तलाश में है।

अशक्त व्यक्तियों के लिये प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ

5728. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पता है कि अशक्त व्यक्तियों के लिए अनेक खाद्य पदार्थ ऊँचे मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो अशक्त व्यक्तियों को सस्ता प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री **(श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा):** (क) और (ख) : भारत में उच्च बिकने वाला कुछ विख्यात अधिक प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ निम्न प्रकार हैं :—

1. कम्पलान/केसिलान
2. प्रोटीनेक्स
3. प्रोटीनल
4. एनरिचूड क्यूब्स
5. क्रेपटिन

अभी इन प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों के मूल्य सरकार द्वारा कानूनी रूप से नियंत्रण नहीं किये गये हैं। तथापि अधिक प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए मैसर्स वांडर लि० द्वारा पोस्टिकृत छूट के अतिरिक्त अधिक प्रोटीनयुक्त पदार्थों के निर्माण के एक प्रस्ताव का, प्रतिवर्ष 2000 मी० टन क्षमता सहित अनुमोदन किया गया है किन्तु यह शर्त से हुआ है कि अधिक प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ की मात्रा कुल अनुमोदित क्षमता के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस एकक के स्थापित हो जाने पर प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों की युक्तिसंगत मूल्यों पर उपलब्धता के बढ़ जाने की आशा है।

Commission to enquire into Transfer of Judges during Emergency

*5729. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Law, Justice, and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Shri S. Obul Reddy, the Chief Justice of Gujarat High Court has urged the President to appoint a Judicial or any other Commission to enquire into the transfers of the judges during emergency and the role played by the Central Ministers and the concerned officials in regard to these transfers; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) The Government's attention has been drawn to Press Reports on the subject.

(b) There is no proposal to appoint any separate Commission of Inquiry on this matter. It will be open to Justice Shah Commission to inquire into any specific allegation brought to its notice in this regard.

संविधान में संशोधन

5730. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय की संविधान बेंच को आशा है कि अनुच्छेद 144-क में ऐसा संशोधन किया जाएगा जिससे कि न्यायालय स्वयं यह तय कर सके कि किसी विशेष मामले के लिए बैंच में कितने न्यायाधीश हों;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उक्त बैंच ने इस योजना के लिए संविधान में संशोधन करने के क्या कारण बताए हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) जी हां।

(ख) सरकार, संविधान के अनुच्छेद 144-क के संशोधन के संबंध में प्रस्तावों की जांच करते समय उक्त विचारों को अधिकतम महत्व देगी ।

(ग) उच्चतम न्यायालय के निर्णय (मैसर्स मिश्री लाल जैन बनाम उड़ीसा राज्य और एक अन्य 1971 की सिविल अपील सं० 1810 जिसका निर्णय 2 मई, 1977 को हुआ था) का सुसंगत भाग, जिसमें कारण बताए गए हैं । नीचे उद्धृत किया गया है,--

"इन अपीलों में उठाए गए मुद्दों के साथ, निस्संदेह, राज्य की एक विधि की सांविधिक विधि-मान्यता के बारे में प्रश्नों के अवधारण का प्रश्न जुड़ा हुआ है किन्तु, वे इतने निस्सार हैं कि श्री अशोक सेन और श्री गोखले, जो अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित हुए हैं, अपनी दलीलों के समर्थन में, केवल उनको दोहराने के अलावा कुछ नहीं कह सके । श्री गोविन्द दास ने अपने मुद्दों के समर्थन में जो साहसिक, किन्तु निरर्थक प्रयास किया, यदि वह न होता तो अपीलों को निपटाने में, सात न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ के बैठने में लगने वाले समय की अपेक्षा कम समय लगता । संविधान के अनुच्छेद 13(3)(क) में "विधि" की परिभाषा के अंतर्गत विधि के समान प्रभावी कोई अध्यादेश, आदेश, उप-विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आदि भी हैं जिसके परिणामस्वरूप इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों को, सरकार द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेशों और अधिसूचनाओं की भी, जो विधि का बल रखती हैं, सांविधानिक विधि मान्यता के बारे में किसी और प्रत्येक प्रश्न के अवधारण के लिए बैठना पड़ सकता है । अब एक ऐसे न्यायालय के जिसे बड़ी संख्या में बकाया मामलों को निपटाना है, सात सदस्यों को एक साथ बैठकर सभी प्रकार के सांविधानिक प्रश्नों का विनिश्चय करने का अनावश्यक भार उठाना है, चाहे उनका महत्व कुछ भी हो । आशा की जाती है कि अनुच्छेद 144-क पर संसद् का समुचित ध्यान जाएगा जिससे कि उसे सामान्य मतैक्य द्वारा इस प्रकार संशोधित किया जा सके कि स्वयं न्यायालय पर यह विनिश्चय करने का कार्य छोड़ा जा सके कि किसी विशिष्ट मामले के विनिश्चय के लिए कितनी बड़ी बैंच (न्याय-पीठ) होनी चाहिए ।"

Acquisition of Land in Bihar for Laying Pipeline by I O C

5731. **Shri Birendra Prasad** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers be pleased to state :

(a) whether for installation of a pipeline towards Indian Oil Corporation land of Dashratha, Pakari, Siyara villages in Patna district (Bihar) was acquired through Case Nos. 26 and 55 of 1969, Nos. 3 and 6 of 1970 and No. 87 of 1972;

(b) whether the farmers, whose land was acquired, filed cases in the courts to the effect that the amount paid to them was less and whether in land acquisition case Nos. 4 and 5 filed in the court of Special Land Acquisition Judge II, Patna, the judgement was passed on 12th August, 1976 and a decree was given in favour of the farmers against which Government have not made any appeal; and

(c) if so, whether Government propose to pay the amount of decree and if so, the time by which it would be paid ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna): (a) Yes, Sir.

(b) & (c): It is fact that in regard to the cases filed by the farmers the Land Acquisition Judge II, Patna had passed a judgement on 12-8-76 and given decree in favour of the farmers. The Government of Bihar has not made any appeal against this judgement. The

Land Acquisition office has, however, yet to ask for the amount of decree from IOC. On receipt of the amount, the Land Acquisition office will deposit it with the court after which payment will be effected to the land owners concerned.

हिन्द महासागर का विसैन्यीकरण

5732. **श्रीमती मृणाल गोरे :**

डा० बापू कालदाते :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में समुद्र सम्बन्धी कानून के बारे में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उन्होंने रूस और अमरीका के प्रतिनिधि मंडलों के नेताओं से हिन्द महासागर के विसैन्यीकरण की समस्या के सम्बन्ध में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोरखपुर उर्वरक कारखाने के स्कूल में उर्दू शिक्षक का वेतन

5733. **श्री हरिकेश बहादुर :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर उर्वरक कारखाने के स्कूल के एक उर्दू शिक्षक को उक्त स्कूल द्वारा अपने अन्य शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतनमान के अनुसार वेतन न देकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाता है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : जी, हां । राज्य सरकार के तीन भाषा सूत्र के अन्तर्गत नियुक्त उर्दू अध्यापक की नियुक्ति पर हुए खर्च की अदायगी राज्य सरकार करती है । अत: उनको अब तक के वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा ऐसे अध्यापकों के लिये निर्धारित वेतनमान के अनुसार कर दिया गया है न कि एफ० सी० आई० के वेतनमान के अनुसार । तथापि इस मामले की फिर जांच की जा रही है ।

Demand for Railway Transportation from Junagarh Chamber of Commerce

*5734. **Shri Dharamsinhbhai Patel : Will the Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether Junagarh Chamber of Commerce have made any demands to Government for railway transportation facilities and if so, when and details of the demands made;

(b) the action taken or porposed to be taken by Government thereon; and

(c) whether a meeting was held in Chamber of Commerce hall in Junagarh in April, 1977 and if so, the conclusion thereof?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) Yes. The Demands were for dieselisation of 23/24 Somnath Mail, increasing quotas Ex-Junagarh in 133 Ahmedabad-Howrah Express and in Porbandar-Delhi through coach and also for allowing passengers from Junagarh to travel in this coach upto Jetalsar.

(b) & (c). At the meeting held on 30-5-77 in the Chamber of Commerce, it was explained to the Chamber that the existing quotas in Ahmedabad-Howrah and porbandar-Delhi was not being fully utilized and that there was no traffic justification at present for dieselising 23/24 Somnath Mail and additional quotas. The same position is obtaining at present. Booking of passengers in reserved coaches from Junagarh upto jetalsar has been permitted.

ट्रान्सफार्मर श्रायल के मूल्य में वृद्धि

5735. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ट्रांसफ़ार्मर श्रायल के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है और क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उसके मूल्य कम करने का है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : ट्रान्सफ़ार्मर श्रायल (टी० श्रो०) ट्रान्सफ़ार्मर श्रायल बेस स्टाक (टी० श्रो० बी० एस०) से तैयार किया जाता है। टी०श्रो० बी० एस० का विक्रय मूल्य समय समय पर केवल सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाता है । अशोधित तेल के मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि के परिणामस्वरूप मार्च 1974 में 3,000 रुपये प्रति मी० टन की दर से अधिभार लगाया गया था । इसके परिणामस्वरूप ट्रांसफ़ार्मर श्रायल के मूल्य में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई । इस समय टी० श्रो० बी० एस० के मूल्य में कमी करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

अंकलेश्वर में नियुक्त रेलवे कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

5736. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंकलेश्वर से बैंक, डाक व तार, प्राकृतिक तेल तथा गैस आयोग और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि जैसे कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त भत्ता रेलवे कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और क्या सरकार उन्हें भी उक्त भत्ता देने पर विचार करेगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को कोई परियोजना भत्ता नहीं दिया जा रहा है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि जैसे अन्य विभागों के कर्मचारियों को परियोजना भत्ते की स्वीकृति के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी हां।

(ग) परियोजना आरम्भ होने से पहले भी अंकलेश्वर में रेल कर्मचारी काम कर रहे थे और उनके लिए मकान, स्कूल, चिकित्सा सुविधाएं आदि जैसी यथोचित सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है और वित्त मंत्रालय द्वारा इस विषय पर जारी किए गए मार्ग निर्देशन के अनुसार उन्हें परियोजना भत्ते का पात्र नहीं समझा जाता है।

राजकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन

5737. **श्री हितेन्द्र देसाई** :

श्री धर्म सिंह भाई पटेल :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अन्य उप-निर्वाचनों के साथ राजकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन न कराने के क्या कारण हैं, और

(ख) क्या यह सच है कि यहां निर्वाचन कराने के बारे में निर्णय पहले लिया गया था जिसे बाद में रद्द कर दिया गया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण): (क) गुजरात विधान सभा के एक आसीन सदस्य श्री केशुभाई सवदास भाई पटेल मार्च, 1977 में हुए गत लोक सभा के साधारण निर्वाचन में 4-राजकोट संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़े थे। उन्हें 20 मार्च, 1977 को लोक सभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया था। निर्वाचित के परिणाम की घोषणा भारत के राजपत्र में 28 मार्च, 1977 को प्रकाशित हुए थी। समसामयिक सदस्यता का प्रतिषेध नियम, 1950 के अधीन यह उपबन्ध है कि संसद में उस व्यति का स्थान जो संसद् और राज्य विधान मंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य चुना गया है, रिक्त हो जाएगा जब तक कि उसने अपने निर्वाचन की घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 14 दिन की समाप्ति के पहले ऐसे राज्य विधान मण्डल की सदस्यता से त्यागपत्र न दे दिया हो। वर्तमान मामले में यह अवधि 11 अप्रैल, 1977 को समाप्त हुई थी। श्री केशुभाई सवदास भाई पटेल ने उक्त तारीख के भीतर गुजरात विधान सभा में अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया था इसलिए लोक सभा में 4-राजकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का उनका स्थान रिक्त हो गया।

इसी बीच, लोक सभा में एक और स्थान आन्ध्र प्रदेश के 39-वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री एस० बी० गिरि की 28-4-1977 को मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त हुआ।

निर्वाचन आयोग ने 7 मई, 1977 को आन्ध्र प्रदेश में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के सामान्य पुनरीक्षण का आदेश दिया। इन निर्वाचन क्षेत्रों में 39-वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। इस पुनरीक्षण का उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों को निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित करना था जिन्होंने 1 जनवरी, 1977 को अर्हता आयु प्राप्त कर ली थीं। आयोग ने निदेश दिया है कि पुनरीक्षण कार्य 30 सितम्बर, 1977 तक पूरा हो जाना चाहिए। यह वांछनीय है कि निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण पूरा होने के बाद ही 39-वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा का उप-निर्वाचन कराया जाए। इसलिए आयोग ने विनिश्चय किया कि निर्वाचन नामावलियों का पुनरीक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद ही लोक सभा के दोनों वर्तमान रिक्त स्थानों के लिए उप-निर्वाचन अर्थात् एक उप-निर्वाचन गुजरात में 4-राजकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से और दूसरा आंध्र प्रदेश में 39-वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से कराया जाए। राज्य विधान सभाओं में 41 रिक्त स्थान हैं जिनके लिए तुरन्त निर्वाचन नहीं कराए जा रहे हैं। ये रिक्त स्थान आन्ध्र प्रदेश, आसाम, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, मणिपुर और त्रिपुरा में हैं। इन राज्यों में उप-निर्वाचन नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि रिक्त स्थान बहुत थोड़ी अवधि के लिए हैं। नागालैण्ड में, राष्ट्रपति के शासन के अधीन है, निर्वाचन नहीं कराए जा रहे हैं।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 149 के अधीन, लोक सभा में रिक्त स्थान भरने के लिए उप-निर्वाचन कराने की तारीख का विनिश्चय और उसको अधिसूचित करने का काम निर्वाचन आयोग को करना होता है। लोक सभा में ऊपर उल्लिखित दोनों रिक्त स्थानों के मामले में आयोग ने उप-निर्वाचन कराने के लिए या निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के लिए तारीख नियत करने वाली कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। परिणामस्वरूप राजकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन मुल्तवी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल श्रमिकों के सम्मेलन में प्रतिनिधियों के ले जाने के लिए विशेष गाड़ियां चलाना

5738. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** क्या रेल मंत्री रेल श्रमिकों के सम्मेलन के लिये निःशुल्क गाड़ियां चलाने के बारे में 5 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2620 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक विशेष गाड़ी द्वारा मद्रास से लगभग कितने प्रतिनिधि और/अथवा यात्री ले जाये गये तथा वहां से लाये गये, और

(ख) प्रतिनिधियों और अथवा यात्रियों से किराये के रूप में विशेष गाड़ी वार कितनी धनराशि वसूल की गई ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :—

विशेष गाड़ी से/तक	प्रतिनिधियों की संख्या	यात्रियों की संख्या	वसूल किया गया किराया (रुपयों में)
1	2	3	4
गुन्तकल्लु-रायापुरम	2345	--	--
रायापुरम-गुन्तकल्लु	1315	--	--
बेंगलूरु-रायापुरम	1435	5	90.40
रायापुरम-बेंगलूरु	1325	—	—
मदुरै-ताम्बरम	880	—	—
ताम्बरम-मदुरै	1032	—	—
तिरुच्चिरापल्ली-ताम्बरम	1370	--	--
ताम्बरम-तिरुच्चिरापल्ली	1072	—	--
ओलव्वकोड-रायापुरम	2885	69	683.08
मद्रास-बीच-ओलव्वकोड	1080	--	--

सूचना मिली है कि सभी प्रतिनिधियों ने अपने सुविधा पास पर यात्रा की है।

बीस बड़े औद्योगिक गृह

5739. **श्री किशोर लाल :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीस बड़े औद्योगिक गृहों के नाम क्या हैं, और

(ख) 1 अप्रैल, 1967 को और 1 अप्रैल, 1977 को उनमें से प्रत्येक का पूंजी निवेश कितना था ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा, फरवरी, 1973 में घोषित संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति की दृष्टि से, वे उपक्रम जो, एकाधिकार

एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और वे स्वयं अथवा अपने अन्तःसम्बन्धित उपक्रमों सहित, कुल 20 करोड़ रुपये या इससे अधिक की परिसम्पत्तियां रखते हैं, इसके कारण इस अधिनियम की धारा 20(क)के उपबन्धों को आकर्षित करते हैं, बृहद औद्योगिक घराने समझे जाते हैं। 31-12-1976 तक प्रत्येक घराने से पंजीकृत उपक्रमों की 1974 में कुल मूर्त परिसम्पत्तियों (जिनको पूंजी निवेश का प्रतिबिम्ब कहा जा सकता है) के मूल्य के अनुसार, 20 शीर्षस्थ घरानों के नाम प्रदर्शित करते हुये एक विवरण-पत्र संलग्न । 1969 तथा 1974 की परिसम्पत्तियों के मूल्य भी दिये गये हैं। 1974 के पश्चात् के वर्षों के बारे में पूर्ण सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। 1967 के वर्ष की सूचना का संकलन करना भी संभव नहीं हुआ है।

विवरण

क्रम सं० घराने का नाम	परिसम्पत्तियां (करोड़ रु० में)	
	1969	1974
1	2	3
1. टाटा	505.58	739.45
2. बिड़ला	418.49	729.36
3. मफतलाल	163.01	232.98
4. जे० के० सिंघानिया	81.84	186.36
5. थापर	94.52	167.56
6. बांगुर	182.48	164.26
7. आई० सी० आई०	104.59	160.92
8. सिंधिया	70.11	151.33
9. श्रीराम	109.56	44.09
10. ए० सी० सी०	121.97	140.96
11. वालचन्द	94.56	121.84
12. लार्जन एण्ड टोब्रो	55.16	119.55
13. किर्लोस्कर	57.25	113.28
14. मकनील एण्ड मैगोर	87.47	110.87*
15. खटाऊ (बम्बई)	54.80	107.89
16. साराभाई	52.49	105.21
17. कस्तूरभाई लालभाई	64.58	100.55
18. आई० टी० सी०	69.57	99.88
19. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	87.33	98.10
20. टी०वी०एस० आयन्गार	38.33	94.26

*बिन्नी लिमिटेड की परिसम्पत्तियां-(1974 में 43.8 करोड़ रु०) सम्मिलित नहीं है, जो पहले इस समूह में थी, परन्तु अब इस समूह से संबंधित नहीं है।

सर्दन पैट्रो-कैमिकल्स इंडस्ट्रीज कम्पनी को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस

5740. **श्री के० टी० कौसलराय** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्दन पैट्रो-कैमिकल्स इंडस्ट्रीज कम्पनी को नैपथा को 'फीस्टाक' के रूप में लेते हुए उससे उर्वरक 77 उत्पादित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है :

(ख) क्या इस नैपथा का आयात किया जाता है, और यदि हां, तो जब से कम्पनी ने उत्पादन करना आरम्भ किया है उसके बाद कितने मूल्य का आयात किया गया है;

(ग) क्या कुप्रबन्ध तथा आई० डी० बी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई० आदि जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा सर्वाधिक ऋण दिये जाने के कारण यह कम्पनी भुगतान के मामले में अपने वायदे पूरे नहीं कर सकी है :

(घ) इसके शेयर होल्डरों तथा ऋण देने वाली संस्थाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं . और

(ङ) क्या सरकार का विचार कम्पनी के कार्यों के कुप्रबन्ध की जांच करने और कम्पनी के चैयरमैन, अध्यक्ष और निदेशकों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने का है जिन्होंने अपने निजी हितों के लिए कम्पनी का दिवाला निकाल दिया ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) देश में मांग और उपलब्धता के अन्तर को पूरा करने के लिए नैफ़था का आयात जारी है। क्योंकि आयातित नैफ़था किसी विशेष संयंत्र के प्रयोग में लाने के लिए निश्चित नहीं है, अतः यह कहना संभव नहीं है कि क्या एस० पी० आई० सी० आयातित अथवा स्वदेशी निर्मित नैफ़था प्राप्त करती है।

(ग) से (ङ) कम्पनी को विभिन्न तथ्यों जैसे टूटिकोरिन में उत्पादन की उच्च लागत, कम उत्पादन मूल्य प्रारम्भिक वर्षों में उपकरण समस्याओं से उत्पादन में बाधाएं आदि से वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

उर्वरक मूल्य समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर, सरकार आवश्यक दिशा में उपयुक्त उपाय करेगी।

Grant of benefits to Strikers of Railway Strike 1974 By Janata Governments

*5741. **Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether railway employees had organised a strike in May, 1974 against the Congress Government; and

(b) if so, the benefits given by the Government to those who participated in the strike and the action taen against those who did not participate ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) The railway strike of May, 1974 was not a political move against the then Government, but it was essentially a trade union action in support of the charter of demands of railway employees.

(b) No special benefits have been given but all those who were dismissed/removed/suspended in the context of the strike have been taken back into service. Penal transfers and other minor punishments have also been cancelled. No action has been taken against those who did not participate in the strike.

कुकिंग गैस के सिलिंडरों की चलने की अवधि

5742. श्री के० सूर्यनारायण :

श्री एम० सत्यनारायण राव :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विस्फ़ोटक पदार्थों के मुख्य निरीक्षक से सुनिश्चित की गई कुकिंग गैस (एल० पी० जी०) सिलिंडर और रेग्यूलेटर की चलाने की औसतन अवधि कितनी है;

(ख) क्या 10 वर्ष से अधिक समय पहले बनाये गये और चालू किये गये कुकिंग गैस के सिलिंडर अभी भी चल रहे हैं; और

(ग) सिलिंडर चलने की अवधि के दौरान विस्फ़ोटक पदार्थ विभाग द्वारा सिलिंडर का कितनी अवधि के बाद निरीक्षण किया जाता है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) से (ग) मुख्य विस्फ़ोटक नियन्त्रक, नागपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के सिलिंडर की कोई निर्धारित अवधि नहीं है। सिलिंडर की अवधि उसको हैंन्डल करने, भंडारण की स्थिति और उसके इस्तेमाल पर निर्भर करती है। ऐसे सिलिन्डर भी हैं जो कि 20 वर्ष की अवधि से काम में आ रहे हैं। रेगुलेटर का औसतन जीवन लगभग 10 वर्ष का होता है। सिलिन्डर की कार्यावधि को उसके क्षति ग्रस्त डायफ्राम अथवा स्प्रिंग को बदलने से बढ़ाया जा सकता है।

गैस सिलिन्डर नियम, 1940 के अन्तर्गत गैस भरने वाले को सिलिन्डर में गैस को पुनः भरते समय हरेक सिलिन्डर की सावधानी से इस आशय से जांच करनी पड़ती है कि क्या सिलिन्डर गैस के पुनः भरे जाने की स्थिति में है। उक्त परीक्षण भारतीय मानक संस्थान द्वारा तैयार की गयी व्यावहारिक संहिता में निर्धारित मार्गदर्शी रूप-रेखाओं के अनुसार आयोजित किया जाता है। इस बात का पता लगाने के लिए कि सिलिन्डर के ढांचे में किसी प्रकार का स्थायी विकार अथवा रिसाव तो नहीं है, सिलिन्डरों की उक्त नियमों के अन्तर्गत यथा अपेक्षित 5 वर्ष के मध्यान्तर में जल/खनिज तेल के दाब से जांच की जाती है। विस्फ़ोटक विभाग के अधिकारी गैस भरने वाली फैक्ट्रियों में अपने दौरे के दौरान इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि गैस भरने वालों द्वारा इस प्रकार का स्पष्ट परीक्षण अवश्य किया जाये।

सभी सिलिन्डरों का, उनके निर्माण की तारीख का विचार किये बिना तब तक प्रयोग किया जाता है जब तक कि ये सिलिन्डर निर्धारित जांच-परीक्षाओं में खरे उतरते हैं।

Sonali Railway Station

5743. **Shri Yuvraj.** Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether Sonali Station on North-East Frontier Railway has quite a good income but in the absence of a 'pucca' and raised platform and shed over the entire platform the passengers are put to inconvenience;

(b) whether a letter has been sent to him by a Member of Parliament in this regard to which he has sent a reply on 7th May, 1977 to the effect that the Department was being asked for a report and a further Communication will follow; and

(c) if so, the time by which a platform, shed and a second class waiting room at this neglected station would be constructed?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) Sonali is a station on Katihar-Siliguri M.G. section of N.F. Railway and is provided with a rail-level platform, a 2nd

class waiting hall having an area of 85 sq. M, ladies and gents waiting room (for upper class passengers and sleeper coach passengers) having an area of 58 sq. M. and platform shelter having an area of 233 sq. M. The existing facilities are considered adequate for the present level of traffic.

(b) Yes.

(c) Does not arise in view of reply to part (a) above.

No Drug Plant in Madhya Pradesh

5744. **Shri Nirmal Chandra Jain:**
Shri Laxminarayan Nayak:
Shri Bhagirath Bhanwar:
Shri Govind Ram Miri.
Dr. Laxminarayan Pandeya.

Will the **Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilisers** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh is one of the States in the country where there is no drug and chemicals plant in the public sector;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Central Government are taking any steps for setting up plants in this area and if so, the details thereof?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers : (Shri H.N. Bahuguna): (a) At present, there is no chemical or drug plant in the Central Public Sector in the State of Madhya Pradesh except for a sulphuric acid plant of a capacity of 45,000 tonnes per annum in the Bhilai Steel Plant. A coal-based fertilizers project at Korba was sanctioned earlier, but the implementation of this project has been awaiting the successful commissioning of the coal based plants at Talcher and Ramagundam.

(b) There are no special reasons except the absence of viable proposals framed with reference to relevant factors such as the availability of raw materials, etc.

(c) In pursuance of a recent decision for the establishment of a drug formulation unit in each State, consideration would be given for setting up such a plant in Madhya Pradesh also.

दिल्ली में यात्रियों को अधिक आवास तथा सुविधाओं की व्यवस्था

5745. **श्री मनोरंजन भक्त:** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बढ़ते हुए यात्री यातायात की दृष्टि से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वर्तमान आवास तथा सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) हालांकि यह सच है कि दिल्ली के दो मुख्य यात्री टर्मिनल जिनके नाम दिल्ली जं० और नयी दिल्ली हैं, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं; फिर भी दिल्ली क्षेत्र में यात्री यातायात के लिए टर्मिनल क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं जैसा कि नीचे बताया गया है:—

(i) हजरत निजामुद्दीन पर एक सहायक टर्मिनल खोला गया है और इस समय इस स्टेशन पर 7 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां संभाली जा रही हैं। इससे हाल ही में दिल्ली से और दिल्ली से गुजरते हुए कुछ अतिरिक्त सवारी गाड़ियों का चलाया जाना संभव हो पाया है।

(ii) कोयला, फल और सीमेन्ट यातायात की सम्हलाई का काम नयी दिल्ली स्टेशन से हटाकर क्रमशः तुगलकाबाद, आजादपुर और शकूरवस्ती में किया जाना। इससे नयी दिल्ली स्टेशन पर और अधिक टर्मिनल सुविधाओं का बढ़ाया जाना संभव हो पायेगा।

(iii) नयी दिल्ली स्टेशन पर अतिरिक्त द्वीप प्लेटफ़ार्म तथा सहायक टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था/चरण-I.

(iv) यात्री यातायात की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दिल्ली जंकशन पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा सम्पूर्ण माल यातायात की सप्लाई का काम नयी दिल्ली से हटाकर उपयुक्त स्थान पर करने, ताकि यात्री यातायात की सप्लाई के लिए नयी दिल्ली का और अधिक विस्तार किया जा सके, के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

बड़े औद्योगिक गृहों के नियंत्रणाधीन कम्पनियां

5746. **श्री के० प्रधानी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कम्पनियों की कुल संख्या कितनी है जो बड़े औद्योगिक गृहों के नियंत्रणाधीन हैं, और

(ख) इन कम्पनियों की, इनके तुलन-पत्रों में दिखाई गई कुल परिसम्पत्तियों का मूल्य क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) सरकार द्वारा फरवरी, 1973 में घोषित संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति की दृष्टि से, वे उपक्रम जो स्वयं अथवा अपने अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों सहित 20 करोड़ रुपयों से कम नहीं, की परिसम्पत्तियां रखते हों, वे इस प्रकार अधिनियम की धारा 20(क) के उपबन्धों को आकर्षित करते हों, वृहद औद्योगिक घराने समझे जाते हैं। 31-12-1976 तक, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत इस प्रकार के 1040 उपक्रमों का पंजीकरण हुआ था।

(ख) इन उपक्रमों की परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य 1974 में 6950 करोड़ रुपये था।

मद्रास तेल शोधक कारखाने के विस्तार के प्रस्ताव को समाप्त करना

5747. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :**

श्री बसन्त साठे:

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मद्रास तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने के अपने प्रस्ताव को छोड़ दिया है;

(ख) क्या इस तेल शोधक कारखाने के विस्तार कार्यक्रम के बारे में सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और प्रस्ताव के छोड़ने के कारण क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मद्रास शोधनशाला के विस्तार के लिए तैयार की गई सम्भाव्यतों रिपोर्ट में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

(i) अशोधित क्षमता का 3.5 एम०टी०पी०ए० तक विस्तार करना,

(ii) 2,70,000 मी० टन प्रतिवर्ष तक ल्यूब खण्ड का विस्तार करना; और

(iii) 20,000 प्रतिवर्ष मी० टन क्षमता वाले मोम संयंत्र की स्थापना।

देश में पर्याप्त मात्रा में विशेष रूप से बम्बई हाई क्षेत्र में हुई तेल की खोज ने अतिरिक्त शोधन क्षमता योजना, वर्तमान शोधन क्षमता में परिवर्तन; अशोधित तेल का आयात; उत्पाद की उपलब्धता और परिवहन आदि में नए मापदण्ड प्रस्तुत किये हैं। नई शोधन क्षमता का निर्णय लेने से पहले बम्बई हाई अशोधित तेल को साफ करने के लिए विभिन्न शालाओं में संशोधन/मरम्मत करने की आवश्यकता पर विचार करना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से मद्रास शोधनशाला विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। तथापि, 15,000/20,000 मी० टन/वर्ष क्षमता के एक मोम संयंत्र की स्थापना की गुंजाइश पर गौर किया जा रहा है।

न्यू बोंगाईगांव से गोहाटी तक बड़ी लाइन

5748. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू बोंगाईगांव से गोहाटी तक प्रस्तावित बड़ी लाइन बिछाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) कार्य के पूरा होने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जून, 1977 के अन्त तक कुल मिलाकर 14 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) काम पूरा होने में विलम्ब, धन की सीमित उपलब्धता के कारण हुआ है।

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम तथा कालटैक्स द्वारा निर्मित तरल पैट्रोलियम गैस का विपणन

5749. **श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और** उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम तथा कालटैक्स तेल शोधक कारखाने द्वारा निर्मित तरल पेट्रोलियम गैस अभी भी दो अथवा तीन सोल एजेन्टों के द्वारा बेची जाती है;

(ख) क्या सरकार इन बिचौलियों को समाप्त करना चाहती है; यदि हां, तो सोल एजेंटों के साथ समझौते कब समाप्त होंगे; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश कुकिंग गैस डीलर्स एसोसिएशन द्वारा उन्हें कोई ज्ञापन दिया गया है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन खाना पकाने की गैस की थोड़ी सी मात्रा जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक उपभोक्ताओं को विपणन करता है, को छोड़कर, शेष उत्पादन दो मुख्य वितरकों के माध्यम से विपणन करता है। मैसर्स कालटैक्स भी खाना पकाने की गैस आंशिक रूप से उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लगाये गये वितरकों के जालतन्त्र से और आंशिक रूप से दो प्रमुख रियायती विक्रेताओं के माध्यम से विपणन करती है।

(ख) एच०पी०सी०एल० द्वारा इसके अपने दो प्रमुख वितरकों के साथ किये गये दोनों करार क्रमशः सितम्बर, 1977 और सितम्बर, 1978 में समाप्त होंगे। मैसर्स कालटैक्स द्वारा अपने प्रमुख रियायती विक्रेताओं के साथ दोनों करार 12 महीने के नोटिस से समाप्त किये जा सकते हैं।

इन करारों की समाप्ति पर खाना पकाने की गैस को सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से विपणन करने की व्यवस्था के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) आन्ध्र प्रदेश के खाना पकाने की गैस डीलर्स संघ ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें कालटैक्स की खाना पकाने की गैस के फुटकर एजेन्टों के लिए कमीशन में संशोधन करने के लिए कहा गया है। इस मामले की तेल मूल्य समिति द्वारा भी जांच की गई है, जिसकी अन्तिम रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है।

Proposal to invite fresh applications for allotmet of tea stall contracts at Andheri and Grant Road

5750. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2598 on the 5th July, 1977 regarding contract of tea and other stalls in Maharashtra and state:

(a) whether Government propose to adopt a uniform policy for grant of contracts of tea stalls and other stalls by reallotment of tea stall contracts at Andheri and Grant Road stations with a view to ensure working in accordance with rules; and

(b) whether Government propose to invite fresh applications for tea stalls allotted during the emergency ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) and (b) A uniform policy is already being followed in the matter of allotment of contracts of stalls. The question of re-allotment of any contract by inviting fresh applications would arise only in cases where earlier contracts awarded during emergency are found to be irregular.

As regards the tea stall contracts at Andheri and Grant Road stations, the matter is under examination.

राजभाषा के उपयोग के लिये प्रोत्साहन

5751. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान रेल मंत्री द्वारा रेल प्रशासन का कार्यभार सम्भालने के पश्चात् से रेलवे प्रशासन, जोनल रेलों तथा रेलवे के अन्य एककों में विभिन्न स्तरों पर संघ की राजभाषा (हिन्दी) के उपयोग के कार्यान्वियन का अभियान अभी चल रहा है अथवा अधिकारियों के रवैये के कारण उसमें ढील आ गई है;

(ख) जोनल रेलों द्वारा, विशेष रूप से उनमें जिनका अधिकतर कार्यक्षेत्र हिन्दी भाषी क्षेत्रों में है, क्या प्रगति प्राप्त की गई है; और

(ग) इस बात को देखते हुए कि रेलवे एक वाणिज्यिक उपक्रम है और इसका जनता से रोज-मर्रा का वास्ता है क्या जोनल रेलों में तथा उनके डिवीज़नों आदि में जहां के लोग हिन्दी जानते हैं और उसे कारोबार के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं, कार्यक्रम को अधिक गति देने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) वर्तमान रेल मंत्री द्वारा रेल प्रशासन का भार सम्भालने के बाद से हिन्दी के प्रयोग में विभिन्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कोई ढील नहीं दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक जोर दिया जा रहा है कि राजभाषा के प्रयोग से सम्बन्धित विभिन्न निदेशों का पूरी तरह पालन हो।

(ख) और (ग) हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित रेल कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग में निरन्तर वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर रेलवे पर शत-प्रतिशत कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। पश्चिम रेलवे के हिन्दी भाषी मण्डलों में, जिन्होंने 1976 में हिन्दी अपना ली थी, निरन्तर प्रगति हो रही है। ऐसी ही प्रगति मध्य और उत्तर रेलों पर भी हो रही है। हिन्दी भाषी अन्य मण्डलों, जैसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का कटिहार मण्डल, पूर्व रेलवे के दानापुर और धनबाद मण्डल तथा दक्षिण पूर्व रेलवे का बिलासपुर मण्डल में भी हिन्दी का प्रयोग निरन्तर बढ़ रहा है।

रेलों को इस आशय के अनुदेश हैं कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित स्टेशनों के लिए पास, पी०टी०ओ०, अतिरिक्त किराया टिकट, ब्लैंक पेपर टिकट हिन्दी में जारी किये जायें। इसी प्रकार, यदि बुक करने वाला और गन्तव्य दोनों ही स्टेशन हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित हों तथा प्रेषक ने अग्रेषण नोट हिन्दी में लिखा हो, तो रेल कर्मचारियों द्वारा रेलवे रसीदें देवनागरी लिपि (हिन्दी) में भरी जा सकती है। इस प्रकार उन हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित रेल कार्यालयों में, जहां जनता हिन्दी जानती है या उसने अपने काम और व्यापार के लिए हिन्दी माध्यम स्वीकार कर लिया है, हिन्दी के प्रयोग के कार्यक्रम को गहन बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है।

अमरावती तथा खामगांव का नागपुर-बम्बई ट्रंक मार्ग पर लाया जाना

5752. **श्री बसन्त साठे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अमरावती तथा खामगांव को नागपुर-बम्बई ट्रंक मार्ग पर लाने के प्रश्न पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो मामले के पूर्ण तथ्य क्या हैं; और

(ग) अमरावती तथा खामगांव के लिए पृथक-पृथक परियोजना की सम्भाव्यता पर विचार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) (क) से (ग) 1946-47 में तत्कालीन सेन्ट्रल प्राविन्सेस सरकार के अनुरोध तथा जनता के अभ्यावेदनों पर खामगांव को मुख्य लाइन पर लाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। इस प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया और तब से मार्गपरिवर्तन के लिए कोई यातायात सर्वेक्षण नहीं किया गया।

अमरावती स्टेशन को मुख्य लाइन पर लाने के लिए एक सर्वेक्षण वर्ष 1977-78 के रेलवे बजट में शामिल किया गया है और सर्वेक्षण कार्य शीघ्र ही हाथ में लिया जायेगा।

अमृतसर से हरिद्वार तक तेज चलने वाली रेलगाड़ी

5753. **डा० बलदेव प्रकाश:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब में अमृतसर से हरिद्वार तक एक सीधी तेज चलने वाली रेलगाड़ी की मांग है;

(ख) क्या इस मांग को पूरा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) जी हां।

(ख) और (ग) 349/350 सवारी गाड़ियां अमृतसर हावड़ा/देहरादून के बीच चल रही हैं। इसके लिए, दो सवारी डिब्बे अर्थात् एक पहले दर्जे का और एक 2-टियर शयन यान इन दो स्टेशनों के बीच क्रमशः 6 डाउन/41 अप-42 डाउन/5 अप और 50 डाउन/9 अप-10 डाउन/49 अप गाड़ियों

द्वारा चलाए जा रहे हैं । अमृतसर और हरिद्वार के बीच वर्तमान यातायात को देखते हुए एक अतिरिक्त गाड़ी चलाने का औचित्य नहीं बनता ।

चोरी के मामले में फंसे रेल कर्मचारी

5754. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे में 1976-77 में, ज़ोन-वार कितने रेल कर्मचारियों को चोरी के मामलों में अन्तर्ग्रस्त पाया गया और उक्त रेल कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : क्षेत्रवार स्थिति इस प्रकार है :—

1. **मध्य रेलवे** : 1976-77 के दौरान चोरी/उठाइगीरी के मामले में 222 रेलवे कमचारी शामिल पाये गये थे । उनमें से 174 पर मुकदमा चलाया गया, 40 के विरुद्ध जांच की जा रही है, 8 पर विभागीय कार्रवाई की जानी है ।

2. **पूर्व रेलवे** : 1976-77 के दौरान चोरी/उठाईगीरी के मामले में 157 रेलवे कर्मचारी शामिल पाये गये थे । उनमें से 111 पर मुकदमा चलाया गया और अन्य पर जांच हो रही है ।

3. **उत्तर रेलवे** : 1976-77 के दौरान चोरी/उठाईगिरी के मामले में 216 रेलवे कर्मचारी शामिल पाये गये थे । अनमें से 79 पर विभागीय कार्रवाई की गयी, 102 पर मुकदमा चलाया गया, 34 मामलों के विरुद्ध चांज हो रही है और एक के विरुद्ध अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी ।

4. **पूर्वोत्तर रेलवे** : 1976-77 के दौरान चोरी।उठाईगिरी के मामले में 168 रेलवे कर्मचारी शामिल पाये गये थे और सभी पर रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी ।

5. **पूर्वोत्तर सीमा रेलवे** : 1976-77 के दौरान चोरी/उठाईगीरी के मामले में 69 रेलवे कर्मचारी शामिल पाये गये थे । उनमें से 53 की जांच की जा रही है और 1 पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है ।

6. **दक्षिण रेलवे** : 1976-77 के दौरान चोरी/उठाईगीरी के मामले में 188 रेल कर्मचारी शामिल पाये गए थे । उनमें से 126 पर विभागीय तथा 62 पर रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी थी ।

7. **दक्षिण मध्य रेलवे** : 1976-77 के दौरान चोरी/उठाईगिरी के मामले में 131 रेलवे कर्मचारी शामिल पाये गये थे और उन पर मुकदमा चलाया गया था ।

8. **दक्षिण पूर्व रेलवे** : 1976-77 के दौरान चोरी/उठाईगीरी के मामले में 197 रेलवे कर्मचारी शामिल पाये गये थे । 7 व्यक्तियों को विभाग द्वारा सज़ा दी गयी, 1 को कानून द्वारा दोषी ठहराया गया, अन्य मामलों के विरुद्ध जांच विचाराधीन है/जांच होगी/होनी है/विभागीय कार्रवाई होनी है ।

9. **पश्चिम रेलवे** : 1976-77 के दौरान चोरी/उठाईगीरी के मामले में 48 रेल कर्मचारी शामिल पाये गये और उन पर मुकदमा चलाया गया था ।

Drinking water arrangement for Employees at Stations on Kalol-Vijapur Line (Western Railway)

5755. **Shri Choudhary Motibhai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

The arrangements made for drinking water for railway employees at Limbodra and Makakhad railway stations on Kalol-Vijapur railway line on Western Railway and for how many yars there is no arrangement for drinking water and the reasons therefore as also the time by which this arrangement will be made ?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate): At Lombodra Railway Station water is being drawn from the Gram Panchayat and supplied to the Railway Staff. At Makakhad Railway Station drinking water is supplied to the staff by running auxiliary water tanks from a nearby station where water is available. These arrangements are considered satisfactory for the present.

उड़ीसा में रेल लाइनों का विस्तार

5756. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में रेल लाइनों के विस्तार-कार्य में द्रुतगति लाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) (क) जी हां ।

(ख) जाखापुरा से बांसपानी तक नयी लाइन के निर्माण-कार्य का अनुमोदन किया जा चुका है और जाखापुरा से दैतारी तक के निर्माण का प्रथम चरण प्रगति पर है । नीचे दी गई रेल लाइनों के निर्माण के सर्वेक्षणों को इस वर्ष के बजट में शामिल कर लिया गया है:--

(1) तालचेर से सम्बलपुर तक नयी बड़ी लाइन,

(2) कोरापुट से पार्वतीपुरम तक नयी बड़ी लाइन

पिछले पांच/छः वर्षों के दौरान उड़ीसा में निम्नलिखित सर्वेक्षण किये गये थे :—

(1) तालचेर-विमलगढ़ बड़ी लाइन रेल सम्पर्क,

(2) रूपसा-तालबन्द छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन,

(3) जाखापुरा-बांसपानी बड़ी लाइन रेल सम्पर्क ।

साबरमती पुल के बन्द होने से साबरमती/अहमदाबाद स्टेशन पर गाड़ियों की सेवा समाप्त करना

5757. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल लाइन को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के कारण साबरमती रेल पुल बन्द है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और इसे कब तक पूरा किया जायेगा और किस अनुमानित लागत पर;

(ग) क्या इसे इस तरह बन्द करने से कई गाड़ियां साबरमती स्टेशन पर समाप्त हो जाती हैं जबकि पहले वह अहमदाबाद स्टेशन तक जाती थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि इस लाइन पर चलने वाली दैनिक यात्रियों को कम से कम असुविधा हो ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के कारण साबरमती रेलवे पुल को बन्द नहीं किया गया है । संरक्षा संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए इसे पुनः बनाया जा रहा है । सितम्बर, 1976 में शुरू होने वाले निर्माण कार्य पर लगभग 3 करोड़ रुपये

की लागत का अनुमान लगाया गया था और धन उपलब्ध होने पर आशा है 1980 तक पूरा हो जाएगा।

(ग) और (घ) पुनर्निर्माण करने और दोबार गर्डर डालने के समय थोड़े समय के लिए रेल यातायात को बन्द करना आवश्यक हो गया जिसके कारण साबरमती पर (जो कि दूसरा स्टेशन है) कुछ गाड़ियों का पुन: समय बदलना या बन्द करना अवश्यम्भावी पाया गया था।

(ङ) लाइन में रुकावट कम से कम हो, रेलवे द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है ताकि साबरमती में कुछ गाड़ियों के समयपूर्ति में फ़ेरबदल या समाप्ति के कारण दैनिक यात्रियों/यात्रियों को गाड़ियों में कम से कम परेशानी हो।

बहुउद्देश्यीय वितरण केन्द्रों में वस्तुओं की सप्लाई

5758. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुउद्देश्यीय ग्रामीण वितरण केन्द्रों में किन किन वस्तुओं में रखे जाने की अनुमति दी गई है;

(ख) इन केन्द्रों को उन वस्तुओं को नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी क्या पाबन्दियां लगाई गई हैं जिससे इन केन्द्रों को चलाने वाले व्यक्ति मुनाफ़ाखोरी न करें?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बहुउद्देश्यीय वितरण केन्द्र निम्नलिखित कुछ अथवा सभी मद्दों की बिक्री कर रहे हैं —

(i) पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात् मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल तेल, हल्का डीजल तेल, मिट्टी, या तेल और स्नेहक तेल;

(ii) कृषि निवेश, अर्थात् बीज, उर्वरक और कीटनाशी औषधियां;

(iii) अन-अनुसूचित औषधियां तथा दवाईयां, प्रथम उपचार किटें और "निरोध"।

(vi) ट्रकों, ट्रैक्टरों और कृषि औज़ारों के फ़ालतू पुर्जे और सहायक साधन;

(v) डाक टिकटें, मिट्टी के तेल का "नूतन" नामक स्टोव, बेटरियां, बैटरियों के सैल, साईकिल टायर और ट्यूब, और भिन्न-भिन्न किस्म के नियंत्रित कपड़े जैसी सामान्य वाणिज्यिक सामग्रियां।

(vi) किराना-पंसारी का माल और खाद्य तेल;

(vii) जनता दुर्घटना बीमा पालिसियों जैसी अन्य सेवाएं जुटाना;

(ख) पेट्रोलियम उत्पाद, कृषि निवेश, औषधियां और भिन्न-भिन्न किस्म का कन्ट्रोल का कपड़ा अधिकांश रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन एककों के माध्यम से उपलब्ध किया जाता है। अन्य सामान प्रमुख उत्पादनकर्ताओं/स्थानीय ख्याती प्राप्त डीलरों से खरीदा जाता है। तेल कम्पनियों ने एक कार्यकारी समिति का गठन किया है जो कि सामग्रियों के प्रापण और उनके अपने केन्द्रों को वितरण करने से सम्बन्धित सभी मामलों की देखभाल करती है।

(ग) उपलब्ध मद्दों की सूची और उनके बिक्री मूल्यों को बहुउद्देश्यीय वितरण केन्द्रों में प्रदर्शित किया जाता है। तेल कम्पनियों के क्षेत्रीय कर्मचारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि बहुउद्देशीय वितरण केन्द्रों के डीलर लाभ कमाने में व्यस्त न हों, इन केंद्रों की आवधिक जांच-पड़ताल न करते हैं।

मई, 1977 के दौरान कलकत्ता ले जाये गये प्रेस संवाददाता

5759. **डा० बापू कालदाते:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1977 के अंतिम सप्ताह में प्रेस संवाददाताओं के एक दल को कलकत्ता ले जाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन संवाददाताओं के नाम क्या हैं और वे किन-किन समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ग) क्या एक ऐसे संवाददाता को भी उक्त दल में शामिल किया गया था, जिसके पास प्रत्यय पत्र नहीं था; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) संवाददाताओं के नाम और उन समाचारपत्रों के नाम, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, नीचे दिये गये हैं।

संवाददाता का नाम	समाचार पत्र का नाम
1. श्री आशिम चौधरी	इण्डियन एक्सप्रेस
2. श्री गिरीश चन्द्र	फ़ाइनेनशियल एक्सप्रेस
3. श्री एस० के० सांगल	इकानामिक टाइम्स
4. श्री वी०पी० नायक	गोमान्तक, पणजी, गोआ
5. श्री अनिल वर्मा	समाचर (हिन्दी)
6. श्री वी०आर० विस्वास	समाचार (अंग्रेजी)
7. श्री एन० के० त्रिखा	नवभारत टाइम्स
8. श्री नाज़ अंसारी	अलजामइत (उर्दू)
9. श्री गुहे	आकाशवाणी
10. श्री आर० कुलकर्णी	केसरी, पूना
11. श्री ए०एन० सात्विक	गावकरी, नासिक

(ग) जी हां।

(घ) उपर्युक्त प्रेस पार्टी के प्रस्तावित दौरे के लिए स्थानीय समाचार पत्रों के सम्पादकों और बाहरी समाचार पत्रों के नयी दिल्ली स्थित ब्यूरो प्रमुखों के नाम 20 नियन्त्रण पत्र जारी करके उनसे

अनुरोध किया गया था कि वे अपने ऐसे प्रतिनिधि नामित करें जो विशेष रूप से रेलों के काम से संबंधित हों। उनमें से 11 ने निमन्त्रण स्वीकार किया और अपने प्रतिनिधि नामित कर दिये। यह देखा गया कि नामित प्रतिनिधियों में से तीन प्रतिनिधि अधिकृत नहीं थे। ये थे फ़ाइनेनशियल एक्सप्रेस के श्री गिरीश चन्द्र, केसरी के श्री आर० कुलकर्णी और समाचार (हिन्दी) के श्री अनिल वर्मा। इसलिए इन समाचार पत्रों/एजेंसी से अनुरोध किया गया कि अपने अधिकृत संवाददाताओं को नामित करें। लेकिन, उन्होंने कहा कि नामित प्रतिनिधि रेलों के काम से पूरी तरह परिचित हैं और वे रेलों से संबंधित काम करते रहे हैं। इसलिए वे उद्देश्यपूर्ण समाचार देने के लिए सर्वथा उपयुक्त है।

श्री आर० कुलकर्णी के सम्बन्ध में इस मंत्रालय को सूचित किया गया है कि उन्होंने हाल ही में दिल्ली में 'केसरी' के अधिकृत संवाददाता के रूप में काम सम्हाला है और उन्होंने मान्यता प्राप्त करने के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अब उन्हें अस्थायी रूप से मान्यता मिल चुकी है।

Review Committee on Grants to Institute of Constitutional and Parliamentary Studies

†5760. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) Whether a Review Committee had been appointed in 1972 for enhancing the grant to the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies ;

(b) if so, the date on which the Committee submitted its report ;

(c) the special conditions laid down in the report ;

(d) whether the Managing Committee of the Institute has accepted those conditions;

(e) if the conditions have been accepted partially, which of the conditions have not been accepted; and

(f) the time by which a decision is proposed to be taken by the Government in this regard ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs : (Shri Shanti Bhushan) ;

(a) In November, 1972, the Government constituted a Committee to review the working of the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies.

(b) On the 28th June, 1973.

(c),(d) & (e) The Report of the Committee containing various recommendations, together with the Comments of the Institute thereon, are under consideration of the Government.

(f) As early as possible.

Factories Manufacturing Railway Coaches

5761. **Shri Ishwar Choudhry** :Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) The number of various factories in the country which manufacture railway coaches;

(b) the actual production in these factories during the last three years as against their production capacity; and

(c) the number of these factories in public sector and private sector separately ?

The Minister for Railways (Prof. Madhu Dandavate) ;

(a) Following are the three factories in the country who are manufacturing Railway Coaches :

(i) Integral Coach Factory Perambur, Madras (Under Ministry of Railways).

(ii) M/s. Bharat Earth Movers Ltd., Bangalore (Under Ministry of Defence)

(iii) M/s. Jessop & Co. Ltd., Calcutta (Under Ministry of Industry).

(b) The actual production of these three units against Ministry of Railways' orders are as under :

	Annual installed capacity	Actual production during la 3 years. 1974-75	1975-76	1976-77
Integral Coach Factory, Madras	750	549	508	558
Bharat Earth Movers Ltd. Bangalore	400	253	220	180
Jessop & Co. Ltd. Calcutta.	350 (as claimed by the firm).	207	178	146

(c) All the three units are in the Public Sector.

Cases pending in High Courts for more than Seven years

†5762. **Shri Raghabji:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state the number of cases pending in different High Courts for more than seven years as on 30th June, 1977?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhusan): The information as on 30th June, 1977 is not available, A statement giving the number of cases pending in different High Courts as on 31st December, 1976 is placed on the Table of the House.

Statement

Name of the High Court	No. of cases pending
1. Allahabad	12,097
2. Andhra Pradesh	2
3. Bombay	3,228
4. Calcutta	14,328
5. Delhi	1,770
6. Gauhati	154
7. Gujarat	23
8. Himachal Pradesh	72
9. Jammu & Kashmir	41
10. Karnataka	5
11. Kerala	1
12. Madhya Pradesh	1,380
13. Madras	196
14. Orissa	131
15. Patna	2,379
16. Punjab & Haryana	4,371
17. Rajasthan	844
18. Sikkim	Nil

अधिवक्ता अधिनियम का संशोधन

5763. **श्री हरि बिष्णु कामत : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात स्थिति, जो 26 जून, 1975 को लागू हुई थी, के दौरान अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का संशोधन किया गया था जिससे भारत की विविध परिषद् और प्रत्येक राज्य विधिक परिषद् के अध्यक्ष के निर्वाचन का जो अच्छा सिद्धांत है उसके स्थान पर सरकार द्वारा नामनिर्देशन का सिद्धांत अपनाया गया; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संशोधन को रद्द करके निर्वाचन कराने के मूल उपबन्ध को बहाल करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) अधिवक्ता (संशोधन) अधियम, 1976 द्वारा, जो आपात स्थिति के दौरान अधिनियमित किया गया था, यह उपबन्ध किया गया था कि महान्यायवादी, भारतीय विधिज्ञ परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा और राज्य विधिज्ञ परिषदों के मामले में राज्य का महाधिवक्ता पदेन अध्यक्ष होगा। उन विधिज्ञ परिषदों की दशा में जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों पर है, यह उपबंध किया गया था कि उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य का महाधिवक्ता बारी बारी से दो वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष होगा। दिल्ली विधिज्ञ परिषद् के मामले में, यह उपबंध किया गया था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित अधिवक्ता दो वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष होगा।

(ख) 1976 में किए गए संशोधन के पूर्व जो स्थिति थी उसे फ़िर से स्थापित करने की दृष्टि से सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

भारत-बर्मा पैट्रोलियम कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता कार्यान्वित न होना

5764. **श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों तथा श्रमिक संघ द्वारा प्रारूप समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी भारत-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी का अन्तिम दीर्घकालीन समझौता सरकारी उपक्रम ब्यूरो और उनके मंत्रालय द्वारा अनुमोदित न किए जाने के बाद एक वर्ष से अधिक समय से कार्यान्वित नहीं किया जा सका है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इंडो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड के बज-बज प्रतिस्थापना के श्रमिक कर्मचारियों को सम्मिलित करने वाले दीर्घकालीन समझौते से संबंधित प्रस्ताव को पारित करने में कुछ विलम्ब हुआ है। अब इस प्रस्ताव को सरकार द्वारा पारित कर दिया गया है।

मजदूर संघों की गतिविधियों में भाग लेने के कारण दंडित श्रमिकों के मामलों पर पुनः विचार किया जाना

5765. **श्री दिनेश जोरदार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने मजदूर संघों की गतिविधियों और आन्दोलनों में भाग लेने के कारण वर्ष 1974 की हड़ताल से पहले और बाद में दण्डित श्रमिकों के मामलों पर पुनः विचार करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) उपरोक्त दण्डित श्रमिकों के प्रति सरकार का रवैया क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) और (ख) रेल मंत्री के बजट भाषण में यह स्पष्ट किया गया था कि मई, 1974 की हड़ताल के कारण नौकरी से बर्खास्त किये गये और निकाले गये सभी कर्मचारियों को बहाल कर दिया जायेगा, सभी सेवा भंग माफ़ कर दिये जायेंगे, स्थानान्तरण रद्द कर दिये जायेंगे तथा ऐसी सभी दण्डात्मक कार्रवाईयों का परिशोधन किया जायेगा। इसे कार्यान्वित कर दिया गया है।

Railway Line from Sahjanwa Railway Station Via Villages in Bansgaon Tehsil

†5766. **Shri Phirangi Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is a scheme for construction of a railway line from Sahjanwa Railway Station via the Villages in the Bansgaon Tehsail on the North-Eastern Railway, Gorakhpur;

(b) If so, the number of surveys made so far; and

(c) the progress made so far and when the work is likely to be started ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) to (c) Yes, a survey for construction of railway line from Sahjanwa to Dohrighat via Bansgaon has been completed and the report is under examination. A decision on the construction of the project will be taken after the examination of the report is completed and would depend upon the availability of resources.

निजामाबाद और रामगुन्डम के बीच करी नगर होती हुई रेल लाइन का सर्वेक्षण

5767. **श्री एम० सत्यनारायण राव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निज़ामाबाद और रामगुण्डम के बीच करीमनगर होती हुई प्रस्तावित रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) रामागुंडम से निज़ामाबाद तक और करीमनगर होकर हसनपर्ती रोड से निजामाबाद तक बड़ी लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण हाल ही में पूरा हुआ है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

मरुआदीह और गरहारा यार्डों पर लोडरों को न्यूनतम मजूरी का भुगतान न किया जाना

5768. **श्री तरुण गोगोई :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मरुआदीह ट्रांसशिपमेंट यार्ड पूर्वोत्तर रेलवे और गरहारा ट्रांशिपमेंट यार्ड (पूर्वोत्तर रेलवे) पर काम कर रहे माल लादने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी आयोग द्वारा निर्धारित मजूरी-दर से भी कम दर पर मजूरी मिल रही है ;

(ख) क्या मरुआदीह में गत पांच वर्ष या इससे भी अधिक से काम कर रहे लोडरों को नियमित नहीं किया गया है और उन्हें जितना वेतन मिलना चाहिए उससे भी कम प्राप्त हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उनके साथ न्याय करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) रेलों के यानान्तरण यार्डों में माल चढ़ाने-उतारने का काम न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनुसूचित काम नहीं है और इसलिए पूर्वोत्तर रेलवे के मंडुआडीह (न कि मरुआडीह) यानान्तरण यार्ड में नियोजित मजदूरों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मजूरी की कोई न्यूनतम दर अधिसूचित नहीं की गयी है । गडहरा यानान्तरण यार्ड में कार्यरत मजदूरों को, जो विभाग द्वारा नियोजित किये गये हैं, संशोधित वेतनमान के हिसाब से भुगतान किया जाता है।

(ख) और (ग) मंडुआडीह में यानान्तरण सम्बन्धी काम तत्कालीन सेंट्रल लेबर डिपो, जो अब सेंट्रल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज (लेबर), गोरखपुर, कहलाता है, तथा नयी दिल्ली के श्रम मंत्रालय के संगठन के श्रमिकों द्वारा किया जाता है। ये श्रमिक रेल कर्मचारी नहीं हैं। उन्हें सेंट्रल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज (लेबर) द्वारा एक वर्ष के लिए भर्ती किया जाता है और एक वर्ष पूरा हो जाने के बाद उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है। इसलिए उन्हें नियमित रेल कर्मचारी बनाने का प्रश्न नहीं उठता। सेंट्रल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के साथ किये गये करार की शर्तों के अनुसार, इन माल चढ़ाने-उतारने वाले श्रमिकों को इस समय 6 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान दिया जाता है तथा किट-वर्दियां, खाना पकाने के बर्तन, रहने के लिए स्थान, पानी और बिजली, डाक्टरी सुविधाएं आदि अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। कार्यभार संभालने के लिए आने एवं प्रत्यावर्तन के समय उन्हें मुफ्त पास भी दिये जाते हैं।

रेलवे में खान-पान व्यवस्था

5769. **श्री पी० एस० रामलिंगम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेलवे में खान-पान की व्यवस्था अब भी अपेक्षित स्तर की नहीं है, क्योंकि वहां दिये जा रहे खाद्य-पदार्थ अस्वास्थ्यकर होते हैं और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) स्वच्छ और स्वास्थ्यकर भोजन सप्लाई करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है । यदि कोई विशिष्ट शिकायतें या सुझाव सरकार के ध्यान में लायी जायेंगी, तो उन पर समुचित कार्रवाई की जायेगी ।

(ख) रेलों पर खान-पान व्यवस्था और भोजन की किस्म में और अधिक सुधार करने के लिए रेलों ने कई उपाय किये हैं जैसे--आधुनिक पाक-तकनीक का प्रयोग करना, रसोई के आधुनिक साज-सामान और उपस्करों का उपयोग करना, गाड़ियों में 'तैयार भोजन' सप्लाई करने के लिए आधार रसोईघर स्थापित करना, रसोई के लिए कच्चा सामान मान्य स्रोतों से खरीदना । भोजन स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में तैयार हो, यह सुनिश्चित करने के लिए ही आधार रसोईघर बनाये गये हैं क्योंकि भोजन यानों की संकुचित जगह में खाना पकाना तथा बर्तनों की धुलाई-सफाई सन्तोषजनक ढंग से नहीं होती । क्राकरी, कटलरी, बर्तन आदि की समुचित धुलाई-सफाई तथा खान-पान स्थापनाओं में सफाई रखने के लिए रेलों को सख्त हिदायतें दी गयी हैं । इन हिदायतों का कड़ाई से पालन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षकों तथा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से छापे मारे जाते हैं और अचानक निरीक्षण किये जाते हैं । स्थैनिक तथा अचल यूनिटों में उत्तरोत्तर धुलाई के आधुनिक उपस्करों जैसे निष्कीटक भाप द्वारा धुलाई सहित उपयुक्त धुलाई सिन्क की व्यवस्था की जा रही है । बड़े-बड़े स्टेशनों पर जहां धुलाई का काम बहुत अधिक होता है, धुलाई की केन्द्रीकृत प्रणाली स्थापित की जा रही है । रेलें खान-पान स्थापनाओं में धुलाई सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है तथा इस पहलू पर बहुत निकट से बराबर नज़र रखती है ।

अरुधंगी से मनपड़िया तक रेलवे लाइन का निर्माण

5770. **श्री वी० एस० एलनचेजियन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुधंगी से मनपड़िया तक, उस क्षेत्र के लोगों के लिए अति अपेक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए, सरकार रेल लाइन बनाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन के निर्माण का यदि कोई प्रस्ताव है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) अरुधंगी से मनपराय तक लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

Alcohol Supplied to Synthetic and Chemicals Ltd., Bareilley

5771. **Shri Surendra Bikram** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

The quantity and the value of the alcohol supplied to synthetic and Chemicals Limited Bareilly every month ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilisers (Shri H. N. Bahuguna): According to the information furnisehd by the Government of Uttar Pradesh, the quantities of alcohol, lifted, month-wise, by M/s. Synthetics and Chemicals Ltd., Bareilly during the current alcohol year from December, 1976 to June, 1977 are as follows.

December, 1976	—44,48,793.7 litres
January, 1977	—58,21,555.8 litres
February, 1977	—65,58,597.4 litres
March, 1977	—61,69,175.8 litres
April, 1977	—58,06,887.2 litres
May, 1977	—64,64,394.4 litres
June, 1977	—55,28,699.8 litres
	4,07,98,104.1 litres

The total value of the alcohol comes to Rs. 3,79,42,211. This does not include purchase tax which is *sub-judice*.

नंगल-बांध-तलवाड़ा रेल लाइन का पूरा होना

5772. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल बांध से तलवाड़ा तक रेल लाइन का उद्घाटन तत्कालीन रेल मंत्री ने दिसम्बर, 1974 में अम्ब (हिमाचल प्रदेश) में किया था; और यदि हां, तो क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1977 तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या लोक सभा के मार्च, 1977 के चुनाव के दौरान सर्वेक्षण दल के कुछ टेन्ट ऊंना से अम्ब के बीच लगाये गये थे और यदि हां, तो ऐसे आदेश किसने दिये थे;

(घ) यह रेल लाइन कब तक पूरी होगी और इसके पूरा होने पर कितना खर्च आयेगा,

(ङ) क्या दिसम्बर, 1974 में उद्घाटन से पूर्व योजना आयोग से परामर्श किया गया था, और

(च) क्या इस क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने और रक्षा की दूसरी पंक्ति बनाने के उद्देश्य से रेल बोर्ड का विचार नंगल-तलवाड़ा को पूरा करने का कार्य तत्काल देश के हित में अपने हाथ में लेने का है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) अन्तिम स्थान निर्धारण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कार्य 9.48 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर हाल ही में पूरा किया गया है ।

(ग) अन्तिम स्थान निर्धारण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण मार्च, 1977 में लोक सभा के चुनाव के दौरान भी चालू था और इस सर्वेक्षण के सम्बन्ध में अम्ब पर एक तम्बू गाड़ा जाना था । चूंकि सर्वेक्षण किया जा रहा था, इसलिए सामान्य सर्वेक्षण कार्य को चलाने के लिए कोई विशिष्ट आदेश अपेक्षित नहीं थे ।

(घ) परियोजना की अनुमानित लागत 22.47 करोड़ रुपये है । लाइन के निर्माण के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है और इसके पूर्ण हो जाने की अभी कोई अन्तिम तारीख नहीं बतलायी जा सकती ।

(ङ) 1974-75 के दौरान इस कार्य को प्रारम्भ करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान करने के लिए योजना आयोग को अक्टूबर, 1974 में लिखा गया था ।

(च) रेलें पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए उत्सुक हैं जिनमें नांगल डैम-तलवाड़ा रेलवे परियोजना भी शामिल है । किन्तु साधनों की अत्याधिक कमी के कारण इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ करना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है ।

कम्पनी अधिनियम के पुनरीक्षण के लिए समिति

5773. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है,

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ग) यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है,

(घ) उक्त समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं, और

(ङ) प्राप्त अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) तथा (ग) सरकार द्वारा कुछ संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों से जो इस मामले में इच्छुक हैं, अभ्यावेदन प्राप्त किये गये हैं । अन्य बातों के साथ-साथ प्रेरणा मिली है कि समिति में अल्पसंख्यक शेयरधारियों, पब्लिक सेक्टर और लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों आदि को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए ।

(घ) समिति में एक अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य हैं । ये सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं । पद नामित अध्यक्ष के त्यागपत्र देने के कारण रिक्त स्थान की अभी पूर्ति नहीं की गई है ।

(ङ) समिति की रिपोर्ट सिफारिशी होगी, जिस पर सरकार को निर्णय करना पड़ेगा । अत: समिति द्वारा अपने सुझावों को अन्तिम रूप देने से पूर्व वाणिज्य मण्डलों, शेयरधारियों और अन्य व्यक्तियों

के संगठनों, संस्थाओं तथा संगठनों को, जो समिति के सम्मुख साक्ष्य देना चाहें, अवसर देगी । इसलिए यह प्रतिकूल है कि किसी समूह या संगठन के हितों की उपेक्षा की जाएगी ।

विवरण

1. श्री के० एस० हेगडे, संसद सदस्य (सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायमूर्ति)	अध्यक्ष
2. श्री आर० डी० गट्टानी, संसद सदस्य (राजस्थान उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायमूर्ति)	सदस्य
3. श्री बेदव्रत बरुआ, संसद सदस्य	सदस्य
4. श्री एफ० एस० नारिमन, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय (भारत के भूतपूर्व अपर सोलिसिटर जनरल आफ इण्डिया)	सदस्य
5. श्री सान्तनू देसाई, एफ०सी०ए० अध्यक्ष मर्चेन्ट्स चेम्बर आफ कामर्स, बम्बई (भारतीय शासप्राप्त लेखापाल संस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष)	सदस्य
6. श्री एम० श्रीनिवासराव, एफ०आई०सी०डब्ल्यू०ए० व्यवसायिक लेखापाल (भारतीय लागत और निर्माण लेखापाल संस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष और भारतीय कम्पनी सचिवीय संस्थान के सदस्य)	सदस्य
7. श्री एस० रंगानाथन्, संसद सदस्य, (भारत के भूतपूर्व नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक)	सदस्य
8. श्री डी० सी० कोठारी, उद्योगपति मद्रास (भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल के महासंघ के भूतपूर्व अध्यक्ष और अध्यक्ष, एशियन चेम्बर आफ कामर्स)	सदस्य
9. श्री केशव महेन्द्रा, उद्योगपति, बम्बई	सदस्य
10. श्री के० पी० त्रिपाठी, श्रमिक नेता (भूतपूर्व असम मंत्री)	सदस्य
11. श्री के० के० रे, बैरिस्टर-एट-ला, सचिव, कम्पनी कार्य विभाग	सचिव

कोचीन तेल शोधक कारखाने में पूंजी निवेश

5774. **श्री ओ० वी० अलगेशन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने में पूंजीगत आस्तियों के रूप में कुल कितनी राशि लगी है;

(ख) गत तीन वर्षों में पूंजीगत आस्तियों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) ये पूंजीगत आस्तियां किन देशों से मंगाई गई थीं; और

(घ) इन खरीद के सौदों पर भारतीयों ने कमीशन आदि के रूप में कितनी राशि कमाई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कोचीन शोधन-शाला में 31 अगस्त, 1970 को यथास्थिति के अनुसार कुल 32.47 करोड़ रुपये की धनराशि पूंजीगत आस्तियों के रूप में लगाई गई थी।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत आस्तियों के रूप में लगाई गई अतिरिक्त धनराशि नीचे दी गई है:--

31 अगस्त, 1974 की यथास्थिति के अनुसार .	4.10 करोड़ रुपये
31 अगस्त, 1975 की यथास्थिति के अनुसार .	0.54 करोड़ रुपए
31 अगस्त, 1976 की यथास्थिति के अनुसार . . .	0.58 करोड़ रुपए

(ग) पूंजीगत आस्तियां अमरीका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, कनाडा, इटली, हालैंड, डैनमार्क और पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त की गई थीं।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी पूर्ति कर्ताओं के एजेन्टों के रूप में काम करने वाली भारतीय कम्पनियों को कमीशन के रूप में दी गई कुल धनराशि नीचे दर्शाई गई है:--

1 सितम्बर से 31 अगस्त तक कम्पनी का वित्तीय वर्ष	धनराशि रुपये
1973-74	1,30,494
1974-75 . . .	--
1975-76	3,176
कुल .	1,33,670

Employment to persons after training in Railway Workshop Bikaner

†5775. **Shri Bega Ram Chauhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the persons imparted training in the railway Workshop, Bikaner, are not provided employment after completion of training.

(b) whether travelling facility is not given to the trainees coming from other places and also to apprentices and no arrangement to residential accommodation for trainees exist;

(c) whether Government propose to provide jobs to them in the Railways, if so, by what time the trained persons will be provided jobs;

(d) whether Government propose to provide travelling facility to the trainees and also make arrangements for their residential accommodation, if so, by what time; and

(e) whether Government propose to expand the Bikaner Railway workshop and if so, when ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) & (c) The Apprentices Act has placed a statutory obligation on all industries including Railways to train apprentices but there is no obligation to give employment to the apprentices when they complete the training. The extent to which the apprentices can be absorbed without seriously reduring the promotional chances of existing unskilled and semi-skilled staff is under consideration. (b) & (d) Act Apprentices are not eligible for any travelling facility. As a policy, they are also not provided hostel accommodation.

(e) : There is at present no proposal under consideration of the Government for expansion of Bikaner Railway Workshop.

स्थानीय गाड़ियों में डोम्बिवली की महिला यात्रियों को होने वाली असुविधा के बारे में अभ्यावेदन

5776. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को जून, 1977 में महाराष्ट्र के (जिला थाना) के डोम्बिवली की महिला यात्रियों की ओर से, उन्हें होने वाली असुविधा के बारे में एक लिखित अभ्यावेदन मिला था; और

(ख) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है अथवा करेगी और कब ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) डोम्बिवली से आरम्भ करके उपनगरीय गाड़ियों का चलाया जाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। महिलाओं के डिब्बों में पुरुष यात्रियों और ड्यूटी से निवृत्त हुए सिपाहियों द्वारा यात्रा को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाए गए हैं।

भारत के पंजीकृत विदेशी मूल के ईसाई निकाय

5777. **श्री के० मालन्ना:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी मूल के कितने ईसाई निकाय भारत में पंजीकृत हैं–

(ख) उनमें से प्रत्येक ने भारत में कितना पूंजी निवेश किया है, और

(ग) व्यापार तथा निर्माण सम्बन्धी गतिविधियों सहित कम्पनी के रूप में उनकी गतिविधियों का स्वरूप क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 592 के अन्तर्गत विदेशी मूल के ईसाई निकायों की 15 शाखायें पंजीकृत थीं।

(ख) तथा (ग) भारत में उनके नियोजन, अर्थात्, भारत में अनकी परिसम्पत्तियों का मूल्य तथा उनके कार्यकलापों की प्रकृति की बाबत सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी जा रही है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 890/77]

Decline in Production of Diesel Engines and Their Import

5778. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that production of railway diesel engines has declined in the country and if so, the reasons therefor ;

(b) whether Government had to import diesel engines from foreign countries to meet this shortage ; and

(c) if so, the number of such engines imported by Government during the last three years and whether some engines are still to be imported and the amount of expenditure incurred thereon ?

The Ministry of Railway (Prof.Madhu Dandavate). (a) & (b) ; No

(c) Does not arise

नई दिल्ली स्टेशन के केला साइडिंग में विलम्ब शुल्क

5779. **श्रीमती विमा घोष गोस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्टेशन के केला साइडिंग में 1-7-73 से 31-12-74 तक लगाया गया और छोड़ा गया विलम्ब शुल्क 1-7-70 से 30-6-71 तक, 1-7-71 से 30-6-72 तक और 1-7-72 से 30-6-73 तक की अवधियों में लगे और छोड़े गये शुल्क से अधिक था; और

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली के केला साइडिंग में 1-7-73 से 31-12-74 तक काम करने वाले पार्सल कर्मचारियों को 'रेल सप्ताह 1976' में 500 रुपए का पुरस्कार देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) यह पुरस्कार इनमें से एक पार्सल क्लर्क द्वारा लगेज सुपरवाइज़र के रूप में किये गये अच्छे काम के लिए दिया गया था ।

मजदूर संघ के लिए चन्दा इकट्ठा करने के लिए दंडित चितरंजन लोको मोटिव वर्कस के कर्मचारी

5780. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स लेबर यूनियन नामक पंजीकृत मज़दूर संघ के लिये चन्दा इकट्ठा करने के कारण चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों को दण्ड, आरोप-पत्र दिए गये हैं अथवा उन्हें मुअत्तिल किया गया है,

(ख) क्या मज़दूर संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत मज़दूर संघों के लिए चन्दा इकट्ठा करना रेलवे सेवा आचरण नियम, 1966 के अन्तर्गत वर्जित है, और

(ग) यदि हां, तो रेलवे में मज़दूर संघों के लिए चन्दा किस प्रकार इकट्ठा किया जाता है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Setting up of Fertilizers Factories based on Coal

5781. **Shri S.S. Somani** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether Government have taken initiative for setting up fertilizer plants based on coal in the country ;

(b) whether indigenous technical know-how is available for such project ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna): (a) Presently three coal based fertilizer plants at Ramagundam, Talcher and Korba, each with a capacity of 228, 000 tonnes of Nitrogen per annum in the form of urea are under various stages of implementation. The first two projects are expected to go on stream by the middle of 1978.

(b) & (c) : The process know-how for the production of fertilizers on a commercial scale with coal as feedstock has not so far been established in the country.

"जज इन एक्स पी० एम्स केस एलैजिज थ्रेट टू लाइफ" शीर्षक समाचार

5782. श्री आर०के० महालगी :
डा० वसन्त कुमारपंडित :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1977 के 'दि टाइम्स आफ़ इंडिया' में 'जज इन एक्स पी० एम्स केस एलैजेज थ्रेट टू लाइफ़' शीर्षक समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस असंवैधानिक कार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां।

(ख) सरकार का ध्यान उक्त समाचार के बारे में 19-7-1977 के 'दि टाइम्स आफ़ इंडिया' में प्रकाशित श्री न्यायमूर्ति वी० आर० कृष्ण अय्यर के सम्पादक के नाम पत्र की ओर भी आकर्षित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रवंध हैं।

इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) में आपात स्थिति के दौरान तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

5783. श्री सुभाष आहूजा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट द्वारा अपनी स्वयं की शक्तियों के अधीन तथा तत्कालीन रेलवे सचिवालय मन्त्री द्वारा उन्हें दिये गये अनुदेशों के आधार पर इलाहाबाद डिवीजन में आपात स्थिति के काले दिनों के दौरान तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारियों की सांठ-गांठ से कुछ कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें रेलवे बोर्ड सचिवालय से गुप्त अनुदेश मिले हुए थे कि गैर-कानूनी धनराशि कमाने के लिये वे इन व्यक्तियों की सहायता करें, इलाहाबाद डिवीजन में इन नियुक्तियों के मामले में कदाचार किये गये थे;

(ग) क्या सरकार को पता है कि डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट, इलाहाबाद ने श्रमिकों को परेशान करने के लिये आपात-स्थिति के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) तत्कालीन मंत्रियों के आदेश पर श्रेणी IV के पदों पर एवजीदारों के रूप में 198 व्यक्तियों को केवल तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था।

(ख) और (ग) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

माल उतारने चढ़ाने सम्बन्धी ठेके

5784. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या **रेल** मंत्री माल उतारने-चढ़ाने संबंधी ठेकों के बारे में 5 जुलाई, 77 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2574 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय अधिकारियों द्वारा न्यूनतम मजूरी दर क्या निर्धारित की गई थी और जहां वह नहीं है, वहां पर इलाहाबाद, मिर्जापुर, नैनी, जूही टी० पी० टी०, कानपुर सेंट्रल गुड्स शैड, कूपरगंज

(एम० जी०), टुंडला और चुनार में माल उतारने-चढ़ाने संबंधी ठेकों से संबंधत प्रत्येक काम के लिये दरें निर्धारित करते समय दर निर्धारण समिति ने किस मार्किट दर को ध्यान में रखा था;

(ख) विभिन्न स्थानों पर किये जाने वाले काम की समान मदों के लिये भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित करने हेतु अन्य किन बातों को ध्यान में रखा जाता है जब ऐसे काम करने वाले श्रमिक वही हों परन्तु उनकी मजूरी दर में थोड़ा-बहुत अन्तर हो; और

(ग) क्या सरकार का विचार सोसायटियों के साथ बातचीत करके और ठेके के संबंधित खण्ड का उपयोग करके ठेका समाप्त करके असाधारण रूप से ऊंची दरों को कम करने का है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधुदंडवते) : (क) दर निर्धारण समितियों ने स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मजदूरी दरों पर विचार किया था :

इलाहाबाद	6.50 रु०
कूपरगंज	6.50 रु०
मिरजापुर	5.50 रु०
नैनी	5.50 रु०
चुनार	5.50 रु०
टूंडला	5.50 रु०
कानपुर सेन्ट्रल माल गोदाम	5.30 रु०
जूही (टी० पी० टी०)	5.30 रु०

(ख) और (ग) वरिष्ठ वेतनमान के तीन अधिकारियों की एक समिति दरों के संबंध में सहकारी समितियों के साथ बातचीत करती है जो यातायात की मात्रा, विभिन्न मदों के लिए भूतपूर्व ठेकेदारों द्वारा निर्धारित दरों, एक विशेष क्षेत्र में अन्य ठेकों के संबंध में विभिन्न मदों के लिए निर्धारित दरों का ध्यान रखती है । असाधारण रूप से ऊंची और अव्यावहारिक दरें निर्धारित नहीं की जाती और प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जाती है ।

वरिष्ठ प्रभागीय वाणिज्यिक अधीक्षक, इलाहाबाद द्वारा अचानक जांच

5785. **श्री विनायक प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री इलाहाबाद में पार्सल उतारने चढ़ाने संबंधी कार्य के बारे में 5 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2576 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वरिष्ठ प्रभागीय वाणिज्यिक अधीक्षक और सहायक वाणिज्यिक अधीक्षक ने पृथक-पृथक इस बात का पता लगाने के लिए कितनी बार अचानक जांच की कि सोसायटी पार्स उतारने चढ़ाने संबंधी कार्य के लिए वस्तुतः 110 श्रमिकों की सप्लाई कर रही है, जिसके आधार पर रेल विभाग ने मासिक राज सहायता का निर्धारण किया था;

(ख) क्या पार्सल कार्यालय में एक अचानक जांच में वरिष्ठ प्रभागीय वाणिज्यिक अधीक्षक ने यह पाया था कि सोसायटी निर्धारित संख्या में श्रमिकों की सप्लाई नहीं कर रही थी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने 100 रुपये का जुर्माना किया था;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 110 व्यक्ति प्रतिदिन की कुल संख्या देने में सोसायटी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के व्यापारियों द्वारा वस्तुतः नियुक्त श्रमिकों के नाम भी शामिल कर रही थी और कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जनवरी, 1976 से जून, 1977 तक की अवधि में इलाहाबाद मंडल के वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य अधीक्षक द्वारा 4 बार और सहायक वाणिज्य अधीक्षक द्वारा 6 बार अचानक जांच की गयी थी।

(ख) वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य अधीक्षक, इलाहाबाद द्वारा 14-9-1976 और 15-9-1976 को की गयी अचानक जांच के दौरान मजदूरों की संख्या कम पायी गयी। कम संख्या में मजदूर उपलब्ध करने के कारण, मण्डल अधीक्षक द्वारा 100/- रुपया प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना किया गया था परन्तु सोसायटी की ओर से इस आधार पर की गयी अपील पर कि इन दोनों दिनों में, इलाहाबाद में अभूतपूर्व वर्षा के कारण, सारा यातायात अस्त-व्यस्त हो गया था, मण्डल अधीक्षक द्वारा यह जुर्माना माफ कर दिया गया। दूसरी अचानक जांचों के दौरान सोसायटी के काम में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर में 1974 के लिए कम दर पर साइकिल स्टैंड का ठेका दिया जाना

5786. **श्री विनायक प्रसाद यादव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के दौरान कानपुर संट्रेल स्टेशन पर साईकिल स्टेण्ड का ठेका मैसर्स राजा एण्ड कम्पनी द्वारा भरे गये। 1,29,000 रुपये के टेंडर मूल्य के आधार पर देने का निर्णय अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में नहीं लिया जा सका था और ठेकेदारों को इसकी सूचना नहीं दी जा सकी थी;

(ख) सफ़ल टेंडर भरने वाले को किस तारीख से काम शुरु करना था;

(ग) उस समय जो ठेकेदार था उसे किस मूल्य पर ठेके का काम आरम्भ करने की अनुमति दी गई थी और ये दरें वास्तव में कितनी अवधि के लिये थीं;

(घ) क्या टेंडर के परिणामस्वरूप प्राप्त अधिक दरों के आधार पर बढ़ी हुई लाइसेंस फ़ीस अदा करने की उस समय कार्य कर रहे ठेकेदार से मांग की गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो रेलवे को वित्तीय हानि पहुंचाने के लिये उत्तरदायी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधुदंडवते) : (क) और (ख) कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मैसर्स रजा एंड कं० को 15-8-1974 से साइककिल स्टैंड का ठेका देने का निर्णय किया गया था। चूंकि ठेकेदार ने अधूरे लेख प्रस्तुत किए थे, इसलिए रेल प्रशासन को प्रलेख पूरे करवाने के लिए पत्र-व्यवहार करना पड़ा। ठेकेदार ने प्रलेखों को पूरा करने में काफ़ी अधिक समय ले लिया और अंत में ठेका लेने से मुकर गया।

(ग) भूतपूर्व ठेकेदार मैसर्स विनय एंड कं० ने 15-8-72 से 31-1-77 तक ठेका जारी रखा। ठेके का वार्षिक मूल्य 37000 रुपये था।

(घ) जी नहीं। नई निविदाओं के फलस्वरूप बढ़ाई गई दरें भूतपूर्व ठेकेदार पर लागू नहीं होतीं।

(ङ) मैसर्स रज़ा एंड कं० जिसको 1974 में ठेके का कार्य करना था, की बयाने की राशि जब्त नहीं की जा सकी क्योंकि बयाने की राशि के जब्त किए जाने की निर्धारित अवधि निकल चुकी थी। इस गलती के लिए कार्रवाई की जा रही है।

वर्ष 1975 के दौरान कानपुर में साइकिल स्टैंड के लिए नए टेंडर आमंत्रित करने में विलम्ब

5787. **श्री विनायक प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में आमंत्रित किये गये खुले टैंडरों के परिणामस्वरूप मैसर्स दिनेश एंड कम्पनी को 1,11,000 रुपये के मूल्य का कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर साइकिल स्टैंड का ठेका किस तारीख को दिया गया था;

(ख) क्या निर्धारित समय से और ठेकापत्र में लिखित तारीख से ठेकेदार द्वारा कार्य आरम्भ न किये जाने के कारण सफल टेंडर भरने वाले की बयाना-राशि तुरन्त जब्त कर ली गई थी;

(ग) क्या अधिकारियों द्वारा टेंडर आमंत्रित करने में विलम्ब करने के कारण रेलवे राजस्व को हुई हानि का मामला लेखा परीक्षक अधिकारी द्वारा उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे राजस्व के इस हानि के लिये कौन से अधिकारी जिम्मेदार पाये गये हैं?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 15-5-1975 से 1,11,000 रु० का साइकिल स्टैंड का ठेका मैसर्स दिनेश एंड कम्पनी को दिया गया था।

(ख) ठेकेदार ने ठेके का काम आरम्भ किए जाने से पहले इंजीनियरी सम्बन्धी कुछ निर्माण कार्यों के पूरा कर दिए जाने पर बल दिया। इन निर्माण-कार्यों के पूरा हो जाने के बाद भी, एक न एक बहाना बनाकर ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया। इसलिए उसका ठेका रद्द कर दिया गया और नवम्बर, 1976 में अमानत की राशि जब्त कर ली गयी।

(ग) और (घ) लेखा परीक्षा विभाग जिन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत करा दिया गया था, द्वारा इस मामले की जांच करायी गयी थी।

वर्ष 1974-75 में विलम्ब शुल्क संबंधी विवरण की पुनः जांच

5788. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद जुही टी० पी० टी० कानपुर सेण्ट्रल गुड्स शैड, टूंडला, मिर्जापुर और नैनी में माल चढ़ाने-उतारने के ठेके लेने वाली सहकारी समितियों से जनवरी, 1974 से मई, 1977 तक महीने-वार जो विलम्ब शुल्क लिया गया, उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनसे लिए गए विलम्ब शुल्क को सहकारी समितियों ने गलत बताया है; और

(ग) क्या भाग (क) में दी गई अवधि में कुछ सहकारी समितियों के मामले में लगाए गए विलम्ब शुल्क की वसूली को रोक दिया गया था और स्टेशन कर्मचारियों द्वारा तैयार किये गये विलम्ब शुल्क के विवरणों की पुनः जांच के लिए वाणिज्यिक तथा लेखा अधिकारियों को उसी प्रकार नियुक्त किया गया था जिस प्रकार नैनी गुड्स शैड के मामले में किया गया था, जहां स्टेशन के रिकार्ड के अनुसार वर्ष 1974 में कर्मचारियों द्वारा ठीक विलम्ब शुल्क लगाया गया था ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इलाहाबाद डिवीजन (उत्तरी रेलवे) के वाणिज्यिक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

5789. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1975 से जून, 1977 तक की अवधि के दौरान इलाहाबाद डिवीजन के वाणिज्यिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के बारे में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या निश्चित जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु ब्यौरेवार जांच करने के लिए सतर्कता संगठन के पास उनके विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में जांच पूरी कर ली गई है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफ़ेसर मधु दंडवते) : (क) अनुबन्ध-1 के रूप में एक विवरण संलग्न है जिसमें इलाहाबाद मण्डल के राजपत्रित अधिकारियों (वाणिज्य विभाग) के विरुद्ध प्राप्त 8 शिकायतों का ब्यौरा दिया गया है ।

(ख) जी हां। 8 शिकायतों में से 5 को, उत्तर रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा विस्तृत जांच के लिए ले लिया गया । शेष मामलों में से दो की गुमनामी/छद्मनामी होने के कारण सरकार के अनुदेशों के अनुसार, उनकी जांच नहीं की गयी और तीसरे की जांच नहीं की गयी क्योंकि वह अनिश्चित था और जांच से कोई लाभ नहीं होने वाला था।

(ग) पांच शिकायतों में से सभी की जांच पूरी हो गयी है। इन मामलों में से चार को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से बन्द कर दिया गया क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हो सके। शेष मामला मंत्रालय द्वारा बन्द कर दिया गया क्योंकि एक अराजपत्रित कर्मचारी से सम्बन्धित आरोप सिद्ध नहीं हो सके। केन्द्रीय सतर्कता ब्यूरो से परामर्श नहीं किया गया क्योंकि इसमें कोई राजपत्रित अधिकारी शामिल नहीं पाया गया।

विवरण

1-1-1975 से 30-6-1977 तक इलाहाबाद मण्डल के राजपत्रित अधिकारियों (वाणिज्य विभाग) के विरुद्ध शिकायतों का ब्यौरा दिया गया है :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम/पदनाम	शिकायतकर्ता का नाम	सामान्य आरोप
1.	अधीक्षक कानपुर क्षेत्र, कानपुर और माल बाबू श्री त्रिवेदी	श्री बाबू राम गर्ग, लाल बंगला, कानपुर	माल बाबू श्री त्रिवेदी का एस सी ए/कानपुर जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों से दोस्ती होने का संदेह है।

1	2	3	4
2.	श्री बी० एस० अग्रवाल, सहायक वाणिज्यिक अधीक्षक, इलाहाबाद	मण्डल अधीक्षक/इलाहाबाद द्वारा अग्रेषित छद्मनामी शिकायत	सामान्य आरोप
3.	श्री बी० एल० भारती, उप वाणिज्यिक अधीक्षक/इलाहाबाद	गुमनाम	सामान्य आरोप
4.	श्री आर० सी० शर्मा, अधीक्षक, कानपुर क्षेत्र	युवा कांग्रेस, कानपुर	भ्रष्टाचार
5.	श्री एस० एन० मुकर्जी, सहायक वाणिज्यिक अधीक्षक/इलाहाबाद	सी बी आई स्रोत से सूचना	विलम्ब शुल्क का अनियमित रूप से माफ करने वाला।
6.	श्री एस० एन० मुकर्जी, सहायक वाणिज्य अधीक्षक/इलाहाबाद	श्री बी० सी० मोहितो, इलाहाबाद	कथित कदाचार।
7.	श्री बी० एल० अग्रवाल, सहायक वाणिज्य अधीक्षक/इलाहाबाद	बोर्ड से सूचना स्रोत	आरक्षण में कदाचार।
8.	श्री एस० डी० चन्द्र, उप वाणिज्य अधीक्षक/इलाहाबाद	श्री एन० पी० चौधरी, संसद् सदस्य	जे० के० इंडस्ट्रीज के साथ कथित पक्षपात।

उत्तर रेलवे में माल चढ़ाने-उतारने के ठेके लेने वाली सहकारी समितियों द्वारा की गई जालसाजी

5790. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में माल चढ़ाने-उतारने के ठेके लेने वाली सहकारी समितियों द्वारा जनवरी, 1974 से मई, 1977 की अवधि के दौरान वर्ष-वार दर-सूची की पृथक-पृथक व्यक्तिगत मद के अनुसार इलाहाबाद, मिर्जापुर, नैनी, जूही टी० पी० टी०, कानपुर सेन्ट्रल गुड्स शैड और टून्डला में कितने माल को चढ़ाने-उतारने का कार्य किया;

(ख) क्या सरकार को पता है कि रेल कर्मचारियों की सांठ-गांठ से सहकारी समितियों ने दर सूची की कुछ मदों में हेराफेरी की, क्योंकि उन मदों के अधीन स्वीकृत दरें असाधारण रूप से ऊंची और बढ़ी हुई थीं; और

(ग) यदि हां, तो समितियों को अवांछित भुगतान न होने देने के लिए उक्त मामले में क्या कार्य-वाही करने का विचार है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इलाहाबाद में साइकिल स्टैंड के ठेकेदारों द्वारा समझौते का उल्लंघन

5791. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री इलाहाबाद में साइकिल स्टैंड का ठेका दिये जाने के बारे में 28 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2012 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइकिल/स्कूटर रखने के लिए टेंडर दस्तावेजों में क्या विशिष्ट माप दिये गये हैं;

(ख) वर्तमान ठेकेदारों ने कितने स्थल का अतिक्रमण किया, जिस तारीख को अतिक्रमण किया और टेके की शर्तों के अनुसार सही-सही क्या आरोप लगाये गये हैं;

(ग) क्या रेलवे ने न्यायिकेत्तर स्टाम्प पेपर पर ठेका किया था जिसमें टेंडर संबंधी दस्तावेजों में दी गई शर्तों का उल्लेख था और अपरोक्त ठेका सम्पन्न होने की तारीख दी गई थी; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि शर्तों के विशिष्ट उल्लंघन के बावजूद ठेकेदार काम कर रहा है और इन उल्लंघनों की स्थानीय अधिकारी अपने हितों के लिए परवाह नहीं कर रहे हैं?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) कोई करार नहीं किया गया था। चूंकि बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद ठेकेदार करार करने में विफल रहा, इसलिए उसे ठेका रद्द करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है।

विवरण

(क) निविदा प्रलेखों में दिया गया विशिष्ट माप इस प्रकार है:—

(i) शहर की तरफ	15.24 मी × 11.58 मी०
(ii) सिविल लाइन की तरफ	10.45 मी० × 9.35 मी

(ख) अतिक्रमण का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:—

	क्षेत्रफल जिसका अतिक्रमण किया गया	जिस तिथि से अतिक्रमण किया गया	अतिक्रमण प्रभार
			रु०
सिविल लाइन की तरफ	94.50 वर्ग मीटर 169.98 वर्ग मीटर	1-11-76 से 6-1-77 तक 7-1-77 से 14-2-77 तक	557.16
शहर की तरफ	158.885 वर्ग मी० " " "	1-11-76 से 6-1-77 तक 15-2-77 से अब तक	1234.24

टिप्पणी:—7-1-77 से 14-2-77—शहर की तरफ के स्टैण्ड का उपयोग रेलवे द्वारा कुंभ मेला यातायात के लिए अमानती सामान घर के रूप में किया गया था।

Overbridges on Moradabad-Chandausi-Sambhal Railway line

5792. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a Scheme for the construction of overbridges on Moradabad-Chandausi-Sambhal railway line via Chandausi, Moradabad-Aligarh and Moradabad-Sambhal branch lines; and

(b) If so, the time by which the scheme would be implemented ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) A proposal for the construction of a road over-bridge at Lucknow end of Moradabad station Yard on Moradabad-Chandausi-Aligarh line, in replacement of level crossing No. 417, is presently under the consideration of the Railway.

(b) The proposal is still under consideration and discussion between the Railway and the State Government whose approval to the drawings and estimate is yet to be received. It is, therefore, not possible to say at this stage when the scheme would be implemented.

मुम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

5793. **श्री बापू साहिब फरूलेकर** : क्या **विधि, न्याअ और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के छह पद रिक्त पड़े हैं और यदि हां, तो कब से ?

(ख) उच्च न्यायालय के इन न्यायाधीश पदों पर अब तक नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ये नियुक्तियां कब तक करने का सरकार का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी आर्य मंत्री श्री शान्ति भूषण) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) अपर न्यायाधीशों के पांच रिक्त स्थानों को भरने के द्प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है । शेष रिक्त स्थानों को भरने के लिए कार्रवाई राज्य प्राधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर की जाएगी।

विवरण

इस समय मुम्बई उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के तीन पद और अपर न्यायाधीशों के पांच पद रिक्त हैं। जिस समय से ये स्थान रिक्त हुए हैं, वह नीचे बताया गया है :—

स्थायी न्यायाधीश	3	एक स्थान सितम्बर, 1976 से रिक्त है
		एक स्थान मार्च, 1977 से रिक्त है
		एक स्थान अप्रैल, 1977 से रिक्त है
अपर न्यायाधीश	5	एक स्थान जुलाई, 1975 से रिक्त है
		दो स्थान जनवरी, 1976 से रिक्त हैं
		दो स्थान जून, 1977 से रिक्त हैं

रोहतक में टिकट-खिड़की पर अधिक कर्मचारी नियुक्त करना

5794. **श्री भगवतदयाल शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अधिकारियों ने रोहतक में डेलीपसेंजर फैडरेशन, रोहतक-दिल्ली सेक्शन, को आश्वासन दिया था कि टिकट खिड़कियों पर भीड़ को कम करने के लिए अधिक कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। फिर भी, बुकिंग कार्यालय में अतिरिक्त कर्मचारी की नियुक्ति के प्रश्न की उत्तर रेलवे द्वारा जांच की जा रही है।

370 डाउन गाड़ी का देर से चलना

5795. **श्री भगवत दयाल शर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान 370 डाउन गाड़ी की समय-पाबंदी की प्रतिशतता क्या थी ?

(ख) गाड़ी के देर से चलने के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है जिससे वह देर से न चलें और ठीक समय पर चलने लगे ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) :

(क) 72%

(ख) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) इसके समय पालन में सुधार करने के लिए मानीटरिंग द्वारा इस गाड़ी के चालन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है ।

आर्मेनियन काट शैड संख्या एक का वार्षिक प्रतिवेदन

5796. श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे की आर्मेनियन घाट शैड संख्या एक का किराया 15,000 रुपए प्रति वर्ष है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और ख) आर्मेनियन घाट शैड नं० 1 का किराया लगभग 12,865/- रुपये प्रति वर्ष है । यह स्थान आंशिक रूप से आर्मेनियन-घाट सिटी माल बुकिंग कार्यालय द्वारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और इस स्थान पर सिटी पार्सल कार्यालय खोले जाने के एक प्रस्ताव पर गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जा रहा है।

तमिलनाडु में चिदम्बरम् पर ऊपरी पुल का निर्माण

5797. श्री ए० मुरुगेसन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में चिदम्बरम में रेल ऊपरी पुल के निर्माण के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): फिलहाल, रेलवे के पास चिदाम्बरम में ऊपरी पुल के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है । सितम्बर, 1976 में, चिदाम्बरम रेलव स्टेशन के निकट कि० मी० 247/3 समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए रेलवे ने इस प्रस्ताव पर विचार और प्रायोजित करने के बारे में तमिलनाडु सरकार से पूछा था। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है । वर्तमान नियमों के अनुसार अपने हिस्से की लागत बहन करने के साथ राज्य सरकार द्वारा ठोस प्रस्ताव प्रायोजित किये जाने के बाद ही इस सम्बन्ध में आगे कार्रवाई की जा सकेगी।

एसप्लेनेड पार्सल आफिस कलकत्ता के पुनः खुलने में विलम्ब होने के कारण कर्मचारियों में आशंका

5798. श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि एसप्लेनेड पार्सल आफिस, दक्षिण पूर्व रेलवे के बन्द होने के कारण कर्मचारियों को फालतू घोषित करने तथा राजस्व के घाटे को पूरा करने के लिए कलकत्ता में पुनः पार्सल आफिस खोलने के बारे में प्रशासनिक अनिर्णय पर कर्मचारियों में उनको दूर स्थानांतरित करने, पदोन्नति बन्द करने और अन्य सुविधाओं के बारे में आशंकाएं हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : एसप्लेनेड पार्सल कार्यालय बन्द हो जाने से कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण तथा पदोन्नति के अवसरों में कमी हो जाने की कोई बात नहीं है क्योंकि ऐसी

प्रत्याशा है कि अधिकांश कर्मचारी एसप्लेनेड बुकिंग और आरक्षण कार्यालय में ही, जिसका विस्तार किया गया है, खपा लिये जायेंगे। आर्मीनियम घाट, कलकत्ता में पार्सल कार्यालय खोलने के एक दूसरे प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, जहां इन कर्मचारियों को खपाया जा सकेगा।

कलकत्ता में एसप्लेनेड पार्सल कार्यालय का बन्द होना

5799. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण पूर्व रेलवे में कलकत्ता में एसप्लेनेड पार्सल कार्यालय को 10 मई, 1976 से बन्द करने का निर्णय करने के क्या कारण हैं तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : आरक्षण और बुकिंग कार्यालय, जो बहुत ही तंग था, उसके लिए अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एसप्लेनेड, कलकत्ता में स्थित पार्सल कार्यालय को बन्द कर दिया गया था। एस्प्लेनेड बुकिंग और आरक्षण कार्यालय में अब पूछताछ बुकिंग और यात्रियों के आरक्षण के लिए कार्य-निष्पादन किया जा रहा है। 1975 में 12 काउन्टर थे जबकि अब वहां 22 काउन्टर हैं, अन्ततः उन्हें बढ़ाकर 38 कर दिया जायेगा। इससे क्यू की लम्बाई में कमी हुई है और परिणामतः कार्य निष्पादन में सुधासुर हुआ है और यात्री जनता के लिए सुविधाएं पहले से बेहतर हो गई हैं। पार्सलों की बुकिंग के लिए, अन्य सिटी बुकिंग स्टेशनों और हावड़ा स्टेशन पर प्रबन्ध कर दिए गए हैं।

बम्बई डिवीजन (मध्य रेलवे) में खोमचे वाले और भिखारियों को 'चैक' करने वाले कर्मचारी

5800. **श्री आर०के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेल के बम्बई डिवीजन में खोमचेवालों और भिखारियों को चैक करने वाले कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं,

(ख) क्या वे अन्य टिकट परीक्षक कर्मचारियों के समान 1949 से पुनरीक्षित वेतनमान की मांग कर रहे हैं,

(ग) क्या रेलवे ने 1966 में अनके वेतनमानों को पुनरीक्षित करने का निर्णय किया था किन्तु इस निर्णय को मितव्ययिता के आधार पर लागू नहीं किया था,

(घ) क्या नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन ने हाल में इस मामले पर सरकार को अभ्यावेदन दिया है, और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) 19

(ख) जी हां, 1964 से।

(ग) वित्तीय कठिनाई के कारण 1966 में इस प्रश्न के बारे में विचार किया जाना आस्थगित कर दिया गया था। अतएव, उस समय इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

(घ) जी हां।

(ङ) यह मामला विचाराधीन है।

उत्तर रेलवे में टिकटों की बिक्री बढ़ाने के लिए कार्यवाही

5801. श्री भारत सिंह चौहान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1975 से जून 1977 तक की अवधि में बिना टिकट यात्रा को समाप्त करने के लिये वाणिज्य अधिकारियों द्वारा दृढ़ता से की गई रोकथाम के फलस्वरूप उत्तर रेलवे के विभिन्न डिवीजनों में खिड़कियों पर टिकटों की बिक्री में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त अवधि में टिकटों की बिक्री से इलाहाबाद डिवीजन में आय में सबसे अधिक वृद्धि हुई ;

(ग) क्या डिवीजनल सुपरिटेंडेंट के मार्ग निर्देशन में इलाहाबाद डिवीजन के वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारियों के कठिन और निष्ठापूर्ण कार्य की सराहना की गई है जिससे रेलवे की आय में आगे वृद्धि के लिये प्रोत्साहन मिल सके; और

(घ) उत्तर रेलवे के अन्य डिवीजनों में टिकटों की बिक्री बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें यह सूचना दी गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) बिना टिकट यात्रा करने की बुराई को रोकने के लिये उत्तर रेलवे के सभी मंडलों के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा किये गये अविच्छिन्न एवं सतत प्रयासों के फलस्वरूप बिना टिकट यात्रा में उत्तरोत्तर कमी हुई है और टिकटों की बिक्री से आमदनी काफी बढ़ी है। कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रयासों की समय-समय सराहना की जाती है।

विवरण

उत्तर रेलवे के विभिन्न मंडलों में 1-4-1975 से 30-6-1977 तक टिकटों की बिक्री से होने वाली आमदनी नीचे दिखायी गयी है :--

(आंकड़े हजार रुपयों में)

मण्डल	1975-76	1976-77	1 अप्रैल, 1977 से 30 जून, 1977 तक
1	2	3	4
इलाहाबाद	14,35,64	16,95,79	4,72,46
बीकानेर	8,99,53	9,99,00	3,19,10
दिल्ली	28,56,43	31,66,00	9,50,25
फिरोजपुर	16,31,83	19,44,25	5,63,86
जोधपुर	4,36,42	5,04,47	1,51,67
लखनऊ	15,38,47	18,26,18	5,10,05
मुरादाबाद	11,72,03	13,08,48	3,84,97
जोड़	99,70,35	1,14,44,17	33,52,36
मासिक औसत	8,30,86	9,53,68	11,17,45

गैर-सरकारी पार्टियों से वसूल किये जाने वाले विलम्ब शुल्क में वृद्धि

5802. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली, मुरादाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ और बीकानेर डिवीजनों में अप्रल, 1975 से जून, 1977 तक की अवधि में गैर-सरकारी पार्टियों से रेलवे द्वारा निर्धारित निःशुल्क समय के बाद माल डिब्बे रोके रखने के लिय डिवीजन-वार कितना-कितना विलम्ब-शुल्क बढ़ाया गया तथा प्रत्येक डिवीजन में व्यापारियों से वास्तव में कितनी राशि वसूल की गई तथा कितनी छोड़ दी गई;

(ख) क्या डिवीजनल सुपरिटेंडेंण्ट के मार्गनिर्देशन में इलाहाबाद डिवीजन के वरिष्ठ डिवीजनल वाणिज्य अधिकारी ने दोषी व्यापारियों से विलम्ब शुल्क वसूल करने के लिये कड़ी कार्यवाही की जिससे माल-गोदाम शेडों पर शीघ्र माल डिब्बे खाली होने लगे; और

(ग) क्या उत्तर रेलवे के अन्य डिवीजनों में माल डिब्बे शीघ्र खाली कराने के लिये सरकार का विचार इसी प्रकार की कार्यवाही करने का है ?

रेलमंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री के समर्थन में भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं चेयरमैन तथा महाप्रबन्धक द्वारा निकाला गया जलूस

5803. **श्री ए० के० राय** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान दिनांक 12 जुलाई, 1975 को भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं चेयरमैन तथा पी एंड डे (हिन्दी के महाप्रबन्धक ने अन्य अधिकारियों के साथ दिल्ली की सड़कों पर एक जलूस निकाला था तथा वे अपना राजनीतिक समर्थन देने के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी के निवास स्थान पर गये थे;

(ख) क्या यह कार्य अधिकारियों के लिये निर्धारित संहिता के विरुद्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन, झाझा और मुगलसराय से सम्बद्ध रेल कर्मचारियों को काम पर वापस लेना

5804. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के सभी सताये गये कर्मचारियों को काम पर वापस लेने के आदेश के बावजूद लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन झाझा और मुगलसराय के किसी भी पदाधिकारी को, जिन्हें सेवा से निकाल दिया गया था, काम पर वापस नहीं लिया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) यह आदेश मई, 1974 की हड़ताल के संबंध में था और इसे कार्यान्वित कर दिया गया है ।

श्री के०एस०एल० आनन्द महाप्रबन्धक के विरुद्ध फर्टिलाइजर कारखाना मजदूर यूनियन, गोरखपुर का ज्ञापन

5805. **श्री ए०के० राय : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की गोरखपुर यूनिट के महाप्रबन्धक श्री के०एस०एल० आनन्द के विरुद्ध 21 मामलों पर आरोप लगाते हुए फर्टिलाइजर कारखाना मजदूर यूनियन, गोरखपुर की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) एफ०सी०आई० द्वारा आरोपों की जांच की जा रही है ?

अम्बोना और कलूबयान के बीच रेलवे स्टाफ

5806. **श्री ए०के० राय : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिन्द्रहाट-फतेपुर पंचायत की ओर से दिनांक 13 जुलाई, 1977 को एक संसद् सदस्य द्वारा प्रेषित जनता की एक याचिका सरकार को प्राप्त हुई है जिसमें यह मांग की गई है कि पूर्व रेलवे पर धनबाद जिले में ग्राण्ड कोर्ड लाइन का अम्बोना और कलूबयान स्टेशन के बीच एक रेलवे स्टाफ बनाया जाये, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में न कि धनबाद मंडल में, ग्राण्ड कोर्ड लाइन पर कालूबयान और छोटा अम्बोना स्टेशनों के बीच एक नया रेलवे स्टेशन खोलने के लिये संसद् सदस्य श्री ए०के० राय द्वारा प्रेषित एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) पिछले दिनों इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और इंजीनियरी के साथ-साथ परिचालनिक दृष्टिकोण से भी इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया । फिलहाल, इस मामले की एक बार फिर से जांच की जा रही है ।

नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन को एम०टी०पी० (आर०) कलकत्ता का उप-ठेकेदार नियुक्त करना

5807. **श्री राम सागर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैट्रोपोलिटन टांसपोर्ट प्रोजेक्ट रेलवे, कलकत्ता के सैक्शन '10' के सिविल ठेके के लिये ठेकेदार एन०बी०सी०सी० लिमिटेड ने उक्त ठेके के निष्पादन के लिये एक उप-ठेकेदार नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो नेशनल बिल्डिंग कंसट्रक्शन कारपोरेशन ने ऐसा उप-ठेकेदार किन शर्तों पर नियुक्त किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि एन०बी०सी०सी० ने अपने मूल टेंडर दस्तावेज में नियुक्ति के इन तथ्यों का संकेत नहीं दिया, और

(घ) उप-ठेकेदार के बारे में ब्यौरा क्या है, क्या यह भारतीय कम्पनी है अथवा विदेशी तथा उनके लाभ आदि की राशि क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर (मधु दंडवते) : (क) जी हां । एन०बी०सी०सी० ने इस काम के डायफ्राम दीवाल निर्माण वाले भाग के लिये दो उप-ठेकेदारों अर्थात् मैसर्स रेडियो हजरत और मैसर्स एम०एस०जे० इंजीनियर्स को नियुक्त किया है ।

(ख) और (ग) एन०बी०सी०सी० ने अपने टेंडर में कहा था कि उसे निर्माण कार्य के किसी भाग/भागों के लिये विशेषज्ञ एजेंसियों को नियोजित करने का अधिकार आरक्षित है । टेंडर स्वीकार करते समय उसे इस शर्त पर मान लिया गया कि ऐसे उप-ठेके के लिये महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) प्रशासन का अनुमोदन लेना होगा, जिससे एन०बी०सी०सी० की जिम्मेदारी, किसी भी तरह कम नहीं होगी । अतः मैसर्स रेडिओ हजरत और मसर्स एम०एस०जे० इंजीनियर्स की उप-ठेकेदारों के रूप में नियुक्ति, एन०बी०सी०सी० टेंडर की उपरोक्त धारा के अन्तर्गत आ जाती है ।

(घ) दोनों उप-ठेकेदार भारतीय फर्में हैं हालांकि मैसर्स रेडिओ हजरत के पास कुछ विदेशी शेयर होल्डिग हैं । एन०बी०सी०सी० और उसके ठेकेदारों के बीच पारिश्रमिक की क्या शर्तें हैं यह मालूम नहीं है ।

उच्च न्यायालय के न्यायधीशों द्वारा जंगम तथा स्थावर सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया जाना

5808. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रतिवर्ष अपनी जंगम तथा स्थावर सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत करते हैं; और

(ख) यदि नहीं; तो क्या उनसे ऐसा करने की अपेक्षा करने के लियें नियम बनाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार देने के बारे में निर्णय

5809. **श्री निहार लास्कर :**
श्री मुख्त्यार सिंह मलिक :
श्री आर०वी० स्वामीनाथन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता को उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके (प्रतिनिधियों के) कार्य-काल समाप्त होने से पूर्व वापस बुलाने के बारे में अधिकार देने के संबंध में कोई निर्णय किया है और क्या इस संबंध में संविधान में संशोधन करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार इस बारे में विपक्षी पार्टियों से बातचीत करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) इस संबंध में कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

(ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निर्वाचन के दौरान मतदाताओं की पहचान

5810. **श्री आर० वी० स्वामीनाथ : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही के विधान सभा निर्वाचनों में प्रयोग की जाने वाली स्याही की किस्म खराब होने के कारण विभिन्न राज्यों में एक मतदाता ने दो अथवा तीन बार मतदान किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच की है ;

(ग) क्या दो बार मतदान करने का एक कारण यह था कि मतदाता की पहचान के लिए कोई उचित प्रक्रिया न थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसी नई प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर रही है जिससे मतदाता की मतदान करने से पूर्व स्पष्ट पहचान की जा सके।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) ऐसी कोई घटना जिसका अभिकथन किया गया है, निर्वाचन आयोग की जानकारी में नहीं लाई गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनरल मैनेजर, पूर्व रेलवे द्वारा निरीक्षण

5811. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 अप्रैल, 1977 को श्री ई० जे० सीमोज, जो अब परिवहन के सदस्य हैं, जनरल मैनेजर पूर्व रेलवे की हैसियत से बज-बज और कालीघाट स्टेशनों का निरीक्षण करने के बहाने अपने परिवार और साथियों को न्यू सेन्ट्रल जूट मिल द्वारा दिये गये भोज में ले गये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि समस्त दल को कई घंटे तक नदी में किश्ती की सैर कराई गई; और

(ग) यदि हां, तो किसने ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) 16-4-1977 (न कि 15-4-1977) को श्री ई० जे० सीमोज, तत्कालीन महाप्रबन्धक, पूर्व रेलवे सरकारी निरीक्षण पर बालीगंज-कालीघाट बज-बज गये थे। न्यू इंडिया जूट मिल्स, बज-बज के प्राधिकारियों ने महाप्रबन्धक और उनकी पार्टी से विचार विमर्श करने के लिए दोपहर के भोजन पर पधारने का अनुरोध किया था जिससे व्यापार में वृद्धि के हित में पूर्व रेलवे की ओर से महाप्रबन्धक द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

(ख) और (ग) : महाप्रबन्धक द्वारा निरीक्षण किये जाने और सड़क मार्ग से कार्यालय चले जाने के बाद पार्टी के कुछ सदस्य किश्ती पर सैर के लिए गये जिसका प्रबन्ध श्री एस० के० घोष द्वारा किया गया था जिनका रेलों के साथ किसी तरह का कार्य-व्यवहार नहीं था।

उर्वरक कारखानों में बकरा ईद और मुहर्रम के उपलक्ष में छुट्टियां न मनाना

5812. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर उर्वरक कारखाने और अन्य उर्वरक कारखानों में बकरा ईद और मुहर्रम की छुट्टियां न मनाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया जा रहा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) एफ़० सी० आई० के विभिन्न एककों द्वारा मनाई जा रही छुट्टियों की सूची को मान्यता प्राप्त यूनियनों और औद्योगिक सम्पर्क समिति के परामर्श से तैयार किया जाता है ताकि उसमें प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय का कम से कम एक त्यौहार शामिल किया जा सके। गोरखपुर खाद कारखाने में ईदुल-फ़ितर की छुट्टी मनाई जा रही है। छुट्टियों की सीमित संख्या को ध्यान में रखते हुए, किसी समुदाय विशेष के अनेक त्यौहारों को उसमें शामिल करना सम्भव नहीं है।

तालचेर उड़ीसा स्थित उर्वरक कारखाना

5813. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में तालचेर उर्वरक कारखाने के प्रबन्धकों ने उन व्यक्तियों को अथवा उनके सीधे सम्बन्धियों (पुत्रों, पोत्रों, आदि) को, जिनकी भूमि कारखाने के कार्य के लिये अर्जित कर ली गई थी, रोजगार दिया है ; और

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने उर्वरक कारखाने के लिए उनकी भूमि अर्जित किये जाने के आधार पर उर्वरक कारखाने में नौकरी के लिये प्रार्थना अथवा दावा किया था।

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी हां। तालचर उर्वरक कारखाने में भूमि से वंचित किये गये परिवारों में से 81 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उर्वरक कारखाने की भूमि में स्थित हैवी वाटर प्रोजेक्ट द्वारा कुछ व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

(ख) नवम्बर, 1972 में जिला प्रशासन ने तालचर के उर्वरक कारखाने के प्रबन्धक को संयंत्र और नगर के लिए भूमि से वंचित किये गए 111 व्यक्तियों की एक सूची भेजी थी । बाद में, नवम्बर, 1974 में एफ़० सी० आई० द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण से 398 भूमिधारियों को भूमि से वंचित होने का दावा प्रस्तुत किया गया लेकिन उन में से 109 आवेदक पात्र पाये गये।

एनलजिन, नियासिनामाइड और प्रेडनीसोलीन के आयात पर प्रतिबन्ध

5814. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने (एक) एनलजिन, (दो) नियासिनामाइड और प्रैडनीसोलीन के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया है, यदि हां, तो कब से; और

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में उपरोक्त प्रत्येक प्रतिबन्धित औषध का कितनी कीमत का आयात किया गया ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) एनलजिन, नियासिनामाइड और प्रेडिनीसोलीन के आयात से सम्बन्धित नीति निम्न प्रकार है :—

(1) **एनलजिन :**

1970-71 से स्टेट केमीकल्स एंड फ़ार्मास्यिटिकल्स कारपोरेशन आफ़ इंडिया लि० के माध्यम से आयात के लिए सरणीबद्ध।

(2) **नियासिनामाइड :**

1967-68 के आयात के लिए प्रतिबन्धित।

(3) **प्रेडनिसोलीन :**

(1) 1967-68 से 1971-72 के बीच (दोनों वर्ष सम्मिलित हैं) आयात के लिए प्रतिबन्धित।

(2) 1972-73 से 1975-76 के बीच (दोनों वर्ष सम्मिलित) वास्तविक उपयोगकर्ताओं को प्रतिबन्धित आधार पर आयात करने की अनुमति।

(3) 1976-77 से स्टेट केमीकल्स एंड फ़ार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ़ इंडिया के माध्यम से आयात के लिए सरणीबद्ध।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इन औषधों के आयात की सी०आई०एफ़० मूल्य निम्न प्रकार से हैं :—

(मूल्य लाख रुपयों में)

वर्ष	एनलजिन	नियासिनामाइड	प्रेडनीसोलीन
1972-73	54.89	10.12	0.87
1973-74	73.19	शून्य	शून्य
1974-75	76.25	शून्य	3.98
1975-76	68.19	शून्य	6.74
1976-77	85.85	शून्य	37.45

आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए औषधि निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता

5815. **श्री जी०वाई० कृष्णन :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध निर्यातकार्ताओं को ऐसी वस्तुओं का आयात करने हेतु वित्तीय सहायता देने के उपाय किये हैं जिनका इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा कम उत्पादन होता है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में इसकी आवश्यकता पूरी करने हेतु सरकार का जिन वस्तुओं का आयात करने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु निम्नलिखित सारणीबद्ध औषधों, जो० आई० डी० पी० एल० द्वारा निर्मित की जाती है, 4 की मांग तथा स्वदेशी उत्पादन के अन्तर को आयात की व्यवस्था स्टेट कैमीकल्स एंड फार्मास्युटिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि० करती है। व

वर्ष 1977-78 के लिए प्रस्तावित आयात प्रत्येक प्रपुंज औषध के सामने दिखाया गया है।

क्रमांक प्रपुंज औषध का नाम	1977-78 के दौरान आयात के लिए योजनाबद्ध मात्रा आंकड़े (मी० टनों में)
1. स्ट्रैप्टोमाईसिन	60
2. टेट्रासाईक्लीन	80
3. एनलजिन	150
4. फेन्नोवारविटोन	28
5. विटामिन बी-1	45
6. विटामिन बी-2	15
7. पिप्राजाईन हैक्जाहाइड्रेट	100
8. अमिडोमाइरीन	55
9. फ्लावल सल्फा-थियोजोल	25

सी० पी० सी० द्वारा आयातित ऐसी प्रपूंज औषध आई०डी०पी०एल० को वितरण के लिए सौंपी जाती है।

Appointments on *Ad hoc* basis in Railway Board

5816. **Shri Ramanand Tiwari : Will the Minister of Railways** be pleased to state :

(a) whether many ex-cadre posts had been created in Railway Board and officers have been working on these posts on *ad hoc* basis for many years;

(b) if so, their pay-scales and details of special pay given to them from time to time; and

(c) whether representations have been received from other officers in this regard and, if so, the action taken on them ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) and (b) A Statement is attached [Placed in library *See*. No. LT-891/77]

(c) Yes. Representations were received in respect of a few posts and they were considered with due regard to the relevant rules and the decision taken by the competent authority. Wherever required the *ad hoc* appointments have been reported to the Union Public Service Commission.

भारत में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम

5817. **श्री कंवरलाल गुप्त : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसी कौन-कौन सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां काम कर रही हैं और उनके पते क्या हैं जो भारत में भेषज तथा दवाइयां बना रही हैं और प्रत्येक कम्पनी में कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों को कितनी राशि भेजी गई है; और

(घ) इन कम्पनियों के लाभ की अधिकतम सीमा निश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्य-वाही की है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-892/77]

(घ) प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के मूल्य औषध मूल्य नियंत्रण, आदेश, 1970 के अन्तर्गत नियंत्रित किए जाते हैं और अधिकतम मूल्य कुछ मानदण्डों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं; जिससे प्रत्येक मद पर उचित लाभ सुनिश्चित है। औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 में यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी विशेष वर्ष में सूत्रयोगों पर कर से पूर्व कुल लाभ विक्रय टर्न ओवर के 15 प्रतिशत से अधिक है तो अधिक राशि सरकार की पूर्वानुमति से कुछ एक विशेष उद्देश्यों जिनमें अनुसंधान एवं विकास सम्मिलित है, के लिए प्रयोग की जाएगी। औषध और भेषज उद्योग समिति ने सभी औषध निर्माण फर्मों के लिए औषध और सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारण के सन्दर्भ में लाभ की अधिकतम सीमा निश्चित करने के विषय में कुछ सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा।

जीवन रक्षक 'एन्टीबायोटिक्स' औषधियों का उत्पादन

5818. **श्री शंकर सिंह जी वघेला : श्री श्री पद्युमन बाल** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जीवन रक्षक एन्टीबायोटिक्स औषधियों का किस सीमा तक उत्पादन हो रहा है;

(ख) कितने मूल्य की और कितनी मात्रा में "एन्टीबायोटिक्स" औषधियों का आयात किया जा रहा है;

(ग) क्या जीवन रक्षक 'एन्टीबायोटिक्स' औषधियों के देश में हो रहे उत्पादन में बृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या यह प्रस्ताव है कि भारत जीवन रक्षक 'एन्टीबायोटिक्स' औषधियों के उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करें और यदि हां, तो कब तक?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 1976-77 के दौरान देश में निर्मित महत्वपूर्ण एन्टीबायोटिक्स की मात्रा और नाम दर्शाने वाला विवरण पत्र संलग्न है (**अनुबन्ध-I**) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० -893/73]।

(ख) 1975-76 के दौरान आयातित महत्वपूर्ण एन्टीबायोटिक्स के मूल्य, मात्रा और नाम दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है (**अनुबन्ध-II**) [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-893/77]।

(ग) और (घ) एन्टीबायोटिक उद्योग के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। पैंसिलिन, टेट्रासाईक्लिन, स्ट्रैप्टोमाईसिन, सल्फेट आदि जैसे कुछ एण्टीबायोटिक्स और सेप्लोरीडाइन, जेंटा-माइसिन सल्फेट आदि कुछ नए एन्टीबायोटिक्स के उत्पादन में क्षमता बढ़ाने के लिए हाल ही में सरकार ने दो सरकारी क्षेत्र उपक्रमों अर्थात् मैसर्स इंडियन ड्रग्स फार्मेस्यूटिक्स लि० और हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० को विस्तार योजनाओं की स्वीकृति दी है। एन्टीबायोटिक्स के उत्पादन के लिए औषध उद्योग के निजी क्षेत्र की भी कुछ योजनाएं सरकार द्वारा मंजूर की गई हैं। अतः दो वर्षों के दौरान एन्टीबायोटिक्स

प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए विभिन्न औषध निर्माता एककों को दिए गए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है (अनुबन्ध-III) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-893/77]

Taxes on Imports of Fertilizers

5819. **Shri Jagdambi Prasad Yadav :**
Shri Dharmsinhbahi Patel:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state the totaxa|mount of the taxes imposed on the imported fertilizers as also the excise duty and sales imposed on the fertilizers produced in the country ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : Imported fertilizers attract an Auxiliary Customs Duty at the rate of 5% ad valorem. A countervailing custom duty at the rate of 15% ad valorem, is also charged on imported fertilizers except on Muriate of potash and Sulphate of potash which have been exempted from the countervailing duty w.e.f. 8-2-1977.

Excise duty is charged at the rate 15% of ad valorem on the indigenous nitrogenous and complex phosphatic fertilizers and 7-1/2 % ad volorem on indigenous Single Superphosphate. Sales Tax rate varies from State to State; some States and Union Territories like Punjab, Haryana, Maharashtra, Assam, Himachal Pradesh, Jammy & Kashmire, Goa, and Manipur etc. have exempted fertilizers from Sales Tax. The rate of Sales Tax in other States varies between 2% to 5%. In addition, some State Governments like West Bengal and Bihar have imposed turn over taxes. The rate of Central Sales Tax is 4% and is applicable in cases of inter-State transactions of fertilizers, except in cases where consignment originates from a State which has exempted fertilizers from State Sales Tax.

सदर्न रेलवे एप्रेन्टिसेज एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन

5820. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सदर्न रेलवे एप्रेन्टिसेज एसोसिएशन ने दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक को ज्ञापन दिया है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि सभी रेलवे एप्रेन्टिसों को नौकरी में लेने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाये;

(ख) कर्मचारियों ने क्या-क्या मुख्य बातें उठाई हैं; और

(ग) ज्ञापन में उठाई गई बातों को स्वीकार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) ऐक्ट अप्रेंटिसेस, जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, चाहते थे कि उन्हें अकुशल मजदूरों के रूप में समाहित कर लिया जाये।

(ग) कारखानों में खलासियों के 50 प्रतिशत रिक्त स्थानों को बाहर से सीधी भर्ती द्वारा भरने की व्यवस्था है। जब भी सीधी भर्ती के लिए रिक्त स्थान अधिसूचित किये जाते हैं, तब इस प्रकार की भर्ती के लिए ऐक्ट अप्रेंटिसेस भी आवेदन करने के पात्र हैं।

जून और जुलाई, 1977 में बिना टिकट यात्रा में वृद्धि

5821. **श्री आर०वी० स्वामीनाथन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून और जुलाई, 1977 में भारतीय रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो समस्त देश में ऐसे कितने यात्री गिरफ्तार किये गये ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जुलाई, 1977 मास के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु भारतीय रेलों पर जून, 1976 की तुलना में जून, 1977 क दौरान बिना टिकट यात्रा में बढ़ोतरी नहीं हुई है ।

(ख) जून, 1977 मास के दौरान अनियमित रूप से यात्रा करने वाले 29,318 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

सहकारी समितियों के लिए बुक-स्टाल

5822. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया बुक-स्टाल एम्प्लाईज एसोसिएशन और आल इंडिया स्माल न्यूजपेपर्स एडिटर्स कान्फरेंस ने सरकार से अनुरोध किया है कि बुक-स्टालों को सहकारी समितियों को सौंपा जाये, और

(ख) यदि हां, तो उस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) केवल आल इंडिया रेलवे बुक-स्टाल-एम्प्लाईज यूनियन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि बुक-स्टाल मजदूरों, शिक्षित बेरोजगारों अथवा उनकी सहकारी समितियों को बुक-स्टाल दिये जाएं ।

(ख) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, बुक-स्टालों के सभी नये आबंटन 18 से 30 वर्ष तक के आयु-वर्ग में आने वाले अलग-अलग बेरोजगार स्नातकों, उनकी भागीदारियों, एसोसिएशनों और सहकारी समितियों को नीचे लिखे अनुसार दिये जाएंगे :--

(i) उन स्टेशनों पर जहां फिलहाल कोई बुक-स्टाल नहीं है, लेकिन जहां कोई बुक-स्टाल खोलना ज़रूरी समझा जाये,

(ii) उन नये स्टेशनों पर जो भविष्य में खोले जाएं, और

(iii) मौजूदा स्टेशनों के उन नये प्लेटफार्मों पर जो 1-1-1976 को अथवा इसके बाद बनाये गये हों, भले ही वहां बुक-स्टाल ठेकेदार पहले से ही हों ।

चलती गाड़ियों में यात्रियों पर हमले और चोरी की घटनाएं

5823. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :**
श्री जी०वाई० कृष्णन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में गत 6 महीनों के दौरान चलती गाड़ियों में यात्रियों पर हमले और चोरी के लिए कितने मामलों का पता चला,

(ख) उस अवधि में इस सम्बन्ध में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ग) क्या हाल ही में ऐसे अपराधों में वृद्धि हो रही है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अंकलेश्वर सिटी में उपभोक्ता गैस एजेन्सी

5824. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के भड़ौंच जिले में अंकलेश्वर सिटी में कौन सी पार्टी उपभोक्ता गैस एजेंसी चला रही है;

(ख) उस एजेंसी के पास दिसम्बर, 1976 तक कितने नये कनैक्शन पंजीकृत किये गये;

(ग) वर्ष 1976 के दौरान कितने कनैक्शन दिये गये;

(घ) यदि नये कनैक्शन न देने के लिए कोई अनुदेश जारी किये गये हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार नये कनेक्शन देने के मामले पर पुनर्विचार करेगी ?

पैट्रोलियम तथा रवायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : : (क) अंकलेश्वर में इण्डेन गैस डीलरशिप को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी सहकारी क्रेडिट उपभोक्ता समिति चला रही है ।

(ख) 1274 कनैक्शन।

(ग) 901 कनैक्शन।

(घ) और (ङ) उपरोक्त डीलरशिप की इण्डेन गैस की सप्लाई कोयाली रिफाइनरी के बाहर की जाती है । कोयाली रिफाइनरी के बाहर उत्पाद पूर्ण रूप से सप्लाई किये जाने के बाद नये कनैक्शन जारी करने पर जनवरी, 1977 से लेकर उत्पाद की उपलब्धि में सुधार होने तक पाबंदी लगा दी गई है ।

नए उर्वरक कारखाने की स्थापना में सहयोग

5825. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहयोग से नये संयंत्र स्थापित किये जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो किस देश के साथ ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में नए उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करने के लिए वित्तीय अथवा तकनीकी सहयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि मैसर्स नागार्जुना उर्वरक लि० द्वारा स्थापित की जाने वाली काकीनाडा उर्वरक प्रायोजना के लिए विदेशी साम्य पूंजी साझेदारी का प्रस्ताव है । प्रस्ताव के ब्यौरों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

Television Service at Delhi Station

5826. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the extent to which television service started at New Delhi Railway Station for making announcement and teiecasting commercial advaertisement as proved successful;

(b) the total amount of profit accrued to the department from commercial advertisements; and

(c) whether a similar service is proposed to be started at Delhi main Station also ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) The system of CCTV at New Delhi Railway Station for making announcement and telecasting commercial advertisement has proved quite successful.

(b) The Railway earned approximately Rs. 72,000 from commercial advertising through this media in one year.

(c) The proposal for provision of CCTV at **Delhi** main Station is under consideration.

डी०ए०आर० के अंतर्गत दंडित कर्मचारी स्टाफ

5827. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थायी तथा अस्थायी रेलवे कर्मचारियों को 1 जून, 1974 से 31 मई, 1977 तक छोटे जुर्मानों के लिए डी० ए० आर० के अन्तर्गत कितने स्टेण्डर्ड फार्म संख्या 11 जारी किये गये और जोनल रेलवे-वार कितने स्टाफ को दंडित किया गया;

(ख) रेलवे के कर्मचारियों को 1 जून, 1974 से 31 मई, 1977 तक बड़े जुर्मानों के लिए डी० ए० आर० के अन्तर्गत कितने स्टैण्डर्ड फार्म संख्या 5 जारी किये गये और जोनल रेलवे-वार कितने स्टाफ को दंडित किया गया; और

(ग) डी० ए० आर० जोन-वार जानकारी के अंतर्गत 1 जून, 1974 से 31 मई, 1977 तक की तीन वर्षों की अवधि के दौरान कितने स्टाफ को सेवा से हटाया गया ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे के गार्डों द्वारा "नियमानुसार काम करो" अभियान

5828. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के गार्डों ने 1974 के समझौते के क्रियान्वयन सहित अपनी मांगों को लेकर "नियमानुसार काम करो" अभियान चलाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी अन्य मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) समाचार पत्रों में छपी खबर से ऐसा पता चला है कि आल इन्डिया गार्डस कौंसिल ने 28-6-1977 को आयोजित अपने वार्षिक अधिवेशन में यह विनिश्चय किया है कि यदि एक महीने के भीतर उनकी मांगें न मानी गईं तो वे 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन छेड़ देंगे । लेकिन अभी तक गार्डों की ओर से कोई पत्र/मांगों की सूची प्राप्त नहीं हुई है ।

Patliputra Express

†5829. **Shri R.L.P. Verma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether officers of coal and mica-bearing areas, the persons going to the High Court and other people in Giridih, an industrial district in Bihar State are proposed to be provided the facility of 'Patliputra Express' so that they reach Patna by 11.00 A.M.; and

(b) if so, whether orders regarding changing the time schedule of thd Giridih-Madhupur passenger train which arrives at Madhupur Junction 15 minutes after the departure of the Patliputra Express are proposed to be issued so that it may leave Giridih 30 minutes earlier and if so, when ?

The Miniser of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) & (b) . Yes. The change in schedule of 2 MG Giridih-Madhupur passenger to connect 25 UP Patliputra Express is under consideration and action as found feasible will be taken, in October, 1977 Time Table.

Proposal to Constitute Passengers Amenities Council

5830. **Shri R.L.P. Verma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to siate :

(a) the different types of vendors working on all the stations in the country indicating their number, category-wise as well as the number of persons employed by them and th e amount received as royalty by the Railways from them;

(b) whether the licences granted to all the vendors selling different a rticles to passen - gers' use are uniform or some of them have to pay royalties also ; and

(c) whether Government propose to constitute a passengers' amenities advisory council and entrust to it the supervision, control and employment of workers ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) The details are being collected and a statement will be laid on the table of the Sabha.

(b) The vending/catering contractors selling edibles pay licence fee. The miscellaneous articles contract at big stations is allotted by inviting tenders and the licence fee is fixed on the basis of tendered amount. Tne contractors for miscellaneous articles at other stations pay licence fee. Bookstall contracts to major contractors are allotted on the basis of royalty whereas the smaller bookstall contractos pay licence fee.

(c) No.

मेसर्ज बनर्जी ब्रदर्स को दी गई सुविधाएँ

5831. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्ज ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी की पुरानी भागीदार मेसर्ज बनर्जी ब्रदर्स दिल्ली मुख्य स्टेशन पर 13 बुक स्टालों को चला कर ढाई हजार रुपये प्रतिमास की रायल्टी अदा करती है जबकि खिलौने तथा अन्य वस्तुएं बेचने के लिये चार 'ट्रालियां' चलाने वाले दो ठेकेदार प्रतिमास 6 हजार रुपये की रायल्टी अदा करते हैं;

(ख) क्या मेसर्स बनर्जी (वातानुकूलित, प्रथम श्रेणी तथा 2-टियर शयन बर्थों के लिये 22) मुफ्त पासों का उपयोग करके अपनी इच्छानुसार यात्रा करते हैं जबकि खिलौने के स्टाल वाले ठेकेदारों को ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) तथा (ख) भाग का उत्तर 'हां' में है तो क्या सरकार का विचार इस अनियमितता को दूर करने के लिये कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) ठेके की शर्तों के अनुसार, बुक स्टालों के ठेकेदार अपनी कुल बिक्री पर रायल्टी का भुगतान करते हैं, जबकि विभिन्न वस्तुओं के ठेके निविदाएं आमंत्रित करके दिए जाते हैं और निविदा की राशि के आधार पर लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया जाता है । मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी की दिल्ली मेन स्टेशन पर पांच बुक स्टाल हैं और उन्होंने वर्ष 1976 में 2335.83 रु० औसतन प्रतिमाह रायल्टी का भुगतान किया है । विभिन्न वस्तुओं के दो अन्य ठेकेदार हैं जिनकी प्रत्येक की दिल्ली मेन पर दो-दो ट्रालियां हैं और वे 1673 रु० और 1500 रु० औसतन प्रतिमाह लाइसेंस शुल्क दे रहे हैं ।

(ख) करार की शर्तों के अनुसार, उत्तर रेलवे ने मेसर्स ए० एच० व्हीलर एन्ड कम्पनी को पहले दर्जे के 7 और दूसरे दर्जे के 7 कार्ड पास जारी किये हैं जो केवल ऐसे विभिन्न स्टेशनों के 7 समूहों तक उपलब्ध हैं जहां उनकी बुकस्टाल मौजूद हैं । ये पास उन्हें उत्तर रेलवे के 34 स्टेशनों पर स्थित उनकी बुक स्टालों के पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध करने के लिए जारी किए गए हैं । चूंकि उनके ठेके केवल दिल्ली मेन स्टेशन पर ही हैं इसलिए विभिन्न वस्तुओं के ठेकेदारों को इस प्रकार के कोई पास जारी नहीं किए गए हैं ।

(ग) जैसा कि इस प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है, कोई अनियमितता नहीं हुई है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों की राष्ट्रीय यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा हड़ताल

5832. **श्री निहार लास्कर**

श्री पी०के० कोडियन

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को राष्ट्रीय यूनियन के प्रतिनिधियों ने अपने 9-सूत्री मांग-पत्र के समर्थन में आयोग के मुख्यालय पर बारी-बारी भूख हड़ताल आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उनकी शिकायतें दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) राष्ट्रीय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी संघ, देहरादून ने अपनी मांगों के समर्थन में 5-7-1977 से सांकेतिक भूख हड़ताल आरम्भ कर दी । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग प्रबंध और संघ के बीच में हुई द्विपक्षीय वार्तालाप के परिणामस्वरूप सांकेतिक भूख हड़ताल 28-7-1977 को समाप्त कर दी गई थी।

(ख) संघ की मांगों और उन पर की गई कार्यवाही/ की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

संघ की मांगों और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही/की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही

क्रमांक	संघ की मांगें	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही
1.	वर्ष 1975-76 के लिए 20% बोनस की तत्काल घोषणा और 1975-76 के 6½% बकाया बोनस का शीघ्र भुगतान	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बोनस अधिनियम, 1965 की भुगतान के उपबन्धों के अनुसार उपलब्ध अधिशेष के आधार पर पहले से ही 13½% बोनस का भुगतान कर दिया है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बोनस अधिनियम के भुगतान की धारा 31(क) के अन्तर्गत यथा परिकल्पित उत्पादन/उत्पादकता का संबंध जोड़ते हुए अपने कर्मचारियों को, बोनस का भुगतान करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है।
2.	केन्द्रीय महंगाई भत्ते का भुगतान और हाल ही में वेतन संशोधन करार दिनांक 25-9-1976 में यथा निगमित भिन्न-भिन्न महंगाई भत्ते के स्थान पर, केन्द्रीय महंगाई सूत्र को लागू करना।	दिनांक 25-9-1976 को वर्ग-III और IV कर्मचारियों के वेतन मान संशोधन करने वाले करार के ज्ञापन पर तेल तथा गैस आयोग के प्रबन्ध और मान्यता प्राप्त संघ के बीच हस्ताक्षर किये गये थे। इस करार में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के भुगतान की व्यवस्था शामिल है। अतः परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के स्थान पर केन्द्रीय महंगाई भत्ता सूत्र को लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।
3.	1-4-1975 से सी० डी० एस० से गलती से की गई वसूली और उस पर अर्जित पूरे ब्याज की तत्काल अदायगी।	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने दिनांक 25-9-1976 के करार ज्ञापन के अनुसार 1-4-1975 से वर्ग III और IV के कर्मचारियों के वेतन मानों से संशोधन किये जाने के परिणामस्वरूप सी० डी० एस० से गलती से वसूल की गई धन राशि को लौटाने से संबंधित मामला, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ उठाया था। केन्द्रीय भविष्यनिधि आयुक्त केवल उन वसूलियों को लौटाने के लिए सहमत था जो करार की तारीख अर्थात् 25-9-1976 के बाद की गई थी। तदनुसार गलती से की गई इन वसूलियों को लौटाने के लिए, ओ० एन० जी० सी० द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा चुकी है। फिर भी, जैसा कि संघ द्वारा यह इच्छा प्रकट की गई है, इन वसूलियों को 1-4-1976 से लौटाने से संबंधित मामले को पुनः केन्द्रीय भविष्य निधि प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।
4.	मकान बनाने के लिए अतिरिक्त अग्रिम धन का तत्काल स्वीकृति	इस सम्बन्ध में ओ०एन०जी०सी० प्रबंध द्वारा जरूरी हिदायतें पहले से ही जारी कर दी गई हैं और यह मामला निपटा दिया गया है।

क्रमांक संघ की मांगें	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही/की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही
5. देहरादून में मुख्यालय के कर्मचारियों के शीत ऋतु भत्ते की तत्काल स्वीकृति 6. देहरादून में आयोग के मुख्यालय के कर्मचारियों को पहाड़ भत्ते की तत्काल मंजूरी ।	उत्तर प्रदेश सरकार ने देहरादून जैसे स्थानों पर तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को नवम्बर, 1975 से शीत ऋतु भत्ते की मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुदेश जारी कर दिये गये हैं । जहां तक पहाड़ भत्ते का संबंध है, संघ अब तक वह आधार प्रस्तुत नहीं कर सका है जिससे यह मांग की गई थी । केन्द्रीय सरकार ने भी देहरादून में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस प्रकार के भत्ते की मंजूरी देने के लिए किसी प्रकार की हिदायतें जारी नहीं की हैं । तदनुसार इस मांग को मानना सम्भव नहीं है ।
7. फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत यथा रूप से व्यवस्थित सभी सांविधिक (कानूनी) सुविधाओं का तत्काल व्यवस्था करना ।	संघ की यह मांग स्पष्ट नहीं है । फैक्टरी अधिनियम के उपबन्धों की पालना करने के लिए ओ० एन० जी० सी० द्वारा सभी प्रयास किये जा रहे हैं । फिर भी इस मामलें की जांच की जा सकती है । यदि संघ द्वारा विशेष मद्दों का उल्लेख किया जाता है ।
8. आयोग में नियमित संवर्ग में ओ० एन० जी० सी० द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को खपाना और भविष्य में भी इस नीति का अनुसरण करना ।	प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 में प्रशिक्षुओं को उनके अपने प्रशिक्षण से पूरा कर लेने पर खपाने संबंधी कोई शर्त नियोक्ता पर लागू नहीं होती ।
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का रोस्टर बनाया जाए और संघ द्वारा इसकी मांग पर इसे उपलब्ध कराना	संघ द्वारा मांग किये जाने पर ओ० एन० जी० सी० द्वारा अधिकांश सूचना भेजी जा चुकी है ।
10. सभी कामगारों को अवकाश के लिये नकदी भुगतान की अनुमति प्रदान की जाये ।	यह एक अखिल भारतीय समस्या है । अवकाश नकदी योजना को लागू करने से संबंधित ओ० एन० जी० सी० का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है और सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है ।
11. जैसा कि संघ द्वारा पहले मांग की जा चुकी है, देहरादून में मकान किराया भत्ता $7\frac{1}{2}\%$ की बजाय 20% की दर से भुगतान किया जाये ।	देहरादून में तैनात अपने कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मकान किराया भत्ते की दर $7\frac{1}{2}\%$ निर्धारित की जा चुकी है । आयोग अपने कर्मचारियों को उसी पर मकान किराया भत्ते की अदायगी कर रहा है । फिर भी, देहरादून में मकान-किराया भत्ते की दर में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर ओ० एन० जी० सी० द्वारा विचार कर लिया गया है और सरकार को आदेशार्थ भेजा जा रहा है ।
12. प्रत्येक संशोधित वेतनमानों में सम्मिलित सभी संवर्गों की सूचियां तत्काल प्रेषित करना ।	ओ० एन० जी० सी० द्वारा इसे पहले से ही कर दिया गया है ।

क्रमांक	संघ की मांगें	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही/की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही
13.	सभी प्रदेशों के सभी कामगारों की वरीयता का उसी प्रकार से केन्द्रीकरण किया जाये जैसा कि श्रेणी-I और II अधिकारियों के मामले अपनी वरीयता को बनाये रखा जा रहा है और उत्तरी प्रदेश (अब केन्द्रीय प्रदेश) और तटदूर के कामगारों की वरीयता का विभाजन न किया जाये।	सभी श्रेणी III और IV, तकनीकी और गैर-तकनीकी संवर्ग विकेन्द्रीकृत हैं। श्रेणी-I और II अधिकारियों का संवर्ग केन्द्रीयकृत है। इस प्रकार के विकेन्द्रीकरण के लिए पहले कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, अतः केन्द्रीयकरण करने की मांग विलम्बित है और यदि इस प्रश्न को इस समय पुनः उठाया जाता है तो इससे अनेक प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी क्योंकि ऐसा करने से भारत की अन्य प्रदेशों के अन्य इकाइयों में कार्यरत कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे।
14.	विभिन्न प्रायोजनाओं की मैगजीनों पर तैनात अंगरक्षकों की अन्य क्षेत्रीय संचालन स्टाक के समतुल्य सभी भत्ते दिये जायें और उन्हें बारी-बारी से नियुक्त किया जाये।	संघ की मांग में इसका कोई और औचित्य नहीं है अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
15.	देहरादून के ड्राइवरों को अतिरिक्त ड्यूटी भत्ते की अदायगी की जाये जैसा कि दिल्ली स्थित ओ० एन० जी० सी० के कार्यालय के ड्राइवरों को दिया जा रहा है और उन्हें बारी-बारी से दौरे पर भेजा जाये और उन्हें विश्राम कक्ष की सुविधायें आदि प्रदान की जायें।	संघ द्वारा जैसा कि उल्लेख किया गया है, दिल्ली में ड्राइवरों को कोई अतिरिक्त भत्ते की अदायगी नहीं की जा रही है। सामान्य तौर पर देहरादून में तैनात चालकों को बारी-बारी से दिल्ली में ड्यूटी पर भेजा जाता है और वहां पर विश्राम कक्ष की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
16.	मान्यता प्राप्त संघों को अपने-अपने कार्यालय चलाने के लिए सभी सुख सुविधाओं सहित संघ के कार्यालय के लिए समुचित स्थान की व्यवस्था की जाये।	इस सम्बन्ध में ओ० एन० जी० सी० द्वारा 30 जून, 1977 को समुचित हिदायतें जारी कर दी गई हैं जिसमें मान्यता प्राप्त संघों के लिए मासिक किराये की सहायक व्यवस्था प्रदान की गई है।

Fertilizers Factory at Korba, Talcher and Ramagundam

5833. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) when the proposals for setting up fertilizer fact ories at Korba, Ramagundam and Talcher were first received;

(b) when the proposal was approved;

(c) the value of the machines purchased for these three factories during 1973-74, 1974-75 and 1975-76; and

(d) when the Ramagundam fertilizer factory was to commence production and when it would start prouction and the position in respect of rest of the factories ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) :

(a) and (b) The Feasibility Reports for setting up of fertilizer factories at Korba, Ramagundam and Talcher were received by Govt. during. 1968-69. Govt. gave clearance in principle to initiate action for implementation of Ramagundam and Talcher Projects in October 1969. Industrial licences for both the projects were issued by Govt. in Jan. 1971. The Korba Project was approved in principle in Jan. 1972 and formal clearance of the project was given in June 1974.

(c) The total expenditure incurred on these projects, which includes cost of plant and machinery, civil works, departmental charges, construction of twonship etc., is given below :—

(Rs. lakhs)

Year	Ramagundam	Talcher	Korba
1973-74	2487	2336	151
1974-75	2894	3070	331
1975-76	2046	1902	689

(d) Ramagundam and Talcher projects which were originally scheduled to co mmence production in July 1975, are now expected to be commissioned by May/June 1978 and go into commercial production by Jan., 1979. Korba project was originally scheduled to be completed by December, 1978 but it was slowed down because of resources constraint and because it was thought advisable to wait until the experience in commissioning the otker two plants was studied in depth so as to avoid similar problems in Korba. The question of starting work on Korba plant will, therefore, be considered in 1979.

Estimated outlay involved in the Korba Fertilizer Faetory

5834. **Shri Nirmal Chandra Jain :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the total estimated outlay involved in the Korba Fertilizer Plant and what was the scheduled completion period therefor ;

(b) the expenditure incurred thereon upto-date and the expenditure prospoed for 1977-78;

(c) when the plant is likely to be completed and if its completion is being delayed the reasons therefor; and

(d) what will be the production capacity of the Plant on its completion ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) to (d) The Korba Fertilizer project which was originally estimated to cost Rs. 118.25 crores, was approved for implementation in June 1974 and was scheduled to have been completed in 1978. The project was envisaged to produce 227,000 tonnes of nitrogen per annum. The expenditure incurred on the project upto March, 1977 is Rs. 17.91 corres. During the year 1977-78 an amount of Rs. 2.96 crores is expected to be spent on the project. The implementation of the project was slowed down due to the resources constraint and the decision that the further implementation of the project as well as setting up additional capacity based on coal as feedstock should be considered only after experience is available of the operation of the two coal based plants under implementation at Talcher and Ramagundam. The question of starting work on Korba plant will therefore be considered in 1979.

प्रस्तावित दिल्ली-राजहरा-जगदलपुर रेल लाइन से अनुमानित वार्षिक आय

5835. **श्री निर्मल चन्द्र जैन :**

श्री भागीरथ भंवर :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित दिल्ली-राजहरा-जगदलपुर (बरास्ता नारायणपुर और कोण्डागांव) रेल लाइन, जो बम्बई-हालड़ा रेल लाइन को जोड़ेगी, से अनुमानतः कितनी वार्षिक आय होगी;

(ख) उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(ग) उस पर निर्माण कार्य कब तक चालू हो जायेगा और यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) सर्वेक्षण रिपोर्टों से यह पता चला है कि 234 कि० मी० लम्बी दिल्ली-राजहरा-जगदल पुर लाइन बिछाने पर 46 करोड़ रुपये की लागत आएगी और भाप कर्षण द्वारा 7.84% (डी० सी० एफ०) तथा डीजल कर्षण द्वारा 7.97% (डी० सी० एफ०) की आय होगी। वित्तीय आय तथा रिपोर्टों के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। इस लाइन के निर्माण के संबंध में अन्तिम निर्णय रिपोर्टों की जांच करने के पश्चात् किया जायेगा। यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

गैस सिलिण्डरों की कमी

5836. **श्री जी०एम० बनतवाला :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस सिलिंडरों की कमी है जिसके परिणामस्वरूप देश में उत्पादित गैस का पूरी तरह परिरक्षण और उपयोग नहीं किया जा सकता है;

(ख) क्या गैस सिलिंडरों का आयात किया जाता है अथवा उन्हें भारत में बनाया जाता है; और

(ग) भारत में कौन-कौन सी फर्में सिलिण्डर बनाती हैं और किन शर्तों पर तथा उनकी क्षमता क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (हेमवती नदन बहुगणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) गैस सिलिंडर देश में ही बनाये जाते हैं।

(ग) गैस सिलिंडर बनाने वाली फर्मों के नाम और उनकी वार्षिक अधिकतम क्षमता नीचे दी गई है :

	सिलिंडर/वर्ष
1. हैदराबाद अल्वायन, हैदराबाद .	420,000
2. अपीजे स्ट्रक्चरलर्श, कलकत्ता	60,000
3. इंडियन गैस सिलिंडर्स, फरीदाबाद	120,000
4. हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्री, दिल्ली	132,000
5. अंबिका सिलिंडर्स, अहमदाबाद	360,000
6. गानन इंकरले, बम्बई	120,000
7. कोसन मेटल्स, बम्बई	300,000

इस प्रकार की सप्लाई की शर्तें एक पूर्ति कर्ता से दूसरे पूर्ति कर्ता और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न-भिन्न होती हैं।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस के कनैक्शनों की मंजूरी

5837. **श्री जी०एम० बनतवाला** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) 1 मार्च, 1977 के बाद आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिल्ली में गैस के कितने नये कनेक्शनों की मंजूरी दी गई और आवंटित किये गये ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि गैस के नये कनेक्शनों का पहले आने वालों को पहले देने के आधार पर दृढ़तापूर्वक आवंटन नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो आवंटन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) दिल्ली में घरेलू गैस के कनैक्शन इंडियन आयल कारपोरेशन लि० (आई० ओ० सी०) के डीलरों द्वारा आवंटित किये जाते हैं न कि आयल इंडिया लि० द्वारा। आई० ओ० सी० ने दिल्ली में 1 मार्च, 1977 से अब तक 4031 नये गैस कनैक्शन दिये हैं।

(ख) और (ग) डीलरों द्वारा नये गैस कनैक्शन उनके द्वारा अनुरक्षित प्रतीक्षा अनुसूची में से पहले-आ ओ पहले (गैस)—लो०के० आधार पर उक्त उत्पाद के उपलब्ध होने पर दिये जाते हैं। तथापि कुछ मामलों में उनके गुणों के आधार पर प्राथमिकता से भी गैस कनैक्शन दिये जाते हैं।

गुन्तकल शेड में स्थायी कार्य के लिए नैमित्तिक (पीस रेटिड) कर्मचारी

5838. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुन्तकल रेलवे ट्रांशिपमेंट शैड में स्थायी कार्य पर नैमित्तिक (पीस रेटिड) कर्मचारी लगाये हुए हैं ;

(ख) वे किस वर्ष से कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें स्थाई करने का है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं। गुन्तुकल यानांतरण शेड में यानांतरण कार्य नियमित विभागीय हमालों द्वारा चलाया जाता है लेकिन यातायात की मात्रा के आधार पर उनकी सहायता के लिए उजरती दरों पर नैमित्तिक श्रमिकों को लगाया जाता है।

(ख) यह प्रणाली 1961 से लागू की गयी है।

(ग) जी नहीं। उजरती कर्मचारी न तो नियमित कर्मचारी हैं, न ही नैमित्तिक श्रमिक। उनको पण्य-वार प्रति माल डिब्बा मीटरिक टन के आधार पर भुगतान किया जाता है। यानान्तरित माल की मात्रा के हिसाब से उन्हें साप्ताहिक भुगतान किया जाता है।

निर्धारित अवधि पूरी कर चुके भाप इंजिन

5839. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भाप इंजनों की संख्या कितनी है जो अपने कार्यकरण की निर्धारित अवधि पूरी कर चुके हैं परन्तु रेल गाड़ियां चलाने के लिए जिनको अभी तक उपयोग में लाया जा रहा है; और

(ख) वर्ष 1976-77 में ये कितनी बार खराब हुए जिससे यात्रियों को असुविधा हुई?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) बड़ी लाइन के 18 और मीटर लाइन के 182 भाप-चालित गतायु रेल इंजन ऐसे हैं जिन्हें सवारी और माल गाड़ियां चलाने के लिए अभी भी भारतीय रेलों पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) 1976-77 के दौरान, यात्री गाड़ियां खींचते समय बड़ी लाइन के 8 और मीटर लाइन के 25 गतायु रेल इंजनों में खरीबी हो जाने की रिपोर्ट मिली थी।

वर्ष 1976-77 के दौरान एकाधिकार व्यापार प्रक्रियाओं के बारे में जांच

5840. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग से वर्ष 1976-77 के दौरान एकाधिकारवादी व्यापार प्रक्रिया के बारे में जांच करने के लिए कहा था; और

(ख) यदि हां, तो आयोग ने इस बारे में क्या कार्यवाही की?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

विभिन्न तेलशोधन कारखानों में उत्पादन का स्तर

5841. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न तेलशोधन कारखानों और तेलशोधन के विदेशी स्वामित्व के कारखानों में इस समय, उत्पादवार उत्पादन के स्तर के बारे में ब्यौरा क्या है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना वधि के अंत पर ये क्या होगा ; और

(ख) देश में इस समय मुख्य पैट्रोलियम उत्पादों के वास्तविक उत्पादन, आयात और मांग संबंधी आंकड़े क्या हैं और 1978-79 में मांग तथा सप्लाई के बारे में क्या स्थिति होगी?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इस समय देश में डिग्बोई स्थित असम आयल कम्पनी ही एक मात्र विदेशी स्वामित्व प्राप्त शोधनशाला है। वर्ष 1977-78 के दौरान विभिन्न शोधनशालाओं में अनुमानित कच्चे तेल का उत्पादन नीचे दिया गया है :

(आंकड़े 000'मी० टनों में)

1	2 1977-78
असम आयल कम्पनी	530
भारत रिफइनरीज़ लिमि०	4480
हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन	2950
कालटैक्स आयल रिफाइनिंग (आई) लिमि०	1400

1	2
गोहाटी शोधनशाला	820
बरौनी तेल शोधनशाला	3250
कोयला शोधनशाला	4200
कोचीन शोधनशाला लिमि०	2900
मद्रास शोधनशाला	2660
हल्दिया शोधनशाला	2210
बोंगईगांव शोधनशाला	—
कुल	25400

पांचवीं योजना के अन्त तक अर्थात् वर्ष 1978-79 में विभिन्न शोधनशालाओं में कच्चे तेल के उत्पादन से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

विभिन्न पैट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन कच्चे तेल को उस किस्म पर निर्भर करता है जो कि विभिन्न शोधनशालाओं में साफ करने के लिए उपलब्ध होगा। तथापि देश में इस समय (1977-78) और 1978-79 में मुख्य-मुख्य पैट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग, उत्पादन और आयात को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(आंकड़े 000'मी० टन में)

प्रमुख उत्पाद	अनुमानित भाग (1977-78)	(1978-79)	अनुमानित उत्पाद (1977-78)	(1978-79)	अनुमानित (1977-78)	आयात (1978-79)
मोटर स्पिरिट	1355	1410	1355	1410	—	—
नेफ्था	2600	2931	2368	2673	232	300
वैमानिक टरबाईन इंधन	1040	1104	1040	1104	—	—
उत्कृष्ट मिट्टी का तेल	3515	3722	2740	2825	815	950
हाई स्पीड डीज़ल तेल	7730	8264	7165	7804	610	550
लाइट डीजल तेल भट्टी तेल	1145	1210	1145	1210	—	—
(एल० एस० एच० एस०/एच एच एस सहित)	6100	6913	5407	5683	693	1230
बिटुमन	935	1010	935	1010	—	—

बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण रेल सम्पत्ति की क्षति

5842. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण रेलवे की सम्पत्ति की जोनवार कितनी-कितनी क्षति हुई है; और

(ख) उक्त अवधि में रेल सम्पत्ति को फिर से उपलब्ध करने में तथा मरम्मत आदि कार्यों में जोनवार, कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) बाढ़ और अन्य प्राकृतिक अपदाओं के कारण रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की मात्रा

विवरण

(आंकड़े हज़ार रु० में)

रेलवे	1974-75	1975-76	1976-77
मध्य	1,85	4,74	6,73
पूर्व	93	11,38	1,85,40
उत्तर	4,11	53,24	7,61
पूर्वोत्तर .	9,00	55,45	33,85
पूर्वोत्तर सीमा	54,57	13,56	30,56
दक्षिण .	24	1,65	53,34
दक्षिण मध्य	46	1,80	3,58
दक्षिण पूर्व .	5,00	27,90	3,18
पश्चिम	8,54	74,29	2,20,83

(ख) रेल सम्पत्ति के पुनः स्थापन और मरम्मत पर खर्च की गयी राशि

(आकड़े हजार रू० में)

रेलवे	1974-75	1975-76	1976-77
मध्य	1,85	4,74	6,73
पूर्व	93	11,59	1,85,40
उत्तर	10,95	1,10,23	17,49
पूर्वोत्तर .	20,08	99,81	57,09
पूर्वोत्तर सीमा	54,57	13,56	30,56
दक्षिण .	24	1,65	53,86
दक्षिण मध्य	46	1,80	3,58
दक्षिण पूर्व .	5,00	27,90	3,18
पश्चिम	8,54	1,07,78	4,77,83

मिन्टो ब्रिज का दूसरा नाम रखना

5843. **श्री समर गुह** : क्या रेल रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महान क्रांतिकारी, रास बिहारी बोस की स्मृति में जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपना मुख्यालय दिल्ली में रखा और बाद में प्रथम आजाद हिन्द फौज बनाई, मिन्टों ब्रिज का नाम बदलने का विचार है : और

(ख) यदि हां तो इस समारोह का आयोजन कब किया जायेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं अधिनियम का कार्यान्वयन

5844. **श्री समर गुह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार व्यापार तथा कारोबार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए पारित विधेयक को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1974-75 से 1976-77 के दौरान कोई कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रकार के व्यापार कारोबार तथा औद्योगिक घरानों के विरूद्ध उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कुछ मामले अभी भी विचाराधीन हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ङ) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम भारत में विदेशी कम्पनियों पर भी लागू होता है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) : काधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969, 1 जून, 1970 से लागू हुआ है और कथित अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार संसद के दोनों सदनों के सम्मुख अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण के सम्बन्ध में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश द्वारा प्राधिकृत है। कथित अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से एकाधिकारिक प्रथा और व्यापार को सरकार द्वारा खत्म करने की कार्यवाहियों तथा अनिर्णीत मामलों के ब्यौरों का कलैण्डर वर्ष 1971 से 1975 तक पांच सांविधिक वार्षिक रिपोर्टों में, जो पहले ही सदन के पटल पर रखी जा चुकी हैं, में उल्लेख किया गया है। कलैण्डर वर्ष 1976 की वार्षिक रिपोर्ट का संकलन किया जा रहा है।

(घ) से (च) : एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों पर लागू होता है सामान्यतः उन निर्बन्धनकारी और एकाधिकारिक व्यापार प्रथाओं और अधिनियम के अध्याय III के अन्तर्गत इस प्रकार की विदेशी कम्पनियों के अधीन आने वाले उपक्रमों के सामान्य ह्रास में आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण के निवाणार्थ लागू होते हैं।

भारत में रसायन उद्योगों की संख्या

5845. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी रसायन कम्पनियां काम कर रही हैं और ऐसी कम्पनियों में (i) भारतीय पूंजी वाली सभारतीय मूल की और (ii) विदेशी पूंजी वाली विदेशी कम्पनियों से सम्बद्ध कम्पनियों की संख्या का क्या ब्यौरा है ;

(ख) ऐसी भारतीय तथा विदेशी रसायन कम्पनियों में कार्यरत पूंजी कितनी कितनी हैं ;

(ग) क्या सरकार की सरकारी क्षेत्र में अधिक संख्या में उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) देश में लगभग 2,500 एकक औषध और भेसज के उत्पादन में लगे हुए है जिनमें से 58 एककों में 26 प्रतिशत और उससे अधिक विदेशी निवेश लगा हुआ है ।

यहां तकनीकी ग्रेड पेस्टीसाइडस और पेस्टीसाइड्स के उत्पादन में 44 कम्पनियां लगी हुई हैं । इन में से 14 कम्पनियों में विदेशी संबंध/विदेशी साम्यपूंजी है । उर्वरक और अन्य रसायन कम्पनियों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) पांचमी योजना कार्यक्रम के अनुसार सरकार ने सरकारी क्षेत्र में भारतीय औषध और भेषज लि०, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०, हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाईड्स लि० और हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि० में विस्तार और/अथवा नई योजनाओं की मंजूरी दी थी ।

सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त उर्वरक क्षमता स्थापित करने के लिए वृहत्त कार्यक्रम का पहले ही कार्यान्वियन किया जा रहा है । सरकार का चार नई उर्वरक प्रायोजनाओं का कार्यान्वियन करने का प्रस्ताव है, दो 1977–78 में और दो 1978–79 में । इन प्रायोजनाओं में से तीन सरकारी क्षेत्र में और चौथी सहकारी क्षेत्र में स्थापित होने की संभावना है ।

एकाधिकार घरानों द्वारा एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम का उल्लंघन

5846. **श्री एन० श्रीकान्तम नायर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम के उल्लंघन के लिए एकाधिकार घरानों के विरूद्ध जांच के कितने मामले विचाराधीन हैं ;

(ख) ये मामले कब से विचाराधीन हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या औद्योगिक लाइसेंसों सहित और आगे सुविधायें और रियायतें देने की अनुमति दी गई थी जब कि जांच अभी चल रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) शब्द "एकाधिकार घरानों" को, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 में परिभाषित नहीं किया गया है । इस अधिनियम के प्रशासन के उद्देश्य के लिये, इनका अर्थ, इसकी धारा 20(क) के उपबन्धों के संदर्भ में, इस की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों के लिये लिया गया है । एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, जिसके लिये उपबन्ध, इस अधिनियम के अध्याय 8 में उल्लिखित है, के उल्लंघनों के लिए इस प्रकार के उपक्रमों के विरुद्ध कोई जांच मामले अनिर्णीत नहीं है ।

(ख) से (घ) : उत्पन्न नहीं होते ।

सड़क परिवहन के साथ तालमेल की योजना

5847. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे का सभी अधिक भाड़े वाला यातायात शनः शनः सड़क परिवहन को जा रहा है; और

(ख) बेकार की प्रतिस्पर्धा से बचने के लिये सड़क परिवहन के साथ तालमेल करने के लिये रेलवे की क्या योजना है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं ।

(ख) निरर्थक प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, का ध्यान एकीकृत राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने की आवश्यकता की ओर हो गया है और वह मंत्रालय पहले ही विभिन्न संबंधित मंत्रालयों, जिनमें रेल मंत्रालय भी शामिल है, के साथ परामर्श करके उक्त नीति के बारे में ब्यौरा तैयार कर रहा है।

मध्य प्रदेश में माल की ढुलाई के लिए वैगन

5848. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोल इण्डिया द्वारा अपने उपयोग के लिये अधिक वैगन प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों का पता है ;

(ख) क्या विशेष रूप से मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में माल यातायात का संवर्धन करना रेल विभाग का कर्त्तव्य है क्योंकि खनिज संसाधनों का औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा हाथ होता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या रेल विभाग ने विशेष रूप से मध्य प्रदेश में माल की ढुलाई के लिये कोई नई नीति तैयार की है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) कोल इंडिया को अपने उपयोग के लिए पर्याप्त माल डिब्बे प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

(ख) और (ग) : देश की प्रमुख यातायात एजेन्सी होने के नाते भारतीय रेलों का यह उत्तरदायित्व है कि वे देश में किसी भी स्थान से यातायात की वाजिब मांग को पूरा करें जिसमें खनिज यातायात के परिवहन के लिए मांगे भी शामिल हैं । मध्य प्रदेश सहित, देश की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा रेल परिवहन क्षमता पर्याप्त है, और इसलिए कोई नयी नीति सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

रंगिया (असम) में नया रेलवे डिवीजन

5849. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगिया (असम) में रेलवे डिवीजन की स्थापना करने का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Broad gauge Line from Sonepur Junction to Pahleza Ghat

†5850. **Shri Mritunjay Prasad Verma:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a scheme for construction of a broad gauge line from Sonepur Junction to Pahleza Ghat was approved by the former Government;

(b) whether construction material was also brought in Sonepur for this purpose but later on it was removed from there and no construction work was started; and

(c) whether Government propose to reviw this case keeping in view that direct link of Sonepur-Pahleza Ghat with Muzaffarup and on the other side with Chhapra essential for the development of North Bihar ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) and **(b) :** No, only a survey for the conversion of the existing metre gauge line to broad gauge was carried out but its construction was not approved.

(c) A direct metre gauge link from Chhapra to Pahleza ghat already exists. The proposed conversion of Sonepur-Pahleza ghat line, while providing a direct link to Muzaffarpur will introduce break-of-gauge towards Chhapra. However, the matter is under examination.

Per Tonne Rates of All Kinds of Fertilizers

5851. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the per tonne rates of all kinds of fertilizers for the past three years and rates thereof at present; and

(b) the quantity of different varieties of imported fertilizers supplied to Gujarat during the last three years ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H.N. Bahuguna) : (a) A statement [Placed in Library see. No. LT-894/77] is laid on the Table of the House.

(b) The quantity of different varieties of imported fertilizers supplied to Gujarat State during the last three years is indicated below :—

(Figures in tonnes)

Kind of Fertilizers	Quantity supplied during 1974-75	1975-76	1976-77
Ammonium Sulphate .	9,283	4,687	—
Urea	26,827	3,606	29,015
CAN	10,786	666	1,339
DAP	9,967	55	2,132
ANP	8,881	195	—
NPK	276	1,256	57

Expenditure to be incurred on New Fertilizer Factories under Construction in Gujarat

5852. **Shri Dharmasinhbhai Patel**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state the expenditure estimated to be incurred on the new fertilizer factories under construction in Gujarat and whether Government of India have a share in it and if so, the amount and the nature thereof ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : The fertilizer project being set up by M/s. Gujarat Narmada Valley Fertilizer Company Limited at Broach in Gujarat is expected to cost about Rs. 270 crores. While the Government of India are not directly participating in the financing of the project, a substantial portion of the rupee financing requirement is expected to be made available by the public financial institutions.

Contracts for Tea Shops and Sale of other Article at Stations Around Bombay

5853. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2535 on 5th July, 1977 regarding contracts for tea shop and sale of other articles at stations around Bombay and State :

(a) the time by which decision is likely to be taken on cases under consideration;

(b) whether any relaxation was made in cases in which orders were passed directly by the former Minister ;

(c) whether it is a fact that in case of two other stations, in respect of which the recommendation of the General Manager, Western Railway was, sought, he was directed to make the recommendation in the manner dictated by the Railway Board; and

(d) whether Government have taken a decision to reconsider all such cases ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) The matter is under examination. A decision will be taken as soon as possible.

(b) These contracts were allotted under direct orders of former Minister for Railways' without following the normal procedure.

(c) No.

(d) In respect of cases where irregularities in allotment come to notice, the matter will be reconsidered.

Wagons Allotted to Mills of Ghaziabad during 1974, 1975 and 1976

†5854. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of wagons allotted to each mill of Ghaziabad for transportation of coal during each month of 1974, 1975 and 1976;

(b) the names of mills which were allotted five box wagons every month for transportation of coal;

(c) the outline of the steps followed by Government in allotment of wagons to each party and the names of parties who were given priority;

(d) whether it is a fact that there was lot of irregularities in the past in allotment of wagons; and

(e) the outline of the steps to be followed to ensure fair allotment of wagons for transportation, particularly of coal ?

The Minister of Railways (Prof. Mahu Dandavate) : (a) and (b) The number of wagons allotted to each mill of Ghaziabad who draw their supplies of coal in rake programmes during 1974, 1975 and 1976 month wise is given in the attached statements. [Placed in Library see No. L.T-895/77]. The details regarding consumers who draw their supplies in piece-meal are not available.

(c) Wagons are being made available according to availability of coal and the demand from consumers on the basis of sponsoring done by various authorities in their favour. Export coal, Railway loco requirements, requirements for steel plants and washeries, ordnance/defence and power houses are given to priority followed by other industries.

(d) No.

(e) The existing rules for allotment of wagons for general goods and coal are well defined and ensure fair allotment.

Policy regarding catering of tea and other Articles at Stations

5855. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the former Railway Minister late Shri Lalit Narain Mishra had laid down a new policy in regard to catering of tea and other articles by contractors at Railway stations;

(b) if so, the details of that policy and whether it was implemented and whether any petitions were received against it;

(c) whether Shri Tripathi the former Railway Minister did not approve that policy and allotted these stalls by inviting applications;

(d) the name of new contractors who were granted contrats in the Maharashtra State in pursuance of the policy of late Shri Lalit Narain Mishra; and

(e) the reasons for which Shri Tripathi did not approve that Policy ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandvate) : (a) to (e) Prior to 1973, the catering and vending contracts were awarded for a term of three years in the case of Refreshment Rooms and vending contracts and for a terms of five years in the case of Restaurant and Dining/Pantry/Buffet Cars. If the performance was satisfactory these contracts were renewed from time to time.

In the year 1973, when late Shri Lalit Narain Mishra was Minister for Railways, it was decided that after a contractor had completed two terms i.e. 6 years in the case of Refereshement Rooms and Vending contrats and 10 years in the case of Restaurant and Dining/Pantry/Buffot Cars, the contract should not be renewed automatically but fresh applications should be called for irrespective of the contractors' performance and normal procedure followed to award the contract. The existing contrators were also eligible to apply. Instructions were accordingly issued to the Railways to implement this new policy. In the year 1975, when Shri Kamalapati Tripathi was Minister for Railways, the whole policy was reviewed taking into consideration the spato of representations agaist this policy and a large number of litigations in which the Railways got involved due to injuctions obtained by the contractors from various law courts. With the approval of the then Minister for Railways (Shri Kamalapati Tripathi), the procedure in force prior to 1973 was re-introduced.

(d) A statement giving details is attached.

Statement

S.No.	Name of the new contractors	Names of station/stations at which contract was allotted
1	2	3
1.	M/s. R. K. Sharma & Sons	Devalali
2.	M/s. Bilandmal Dhamendas	Kasba Sukene
3.	Shri S. M. Bhise	Nandura
4.	Shri K. M. Bindal	Harsud

2	3
5. M/s. Satyanarayan Pratapji & Sons .	. Akola and Wardha
6. Shri N. N. Makhijani .	. Pachora
7. M/s. B. L. Sharma & Bros	. Chalisgaon
8. Vendors Cooperative Society Bhusawal	. Bhusawal
7. Shri Devidas Shewaram Ahuja	. Balharshah
10. Shri Ramesh Lahanu Chawre .	Wani
11. Shri Nemichand Ratanlal Potdar	. Warora and Hinganghat
12. Shri Motiram B. Chauhan	. Palghar
13. Shri Mangal Singh	Saphala
14. Shri S. S. Sharma . .	Vengaon
15. Smt. Sardaben J. Vakil .	. Dahanu Road
16. Shri Vital Pinnel War	. Mukhed
17. Shri Pandarinath	Mugat
18. Shri Trinath Singh .	. Rotegaon
19. Shri Chiranjilal	Udgir
20. Shri G. D. Gupta .	Wather
21. Shri K. C. Agarwal	. Hotgi
22. M/s. S. R. Hussain & Sons	Solapur
23. Shri S'S. Subramanyam .	. Akkolkot Road
24. Smt. K. B. Nagarkar	. Kurduvadi
25. Smt. M. S. Patil . .	. Kurduvadi (NG)
26. M/s. M. B. Agarwal & Sons .	. Daund and Mohal
27. M/s. S. R. Joshi & Co. .	. Parewadi
28. Shri Gholap-G. N.	Pruli
29. Shri K. F. Meshram .	Tumsar Road
30. Shri R. K. Dehariyor .	. Palari
31. Shri Gangadhar Warudwar	. Mulmaroda

विधेयकों का हिन्दी भाषा में प्रारूपण

5856. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधेयकों का प्रारूप अंग्रेजी में तैयार करने के पश्चात् उनका हिन्दी अनुवाद कराने के बजाय विधेयकों आदि का हिन्दी में ही प्रारूप तैयार करने में क्या कठिनाइयां हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार मूल प्रारूप हिन्दी में तैयार करने के पश्चात् अंग्रेजी में उनका अनुवाद करा कर उक्त प्रक्रिया को उलटने का है; और

(ग) इस काम को अंग्रेजी से बदल कर पूरी तौर से हिन्दी में करने का काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन, जब तक कि संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, संसद् के किसी सदन में पुर:स्थापित किए जाने वाली सभी विधेयकों और उनमें प्रस्तावित किए जाने वाले सभी संशोधनों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे । अभी तक संसद् द्वारा ऐसी कोई विधि अधिनियमित नहीं की गई है । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(2) में भी, जो 1-10-76 से प्रवृत्त की गई है, यह उपबंध है कि उन सब विधेयकों के, जो संसद् के किसी भी सदन में पुर:स्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के जो उनके संबंध में संसद् के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जामे हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए । इसलिए, जब तक संसद् के किसी भी सदन में विधेयकों के हिन्दी और अंग्रेजी में पाठ, जो दोनों ही प्राधिकृत पाठ माने जाएंगे, पुर:स्थापित करने का उपबंध करने वाला संसदीय विधान अधिनियमित नहीं किया जाता है, हिन्दी में विधेयकों के प्रारूपण का प्रश्न नहीं उठेगा ।

भूतपूर्व सरकार द्वारा विधियों और विनियमों में किये गये परिवर्तन

5857. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की भूतपूर्व सरकार के कार्यकाल में भारत के संविधान में किए गए संशोधनों के अतिरिक्त विभिन्न विधियों तथा विनियमों में किये गये परिवर्तनों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार किए गए परिवर्तनों का स्वरूप संविधान के उस मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं है जिसकी परिकल्पना मूल संविधान निर्माताओं ने की थी ;

(ग) क्या सरकार उनमें से ऐसी विधियों में जो मूल रूप से बनाए गए संविधान के विरुद्ध हैं या जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है, फिर से संशोधन करने का विचार कर रही है ; और

(घ) इस समय यह कार्य किस स्थिति में है और इसके पूरा होने में कितना समय लगने की संम्भावना है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम, 1976 जो कुछ समय पहले पारित किया गया था, निरसित कर दिया गया है और संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1956 जो निरसित कर दिया गया था, पुन:अधिनियमित किया गया है । विभिन्न विधियों और विनियमों में किए गए जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है उन के संबंध में कोई अन्य प्रस्ताव इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है ।

भुसावल डिवीजन में माल-डिब्बों की कमी

5858. **श्री बसन्त साठे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भुसावल डिवीज़न में माल डिब्बों की भारी कमी है, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र से केलों और अन्य सामान के यातायात में बाधा उत्पन्न होती है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्या के पूर्ण तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उक्त डिवीज़न में माल डिब्बों की मांग को पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भुसावल मंडल से केले के लदान के लिए माल डिब्बों की कुल मांग को पूरा करने में किसी तरह की कठिनाई की प्रत्याशा नहीं है ।

नागपुर-बम्बई लाइन पर रद्द की गई गाड़ियां पुनः चलाना

5859. **श्री बसन्त साठे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागपुर-बम्बई लाइन पर रद्द की गई यात्री गाड़ियों को पुनः चलाने के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार को बम्बई-नागपुर-कलकत्ता लाइन पर अति तेज़ गाड़ी चलाने के लिए भी अभ्यावेदन मिला है ; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) नवम्बर, 1969 में 83/84 महाराष्ट्र एक्सप्रेस चलाए जाने पर, 381/382 भुसावल नागपुर सवारी गाड़ी अतिरिक्त लाइन क्षमता के कारण रद्द कर दी गयी थी । तदनुसार, 83/84 महाराष्ट्र एक्सप्रेस को उन बहुत-से स्टेशनों पर ठहराने की व्यवस्था की गई है, जिन पर 381/382 सवारी गाड़ियों को ठहराया जाता था ।

(ग) जी हां ।

(घ) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और व्यावहारिक पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी ।

मध्य रेलवे में रेल सम्पत्ति की हानि/चोरी के मामले

5860. **श्री बसन्त साठे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 में रेल सम्पत्ति की हानि-चोरी के कितने मामले हुए और उनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ;

(ख) कितने मामलों में गाड़ियों के साथ चलने वाले रेल सुरक्षा बल के रक्षकों तथा अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया गया है और सेवा से निकाला गया ;

(ग) रेल सुरक्षा बल के कितने रक्षकों तथा अधिकारियों को सेवा से निलम्बित किया गया/निकाला गया और बहाल किया गया ; और

(घ) कितने मामलों में रक्षकों को 500 रुपए से कम मूल्य वाली रेल सम्पत्ति की हानि को बचाने में उनकी चूक के लिए उन्हे सेवा से हटाया गया ?

रेल मंत्री प्रोफेसर मधु दंडवते : (क) वर्ष 1975-76 के दौरान, रेल सम्पत्ति (इसमें बुक किये गये परेषण भी शामिल हैं) की हानि/चोरी के 6695 मामलों की रिपोर्ट मिली थी जिनमें 13,98,267 रु० की सम्पत्ति की हानि/चोरी हुई, जबकि 1976-77 के दौरान ऐसे मामलों की संख्या 5077 थी और इनमें 12,95,968 रुपये की सम्पत्ति की हानि/चोरी हुई ।

(ख) ऐसे मामलों की वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है जिनमें गाड़ियों के साथ चलने वाले रेलवे सुरक्षा दल के रक्षक/अधिकारी जिम्मेदार ठहराये गये थे और उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था :--

1975-76		1976-77	
ऐसे मामलों की संख्या जिनमें गाड़ियों के साथ चलने वाले रेलवे सूरक्षा दल के रक्षक/अधिकारी जिम्मेदार ठहराये गय थे ।	रेलवे सुरक्षा दल के रक्षकों/अधिकारियों की संख्या जिन्हें नौकरी से हटाया गया ।	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें गाड़ियों के साथ चलने वाले रेलवे सुरक्षा दल के रक्षक/अधिकारी जिम्मेदार ठहराये गये थे ।	रेलवे सुरक्षा दल के रक्षकों / अधिकारियों की संख्या जिन्हें नौकरी से हटाया गया ।
5	10 रक्षक	6	8 रक्षक

वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान रेलवे सुरक्षा दल का कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया ।

(ग) वर्ष-वार स्थिति नीचे दी गयी हैं :--

रेलवे सुरक्षा दल के उन रक्षकों/अधिकारियों की संख्या जिन्हें

निलम्बित किया गया		नौकरी से हटाया गया		बहाल किया गया	
1975-76	1976-77	1975-76	1976-77	1975-76	1976-77
31 रक्षक	39 रक्षक	26 रक्षक	20 रक्षक	14 रक्षक	25 रक्षक

रेलवे सुरक्षा दल के किसी भी अधिकारी को न तो निलम्बित किया गया और न ही नौकरी से हटाया गया ।

(घ) 1975-76 और 1976-77 के दौरान ऐसे मामलों की संख्या क्रमशः 15 और 6 थीं, जिनमें 500 रुपये से कम मूल्य की रेल सम्पत्ति को हानि से बचा पाने में असफल रहने के कारण रक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया था ।

रेलवे में माल की बुकिंग में कमी

5861. **श्री सुख देव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1976–77 के दौरान रेलवे में माल की बुकिंग में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों पर विचार किया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फतवा हसलामपुर लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण

5862. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रस्तुत किये गये एक ज्ञापन में यह मांग की गई है कि पटना-गया अंचल में फतवा-इस्लामपुर लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) इस ज्ञापन की इस समय जांच की जा रही है।

राज्य विधानसभाओं तथा लोक सभा के निर्वाचनों में डाले गए मतों की संख्या

5863. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि हाल में हुए राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में, मार्च, 1977 में हुए लोक सभा निर्वाचनों की तुलना में बहुत कम मत डाले गए ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हाल ही में हुए राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में डाले गए मतों की संख्या मार्च, 1977 में हुए लोक सभा निर्वाचनों की तुलना में कुछ कम थी किन्तु जम्मू-कश्मीर और पांडिचरी में डाले गए ऐसे मतों की संख्या लोक सभा निर्वाचनों की तुलना में अधिक थी।

(ख) संभव है ऐसा इस तथ्य के कारण हुआ हो कि विधान सभा के निर्वाचन जून के महीने में आयोजित किए गए थे जब मौसम बहुत गर्म था, और जो मुद्दे विधान सभाओं के निर्वाचनों में सामने थे उनकी तुलना में उन मुद्दों का, निर्वाचकों से कहीं अधिक संबंध था जो लोक सभा निर्वाचनों में सामने थे ।

कालका-शिमला तथा पठानकोट-जोगिन्दर नगर के यात्री किराये और मालभाड़े में समानता

5864. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालका से शिमला तथा पठानकोट से जोगिन्दरनगर का यात्री किराया तथा माल भाड़ा मैदानों के किराये तथा भाड़े की तुलना में अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और किराये तथा भाड़े किस आधार पर निर्धारित किये जाते हैं ;

(ग) क्या मदानों के किराये और भाड़े के अनुरूप समता लाने के लिए उक्त किरायों तथा भाड़ों की दरें कम करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) इन खण्डों पर भाड़ा और किराया लेने का आधार वही है जो शेष रेलवे पर है। लेकिन, इन खण्डों पर भाड़ा और किराया दूरी बढ़ाकर लिया जाता है, जैसा कि नीचे बताया गया है :—

खंड का नाम	बढ़ी हुई दूरी	
	कोचिंग	माल
कालका-शिमला	वास्तविक दूरी का तीन गुना प्रथम श्रेणी को छोड़कर जिसके लिए वास्तविक दूरी की दो गुनी दूरी का चार्ज लिया जाता है ।	वास्तविक दूरी का तीन गुना
पठानकोट-जोगिन्दरनगर खण्ड	वास्तविक दूरी का डेढ़ गुना	वास्तविक दूरी का तीन गुना

(ग) जी नहीं ।

(घ) पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण और रेल परिचालन का खर्च मेदानों की अपेक्षा अधिक होता है ।

देश में रेल लाइनों की आवश्यकता के बारे में सर्वेक्षण

5865. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेल लाइनों की कुल आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराने का विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय रेल लाइनों की कुल लम्बाई कितनी है ; और

(ग) देश के सभी सुदूर क्षेत्रों से रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) 31-3-1976 को देश में रेलवे लाइनों की कुल मार्ग लम्बाई 60,438 किलोमीटर थी । सरकार ने लोक लेखा समिति की 171वीं और 191वीं रिपोर्टों में की गयी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है कि नयी लाइनों के निर्माण के लिए एक विस्तृत दीर्घकालीन स्पष्ट योजना बनायी जाये और इस संबंध में जिस नीति का पालन किया जायेगा उसे संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है । इस बीच देश के सभी भागों में उन अनेक नयी लाइनों के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं जिनके लिए राज्य सरकारों, संसद सदस्यों तथा अन्य संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

बोंगईगांव तेल शोधक कारखाने के पूरा होने में विलम्ब

5866. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने **की कृपा करेंगे** कि

(क) क्या बोंगईगांव तेल शोधक कारखाने के पूरा होने में अत्यधिक विलम्ब हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : बोंगईगांव शोधनशाला को पूरा करने में निम्नलिखित कारणों से विलम्ब हुआ है :—

(i) संसाधनों में बाधाएं ;

(ii) कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, विशेषकर बरौनी से वर्तमान एकक को स्थापित करने के बजाय बोंगईगांव में मिट्टी के तेल को साफ करने वाले एक ग्रासरूट एकक की स्थापना से संबंधित निर्णय लेने से ;

(iii) शोधनशाला में एक अतिरिक्त कुकर और कोक निस्तापन एकक के खुलने से कार्यक्षेत्र में वृद्धि ;

(iv) उपकरणों और मशीनरी की पूर्ति करने में पूर्ति कर्ताओं की असफलता और निर्माण कार्य के ठेकेदारों की संविदागत कार्यक्रमों के पूरा करने में असफलता के कारण।

साबरमती बिरार रेल लाइन के विद्युतीकरण की लागत

5867. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबरमती और बिरार के बीच विद्युतीकरण के लिए कोई परियोजना थी और यदि हां, तो क्या यह पूर्ण हो गई है और उस पर कुल कितनी लागत आई है ;

(ख) क्या साबरमती अहमदाबाद क्षेत्र का जिसके बीच बहुत कम दूरी है, अभी तक पूर्ण रूप से विद्युतीकरण नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अहमदाबाद और बम्बई के बीच पहले से चल रही यात्री गाड़ियों और माल-गाड़ियों की गति को अब विद्युतीकरण के कारण क्रमिक रूप से बढ़ाया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां। विरार और अहमदाबाद के बीच रेल पथ का विद्युतीकरण पहले ही 35.33 करोड़ रु० की कुल लागत से पूरा हो चुका है।

(ख) जी हां। इस समय यातायात की आवश्यकताओं की दृष्टि से साबरमती तक विद्युतीकरण करने का औचित्य नहीं बनता।

(ग) जी हां।

(घ) सवारी गाड़ियों के चालन समय को 5 मिनट से लेकर 4.40 घंटे तक कम करके रफ्तार तेज कर दी गयी है तथा माल गाड़ियों की औसत रफ्तार 1973–74 की 22.6 कि० मी० प्रति घंटा से बढ़ाकर 1976–77 में 27.6 कि० मी० प्रति घंटा कर दी गई।

गांधी धाम-भुज मीटरगेज को बड़ी लाइन में बदलना

5868. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कच्छ में गांधीधाम तथा भुज के बीच 57 किलोमीटर मीटर गेज लाइन पर गाड़ियों के धीमी गति से चलने तथा रेलमार्ग, इंजन और यात्री डिब्बे आदि अच्छे न होने के कारण यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है तथा गन्तव्य स्थल पर पहुंचने में बिलम्ब होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा इसका आधुनिकीकरण करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तथा किस प्रकार और इस पर कितनी लागत आएगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां । रेलपथ की हालत में सुधार लाने के लिए रेलपथ नवीकरण के काम पहले से ही चल रहे हैं ।

(ख) आमान-परिवर्तन के संबंध में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Proposal for Laying Broad Gauge Line from Jabalpur to Lalitpur

†5869. **Shri Laxminarayan Nayar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a proposal for laying a new railway line from Jabalpur to Lalitpur via Patan, Damoh, Tikamgarh has been submitted by Madhya Pradesh Government to the Central Government; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate : (a) yes.

(b) It is not possible to take up this project at present on account of paucity of resources.

Sheds on Platforms of Barwa Sagar and Niwari Stations

5870. **Shri Laxminarayan Nayak :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether sheds have not been provided on the platforms of Barwa Sagar and Niwari stations o1 the Jhansi Manikpur railway line to protect the passengers from sun and rain;

(b) whether sheds would be constructed there immediately;

(c) whether Niwari station has not been electrified so far in spite of the fact that sanction has already been accorded in this regard and if so, the reasons therefore; and

(d) when will that station be electrified ?

Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) & (b) Platform shelters have not been provided at Barwa Sagar and Niwari stations. But at Barwa Sagar a waiting hall and a covered shed with a total covered accommodation of about 1409 sft, are available. At Niwari a waiting hall with an area of 560 asft(is available for the use of passengers.

The maximum number of passengers dealt with at any one time at Barwa Sagar and Niwari are 170 and 50 respectively and for this level of traffic, the existing covered accommodation is considered adequate and there is no proposal to construct shelters over the platforms at these two stations.

(c) Niwari station has not been electrified and no work for electrifying this station has been sanctioned so far.

(d) Such works are included in Railway's Works Programme after they are approved by the Railway Users Amenities Committee. As and when the committee approves of electrification of Niwari Station, the work will be included in the Works Programme.

बम्बई हाई और वसीन के तेल क्षेत्रों की अक्षांश और देशान्तर रेखाएं

5871. श्री डी०डी० देसाई : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई और वसीन तेल क्षेत्रों के नाम से जाने वाले प्रमुख तट-दूर तेल कुओं के साधरण केन्द्रों की अक्षाश और देशान्तर रेखाएं क्या हैं;

(ख) इस तेल उत्पादन केन्द्र से भारतीय तट की कम से कम दूरी क्या है;

(ग) उन तट दूर केन्द्रों की अक्षों और देशान्तर रेखाएं क्या हैं जहां से समुन्द्र के अन्दर पड़ी सीलबन्द पाइपलाइनों से उपरान तक तेल लाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भारतीय तट तक ऐसी पाइप लाइनों की कम से कम कितनी लम्बाई होगी और तेल तथा गैस के उपयोग केन्द्र तक तट पर बिछी पाइप लाइनों की लम्बाई कितनी होगी और उन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) बम्बई हाई और उत्तर बसीन क्षेत्रों के वर्तमान संचयी केन्द्रों के अक्षांश और रेखांश निम्नलिखित हैं :

	अक्षांश	रेखांश
'क' प्लेटफार्म (बम्बई हाई)	19 डिग्री 32 मिनट	71 डिग्री 18 मिनट
'ग' प्लेटफार्म (बम्बई हाई)	19 डिग्री 35 मिनट	71 डिग्री 20 मिनट
बसीन बी०एन० 1 . .	19 डिग्री 19 मिनट	71 डिग्री 59 मिनट

(ख) प्रश्न का यह भाग बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। फिर भी, प्लेटफार्म से सबसे समीपस्त प्वाईंट (जो कि 'च' प्लेटफार्म के सबसे नजदीक होगा; का निर्माण किया जाय जहां से तेल तथा गैस को तट तक ले जाने के लिए इन्हें पम्प करके तेल तथा गैस की अंतः सागरीय पाइपलाइनों से भेजा जायगा) भारतीय समुन्द्र तट से 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तरी बसीन संचयी केन्द्र (बी०एन० 1) के मामले में, भारतीय समुद्र तट में लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर सबसे समीप का प्वाइंट बसीन कस्बा है।

(ग) तट दूर प्वाईंट अर्थात् 'च' प्लेटफार्म का अक्षांश और रेखांश, जहां से एक अंतः सागरीय पाइपलाइन से तेल और गैस को यूरान तक ले जाने का प्रस्ताव है, निम्नलिखित हैं :—

	अक्षांस	रेखांश
'च' प्लेटफार्म	19 डिग्री 32 मिनट	71 डिग्री 18 मिनट

(घ) प्रश्न का यह भाग भी पुनः बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। फिर भी, सबसे छोटे रास्ते से भारतीय समुद्र तट तक तेल तथा गैस अंतःसागरीय पाइपलाइनों की दूरी अर्थात् बम्बई हाई-दिव और उत्तरी बसीन कस्बा तक, यदि इन्हें बिछाया गया तो यह क्रमशः लगभग 145 किलोमीटर और लगभग 85 किलोमीटर होगी। इस प्रकार की पाइपलाइनों की कीमत आंकी नहीं गई है; फिर भी बम्बई हाई यूरान तक की पाइपलाइनों के लिए तैयार किये गये अनुमानों के आधार पर अंतः सागरीय तेल पाइप लाइन की प्रति किलोमीटर लागत 52 लाख रुपये और अंतःस्थापित गैस पाइपलाइन की लागत प्रति किलोमीटर 45 लाख रुपये है।

दिव तथा बसीन कस्बे से उनके उपयोगिता प्लांटों तक तेल तथा गैस तटीय पाइपलाइनों की ही लम्बाई क्योंकि अभी निकाली नहीं गई है, अतः उनकी अनुमानतः लागत की कोई जानकारी नहीं है।

नाइट्रोजन उर्वरक के लिए नई प्रोद्योगिकी

5872. **श्री डी०डी० देसाई** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के अनुसंधान तथा विकास अनुभाग ने नाइट्रोजन निर्धारण की गई प्रोद्योगिकी का विकास किया है अथवा विकास करने की प्रक्रिया में है जिससे उर्वरक उत्पादन की लागत में काफी कमी होगी :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार की प्रौद्योगिकी का विदेशों में विकास होने के बारे में जानकारी हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री ('श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) यह पता लगा है कि यह नई प्रौद्योगिकी यू०के० और यू०एम०ए० में विकसिति की जा रही है और वह इस समय प्रारंभिक स्तर पर है।

इण्डोनेशिया से तेल खरीदने की योजनाएं

5873. **श्री डी०डी० देसाई** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इण्डोनेशिया से, जो कि कच्चे तेल का एक बड़ा निर्यातक है, तेल खरीदने की कोई योजनाएं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

होस्पेट-गोआ और हुबली कारवाड के लिए बड़ी लाइन

5874. **श्री डी०बी० चन्द्रगौडा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व मंत्री ने कोई आश्वासन दिया था कि केन्द्र सरकार बंगलौर-गुन्टाकाल लाईन को बदलने, होस्पेटगोआ के बीच बड़ी लाईन बिछाने, हुबली कारवाड़ लाईन बिछाने, जिसे तत्काल बनाया जाना चाहिए, जैसे कार्य पूरे करेंगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और इस बारे में तत्काल कदम उठाएगी ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) बेंगलूर-गुन्तुकल्लु आमान परिवर्तन परियोजना को पूरा करने और हासपेट से गोवा तथा हुबली से कारवाड तक बड़ी लाईन बिछाने के संबध में ऐसा प्रतीत होता है कि भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। फिर भी, इन परियोजनाओं के बारे में स्थिति नीचे दी गयी है:--

(1) बेंगलूर-गुन्तकल्लु का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन

काम पहले से ही चल रहा है और कुल मिलाकर प्रगति 45 प्रतिशत हुई है। धन उपलब्ध होने पर 1980 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है।

(2) हासपेट-मिरज का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन

मिरज-लोंडा-हासपेट-मार्मुगोवा और अलनावार-डंडेली खंडों का मीटर लाईन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। सीमित वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना में इस परियोजना को शुरु करने का प्रस्ताव नहीं है।

(3) हुबली-कारवाड बड़ी लाइन

नवीनतम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस खंड पर यातायात की संभावनाओं को नये मूल्यांकन का काम शुरु किया गया है और इस लाईन के निर्माण के संबंध में और आगे विनिश्चय तभी किया जायेगा जब मूल्यांकन का काम पूरा हो जायेगा।

Proposal to Run 84 Up and 85 Down Trains between Itarsi-Katni-Bina

†5875. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) wheter Government propose to run 86 Up and 85 Down Itarsi-Katni-Bina Express trains between Amla-Itrasi-Katni-Bina; and

(b) i so, by when ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No.

(b) Does not arise.

Night Train between Naveli and Bari Sadri

5876. **Shri Bhanu Kumar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) Whether the night train running between Mali Junction (Udaipur, Rajasthan) to Bari Sadri was cancelled during the days of coal shortage; and

(b) if so, whether the night train would be restored for the benefit of that backward region ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes.

(b) No, Due to lack of traffic justification.

औद्योगिक अलकोहल क आयात

5877. **श्री एस०एस० सोमानी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्यनिषेध की समाप्ति एक बड़ी सीमा तक देश में औद्योगिक अल्कोहल की कमी के लिए जिम्मेदार है तथा क्या सरकार का विचार उसे चालू वर्ष के दौरान अमरीका से अपास्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक अल्कोहल का कितनी मात्रा में आयात करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं। चालू वर्ष के दौरान अमरीका (यू०एस०ए०) अथवा अन्य किसी देश से औद्योगिक अल्कोहल के आयात का कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के रुग्ण शल्य उपकरण एकक को पुनः चालू किया जाना

5878. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मद्रास के रुग्ण शल्य उपकरण एकक को पुनः चालू करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने फरवरी, 1976 में इन्द्रजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर शल्य उपकरण संयंत्र की समस्याओं का उसी स्थल पर मूल्यांकम किया। इसके परिणामस्वरूप जब इंजीनियरिंग मदों के निर्माण तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जाब आर्डर में विविधकरण द्वारा संयंत्र में सुधार करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, इस उद्योग समूह में एक सूत्रयोग एकक की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। शल्य उपकरणों का निर्माण चालू रहेगा और ज्यों ही संयंत्र स्थिर हो जाता है इसका विस्तार किया जाएगा।

संसद द्वारा पारित अधिनियमों का लागू किया जाना

5879. **श्री विजय कुमार मंडल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए और भारत के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कितने अधिनियम ऐसे हैं, जो जून 1977 के अन्त तक प्रवृत्त नहीं हुए हैं; और

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित अधिनियमों को अब तक किन कारणों से प्रवृत्त नहीं होने दिया गया है और विलम्ब के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Making of Lakhs of Rupees by the Managing Director of the Hindustan I Insecticides Ltd.

5880. **Shri Ram Awadesh Singh** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether the Managing-Director of the Hindustan Insecticides Ltd., Delhi, made lakhs of rupees by removing 1.5 lakh litres of alcohol in 1976.

(b) whether Rs. 40 thousand were shown to have been spent on plantation of trees but in fact no tree was planted by the said Managing-Director;

(c) whether a compressor costing Rs. 1 lakh was also removed; and

(d) if the replies to parts (a) to (c) above be in the affirmative, the action proposed to be taken by Government ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri H. N. Bahuguna) : (a) to (c) No Sir.

(d) Does not arise.

लोक सभा निर्वाचनों में धांधली

5881. **श्री आर०के० महल्गी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस पार्टी ने सरकार को पत्र लिखा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि गत लोक सभा निर्वाचनों में धांधली की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कांग्रेस पार्टी ने उक्त आरोप कब लगाया था:

(ग) क्या उस पार्टी ने यह पत्र निर्वाचन परिणामों की घोषणा से दो महीने की अवधि के दौरान सरकार को लिखा था; और

(घ) यदि हां, तो कांग्रेस पार्टी के उक्त आरोप के बारे में सरकार का क्या उत्तर है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, नई दिल्ली के सचिव श्री के०एन० जोशी ने 20-3-1977 को निर्वाचन आयोग को लिखा था कि उत्तर प्रदेश में अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदान केन्द्रों में निर्वाचन में धांधली की गई, तथा मतदाताओं को धमकाया गया और उन्हें मत डालने से रोका गया।

(घ) शिकायत की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर को जांच और उस पर रिपोर्ट देने के लिए भेज दी गई थी। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

कांग्रेस उम्मीदवार के निर्वाचन प्रबन्धक को चितरंजन टाउनशिप में प्रवेश की अनुमति न देना

5882. **श्री बसन्त साठे :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत विधान सभा के निर्वाचनों के दौरान चित्तरंजन लोकोमोटीव वर्क्स के प्राधिकारियों ने 14-6-1977 को कांग्रेस उम्मीदवार के निर्वाचन प्रबन्धक को चित्तरंजन टाउनशिप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी जहां लगभग बीस हज़ार मतदाता रह रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विधान सभा के निर्वाचनों के दौरान किसी उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं को अबाध रूप से आने जाने के लोकतान्त्रिक अधिकारों से बंचित करना नहीं है; और

(ग) क्या सरकार इस मामले पर गम्भीरता से विचार कर रही है और निर्वाचन काल के दौरान इन प्रशासनिक ज्यादतियों के बारे में जांच करने पर विचार कर रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : इस मामले में निर्वाचन आयेग से रिपोर्ट्र देने का अनुरोध किया गया है।

(ग) निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट्र प्राप्त होने पर इस मामले की जांच की जाएगी।

राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में धांधली

5883. **श्री के० लकप्पा** :

श्री हेनरी आस्टिन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें सरकार को मिली हैं;

(ख) क्या उन्हें यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की विधान सभाओं के हाल के निर्वाचनों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मामले में सरकार को कुछ विशिष्ट घटनाएं बताई गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन घटनाओं के बारे में कोई जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग से, अपेक्षित जानकारी देने का अनुरोध किया गया है ।

(घ) निर्वाचन आयोग से जानकारी प्राप्त होने पर मामले की जांच की जाएगी ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीपति से पत्र

5484. **श्री पी० त्यागराजन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति ने ऊर्जा मंत्री के माध्यम से कोई पत्र भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इस पत्र का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) जी हां ।

(ख) मद्रास उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति के केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसके साथ उन्होंने प्रधान मंत्री को सम्बोधित अपने ज्ञापन की एक प्रति भेजी थी और यह निवेदन किया था कि उस पर सम्यक् रूप से विचार किया जाए । अपने ज्ञापन में, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति ने यह अभिकथन किया था कि केन्द्रीय खुफिया ब्यूरो ने उनके विरुद्ध जो अन्वेषण आरम्भ किए हैं वे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हैं और यह कि केवल अनन्तिम पेंशन की मंजूरी देने वाला आदेश विधि के अनुसार नहीं है । उन्होंने अनुरोध किया था कि इन मामलों पर शीघ्र कार्यवाही की जाए । इस मामले की जांच की जा रही है ।

Appointment of Director in the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies

†5885. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that appointment to the post of Director in the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies was made without any advertisement, without inviting applications and without interview;

(b) the special qualifications of the Director, appointed in the Constitutional and Parliamentary field; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) Yes, Sir.

(b) The present incumbent's qualifications are : M.A. (Commerce) (First in order of merit in the University); M.A. (Economics) and LLB. (First in order of merit in the University) from the Calcutta University and Ph(D. from the University of Dublin. At the time of his initial appointment in the Institute he was serving as Secretary to the Commission of Inquiry, Government of Orissa.

(c) Recruitment to the post of Director of the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies; as per the Recruitment Rules can *also* be made by promotion. As the present incumbent to the post of Director was working as Deputy Director of the Institute since September, 1971 and since on the reversion of the former Director was carrying out the duties of a Director w.e.f. 31st August 1973, he was promoted by the Institute as Directo in accordance with the Recruitment Rules w.e.f. 1st April 1976.

मुगल सराय में कालेज

5886. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुगलसराय में कालेज की स्थापना किस प्रकार न्यायसंगत है :

(ख) क्या रेल मंत्री का ध्यान 13 मई, 1977 की "आनन्द बाजार पत्रिका" में प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या पूर्व रेलवे के वित्तीय सलाहकार श्री गाडविन रोज़ ने यह टिप्पणी की थी कि चूंकि मंत्री महोदय को इसमें रुचि है, इसलिए व्यय के औचित्य के प्रश्न पर शंका व्यक्त नहीं की जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) मुगल सराय में रेल कर्मचारियों के बड़ी संख्या में होने के कारण और इस स्टेशन पर उच्चतर शिक्षा के लिए अपर्याप्त सुविधाओं को देखते हुए, वर्तमान इंटर कालेज को डिग्री कालेज स्तर तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुगल सराय में डिवीजनल संगठन

5887. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल सराय में नया डिवीजनल संगठन स्थापित करने के लिए जो कनिष्ठ अधिकारियो द्वारा उठाई गई गंभीर आपत्तियों के होते हुए भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा प्रायोजित की गई थी, रेलवे मंत्रालय के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है :

(ख) क्या पूर्व रेलवे के तत्कालीन जनरल मैनेजर श्री सीमोन्ज़ द्वारा बहुत से वर्तमान डिवीजनों को काटने-छांटने से यह सम्भव हुआ था, और

(ग) क्या इसी प्रकार का कोई पूर्वोदहारण है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जैसा कि जून, 1975 में रेलवे बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया था, पूर्व रेलवे ने राहत देने की दृष्टि से दानापुर मंडल के कार्यभार का पुनरीक्षण किया और उसके बाद सितम्बर, 1975 में मुगलसराय में एक नया मंडल मुख्यालय बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा था। अप्रैल, 1976 में इस प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया था। इससे पहले 1974 में मुगलसराय में एक उप-मंडल बनाया गया था जिसका इंचार्ज उप-मंडल अधीक्षक बनाया गया ताकि मंडल अधीक्षक, दानापुर को राहत प्रदान की जा सके।

(ख) मुख्य रूप से दानापुर मंडल के भागों जिनका प्रबंध मोटे तौर पर मुगल सराय उप-मंडल द्वारा पहले से ही किया जाता था, का आवंटन करके यह मंडल बनाया गया था। पूर्व रेलवे के धनबाद और हावड़ा मंडलों, दक्षिण-पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल तथा उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मंडलों में परिचालनिक और प्रशासनिक आधारों पर आवश्यक कुछ परिणामी क्षेत्राधिकार समायोजन भी किये गये। रेलवे बोर्ड ने पूर्व रेलवे को कहा था कि दानापुर मंडल के कार्यभार का पुनरीक्षण करे और उसे आवश्यक राहत प्रदान करे।

(ग) जी हां। 1963 में धनबाद एक पूर्ण विकसित मंडल बनाया गया था।

अशोधित तेल के न मिलने से विशाखापत्तनम में तेल शोधक कारखाने का बन्द होना

5888. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने को अशोधित तेल के न मिलने से मजबूरन बन्द करना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां, 1 जुलाई, 1977 के माह के दौरान, अशोधित तेल के विलम्ब से प्राप्त होने के परिणामस्वरूप विशाखापत्तनम स्थित काल्टैक्स आयल रिफ़ाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड के कारखाने को अचानक बन्द करना पड़ा था।

(ख) कुछ दिनों के उपरांत अशोधित तेल शोधक "धनशाला को दे दिया गया और अब शोधनशाला ने पुनः कार्य करना आरम्भ कर दिया है। शोधनशाला में काम बन्द रहने के परिणामस्वरूप शोधनशाला द्वारा संभरण क्षेत्र में पैट्रोलियम उत्पादों की किसी प्रकार की कमी अनुभव नहीं की गई थी।

Introduction of night train between Udaipur and Ahmedabad

†5889. **Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a train from Udaipur to Ahmedabad was introduced to benefit the Adivasi area and for the reason Udaipur and Nathdwara are tourist centres; and

(b) the reasons for not introducing a night train on this time by Railway Department for the benefit of the passengers ?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes.

(b) Due to lack of Commercial justification and no night working in the section between Udaipur and Himat Nagar.

सभा पटल पर रखे गये

Papers Laid on the table

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक अधिनियम, 1969 के अंतर्गत प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :--

(एक) मैसर्स इण्डिया पिस्टन्स लिमिटेड, मद्रास के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 21(3)(ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) तथा उस पर दिनांक 21 जून, 1975 का केन्द्रीय सरकार का आदेश ।

(दो) मैसर्स फ़िलिप्स इण्डिया लिमिटेड, बम्बई के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) तथा उस पर दिनांक 5 जुलाई, 1975 का केन्द्रीय सरकार का आदेश ।

(तीन) मैसर्स अतुल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 21(3)(ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) तथा उस पर दिनांक 31 अक्तूबर, 1975 का केन्द्रीय सरकार का आदेश ।

(चार) मैसर्स अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अहमदाबाद के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) तथा उस पर दिनांक 9 जनवरी, 1976 का केन्द्रीय सरकार का आदेश ।

(पांच) मैसर्स फ़िलिप्स इंडिया लिमिटेड, बम्बई द्वारा जनरल लाइटनिंग सर्विस लैम्पों और फ़्लोरसेंट ट्यूब लैम्पों के निर्माण में पर्याप्त विस्तार करने संबंधी प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम की धारा 21(3)(ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) तथा उस पर दिनांक 3 मई, 1976 का केन्द्रीय सरकार का आदेश ।

(छः) मैसर्स गैबरियल इण्डिया लिमिटेड, बम्बई द्वारा शोक अब्जारबरों के निर्माण में पर्याप्त विस्तार करने के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 21(3)(ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर दिनांक 27 नवम्बर, 1976 का केन्द्रीय सरकार का आदेश ।

(सात) मैसर्स विमको लिमिटेड, बम्बई द्वारा औद्योगिक विस्फ़ोटकों के निर्माण के लिए एक नया उपक्रम स्थापित करने के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 28 फ़रवरी, 1977 का केन्द्रीय सरकार का आदेश ।

(आठ) मैसर्स इण्डियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा वाणिज्यिक ब्लास्टिंग विस्फ़ोटकों के निर्माण के लिए एक नया उपक्रम स्थापित करने के मामले में उक्त अधिनियम, की धारा 22(3)(ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 28 फ़रवरी, 1977 का केन्द्रीय सरकार का आदेश ।

(नौ) मैसर्स महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड, पाली मारवाड़ लिमिटेड, (राजस्थान) द्वारा औद्योगिक विस्फोटकों के तथा सहायक सामग्री के निर्माण के लिये एक नया उपक्रम स्थापित करने के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 28 फ़रवरी, 1977 का केन्द्रीय सरकार का आदेश।

(2) उपर्युक्त मद (1) (सात) से (नौ) में उल्लिखित प्रतिवेदनों तथा उन पर केन्द्रीय सरकार के आदेशों के हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 886/77]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling attention to a matter of urgent public importance

कर्नाटक के दो मंत्रियों द्वारा न्यायपालिका पर कथित प्रभाव डालने के बारे में विधि मंत्री का कथित वक्तव्य

श्री वयालार रवि : श्रीमान्, मैं विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : अप्रैल, 1977 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री डी० नरोन्हा के प्रति, जिनकी मृत्यु हो गई थी, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह कहा था कि उच्च न्यायालय में लम्बित एक दाण्डिक मामले के संबंध में एक या अधिक मंत्रियों ने उन न्यायाधीशों से, जिनके समक्ष सुनवाई के लिए वह मामला रखा गया था, सम्पर्क स्थापित किया था। इस पर मुख्य न्यायाधिपति ने न्यायमूर्ति नरोन्हा से पूछा था कि क्या मंत्रियों द्वारा दबाव डाले जाने के बावजूद वह उस मामले की सुनवाई करेंगे। न्यायमूर्ति नरोन्हा सुनवाई करने के लिए सहमत हो गए और मामले का विनिश्चय करने के बाद उन्होंने मुख्य न्यायाधिपति को बताया कि एक मंत्री ने उनसे सम्पर्क स्थापित किया था।

श्री वयालार रवि और अन्य सदस्यों द्वारा 16 जून, 1977 को जो ध्यानाकर्षण सूचना पटल पर रखी गई थी उसके बाद हुए वाद विवाद के दौरान इस सदन में यह इच्छा व्यक्त की गई कि उन मंत्रियों के, जिन पर न्याय-प्रशासन में हस्तक्षेप करने के आरोप हैं, नाम बताएं जाएं। मैंने यह आश्वासन दिया था कि यदि सदस्य चाहें तो मैं उनके नाम मालूम करके सदन को बता दूंगा। मैंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से जानकारी प्राप्त की और राज्य सभा में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में वह जानकारी उक्त सदन में दी।

अब मैं इस सदन के सदस्यों के लाभ के लिए वह जानकारी दे रहा हूं जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने मुझे दी थी।

19-3-1973 को हुई एक घटना के, जिसमें नागप्पा नामक एक व्यक्ति पर कुछ व्यक्तियों के एक समूह ने घात लगा कर हमला किया था, परिणामस्वरूप आठ व्यक्ति बैलगाम के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए गए थे। पुलिस पाटिल ने जब नागप्पा का मृत्युकालिक कथन अधिलिखित कर लिया, उसके

बाद उसकी मृत्यु हो गई। सेशन का मामला (1974 का मामला सं० 30) लम्बित रहने के दौरान मृतक नागप्पा की मां, नागव्वा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन एक प्राइवेट परिवाद दाखिल किया जिसमें दो अन्य व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में शामिल किया गया था। इन दोनों में से एक कर्नाटक सरकार के राज्य मंत्री श्री वी० एम० कौजालगी थे। मजिस्ट्रेट ने परिवादी का कथन अभिलिखित किया और कुछ साक्षियों की परीक्षा की। बहस की सुनवाई हुई और मामले में आदेश के लिए 16-10-1973 की तारीख निश्चित की गई। इसी बीच 11-10-1973 को मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो गया और वह 15-10-1973 को अपने कार्यभार से मुक्त हो गए। उनके स्थान पर जो मजिस्ट्रेट आया उसने एक आदेश दिया जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अधीन पुलिस अधीक्षक परिवाद की जांच करे। परिवादी ने मजिस्ट्रेट के इस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं० 665/73 द्वारा चुनौती दी। इस पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई एक के बाद एक कई न्यायाधीशों के समक्ष हुई। उन न्यायाधीशों में से एक ने यह निदेश दिया कि वह मामला किसी अन्य बैंच के समक्ष रखा जाए और गुप्त रूप से जांच किए जाने पर उसने मुख्य न्यायाधिपति को बताया कि किसी मंत्री ने उस मामले के बारे में उससे बात की थी।

इसके बाद वह मामला श्री न्यायमूर्ति डी० नरोन्हा के समक्ष आया। राज्य ने अभियुक्त की दलील का समर्थन किया। न्यायामूर्ति नरोन्हा ने परिवादी की पुनरीक्षण याचिका तारीख 16-12-1974 के अपने आदेश द्वारा मंजूर कर ली और मामला मजिस्ट्रेट को इस निदेश के साथ विप्रेषित कर दिया कि वह उस मामले में विधि के अनुसार कार्यवाही करे और यदि कोई अन्य साक्षी हों तो, उनकी परीक्षा स्वंय करे। श्री न्यायामूर्ति नरोन्हा ने अपने निर्णय में यह मत व्यक्त किया कि :

"न्यायालय के पवित्र परांगण में राजनीति और दबाव की पैठ नहीं हो सकती ...."

बाद में न्यायमूर्ति नरोन्हा ने मुख्य न्यायाधिपति को उस मंत्री का नाम बताया जिसने उस मामले के विनिश्चय के संबंध में उन पर दबाव डालने की कोशिश की थी।

उच्च न्यायालय से मामले का अभिलेख प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट ने बहस सुनने के पश्चात् यह निदेश देते हुए आदेश किया कि अभियुक्त सं० 9 और 10 को, अर्थात् श्री वी० एम० कौजालगी और श्री कोटा शेट्टी को समन जारी किए जाएं। इस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष 1975 की दांडिक याचिका सं० 50 और 51 द्वारा चुनौती दी गई। इन याचिकाओं को श्री न्यायमूर्ति नरोन्हा ने विचारार्थ स्वीकार कर लिया और बाद में वे एक अन्य न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए रखी गई। उस न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट के आदेश को मंसूख कर दिया। अपील में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया कि मजिस्ट्रेट ने विधि संबंधी कोई गलती नहीं की थी और उच्च न्यायालय ने उसके आदेश को मंसूख करने में धारा 202 के अधीन जांच की सीमित परिधि का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा।

बाद में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने बताया कि कर्नाटक के जिन मंत्रियों ने न्यायाधीशों पर दबाव डालने की कोशिश की थी उनके नाम श्री डी० के० नायकर और श्रीमती ईवा वाज हैं।

यह जानकारी राज्य सभा में 25-7-1977 को दी गई थी उसके पश्चात् समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार उक्त दोनों मंत्रियों ने इस बात से इंकार किया है कि उन्होंने न्याय-प्रशासन में कोई हस्तक्षेप किया है।

श्री वयालार रवि : यह बहुत गंभीर मामला है और जब इसे संसद में उठाया गया तो मैंने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि हम किसी भी ऐसे आदमी का पक्ष कदापि नहीं लेंगे जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करे। समस्या यह है कि जिन दो मंत्रियों के नामों का उल्लेख किया गया है, वे इस बात से इन्कार कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। दुर्भाग्य से न्यायाधीश नरोन्हा अब इस दुनिया में नहीं रहे और मुख्य न्यायाधीश ने यह बात न्यायाधीश नरोन्हा की मृत्यु के उपरांत प्रकट की है। ईश्वर जानता है कि सच्चाई क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस संबंध में क्या करना चाहते हैं। क्या वह उच्चतम न्यायालय के माध्यम से यह मामला उठाना चाहते हैं ताकि सच्चाई का पता लग सके।

श्री शांतिभूषण : न्यायाधीश नरोन्हा ने स्वयं कहा था कि न्यायपालिका को राजनीतिक ढंग से प्रभावित नहीं किया जा सकता और मेरा इरादा किसी भी मंत्री को अपमानित करने का नहीं है। जब किसी न्यायाधीश पर ऐसा दबाव डाला जाता है तो उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति के विरुद्ध अवमान का नोटिस जारी करे। चाहे वह कितना/कितनी शक्तिशाली हो तथा कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हो। उच्च न्यायालय को इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिए थी और इस बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए था। चूंकि उस समय इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई, अतः मैं नहीं समझता कि अब इस बारे में किसी प्राधिकरण द्वारा किसी प्रकार की जांच की जा सकती है।

नियम 377 के अधीन सूचनाओं के बारे में

Re. NOTICES UNDER RULE 377

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने नियम 377 के अधीन एक सूचना दी है। मैं सभा के समक्ष यह पूछना चाहता हूं कि क्या हम राज्य सभा का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे संदेश भेज सकते हैं कि वह उसी तरह से इस मामले पर निर्णय दे जैसा कि 1951 में श्री मुडगल के मामले में किया गया था ? इस संदर्भ में मैं भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री संजीव रेड्डी के विनिर्णय की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो उन्होंने भूतपूर्व रक्षा मंत्री तथा हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बंशीलाल के बारे में उनके घर पर छापा मारे जाने के बाद दिया था। मैंने अपने पत्र में लिखा है कि यह मामला राज्य सभा को भेज दिया जाये जो कि 15 सदस्यों की एक समिति गठित करे और उसमें इस सभा के सदस्य भी हों ताकि इस विशेष व्यक्ति के विरुद्ध जांच की जा सके और इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की जा सके। साथ ही दोनों सभाओं के नेता अपना निर्णय दे सकें कि श्री बंशीलाल ने रक्षा मंत्री, मुख्य मंत्री आदि के रूप में अपनी स्थिति का क्या दुरुपयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में दोनों सभाओं के बीच किसी प्रकार का परस्पर विरोध पैदा नहीं करना चाहता। मैं इसे राज्य सभा में नहीं भेजना चाहता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम राज्य सभा को केवल यह संदेश भेज दें कि इस व्यक्ति का आचरण संदेहास्पद है और इसलिए वे इस बारे में जांच करायें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर रहा। यह मेरा अंतिम निर्णय है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मैं सभा को बताना चाहता हूं कि लगभग 40 हरिजनों तथा जनजाति के लोगों को बन्दूक दिखाकर रोका हुआ है। उनमें एक महिला गर्भावस्था में है। मैंने नियम 377

के अधीन इसकी सूचना दी है। समझ में नहीं आता कि इस तरह का गंभीर मामला उठाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले की जांच करूंगा और तभी इसको उठाने की अनुमति दूंगा।

नियम 377 क अधिन मामले
MATTER UNDER RULE 377

श्री के०एस० चावड़ा (पाटन) : इस वर्ष भारी वर्षा के कारण मेरे चुनाव क्षेत्र में उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सामान्यतः इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 20 से 25 इंच तक वर्षा होती है। लेकिन इस बार दो दिन में ही 65 इंच वर्षा हुई है। इसके फलस्वरूप रेलों तथा सड़कों के अनेकों पुल ढह कर बह गए हैं। लगभग 25,000 झोंपड़ियां तथा मकान गिर गए हैं। 29 जून 1977 से ब्रांच लाइनों पर तथा अन्य सेक्शनों में रेल सेवा बन्द हो गई है और आज तक चालू नहीं हो पाई है। अतः रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह रेल प्रशासन को युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिए कहें। जिससे इन रेल सेवाओं को पुनः आरम्भ किया जा सके। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह गुजरात सरकार को यथासंभव अधिकाधिक वित्तीय सहायता दे। ताकि वहां राहत कार्य शीघ्र आरम्भ किया जा सके।

(दो) पंजाब विश्वविद्यालय परिसर चंडीगढ़ में अराजकता आदि की घटनाएं

(दो) पंजाब विश्व विद्यालय के परिसर में गुंडागर्दी की वारदातें

Dr. Baldev Prakash (Amritsar) : I want to draw the attention of the House to the serious incident that took place in a hostel in the Punjab University Campus, Chandigarh on the last Tuesday night. According to Samachar eight students were talking in a cubicle on the ground floor of the hostel at 9.30 P.M. When there was a knock on the back door. Two of the students peeped through the window and seeing the intruders fled through the front door. The remaining decided to face the intruders and opened the door. The intruders who smelt of liquor, entered the room and quickly bolted the two doors ordering the boys to strip and obey their Commands, they then perpetrated "unnatural acts",. When the students resisted, they were beaten. It is really a matter of shame that although this thing continued for an hour the police did not act and remained silent spectators of the crime. Government should take stringent measures to prevent the recurrence of such incidents.

(तीन) मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन का परिणाम

श्री के० मालन्ना (चित्रदुर्ग) : मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन 30 और 31 जुलाई को हुआ था। देश में मूल्य वृद्धि जमाखोरों और तस्करों की गतिविधियां, हरिजनों पर अत्याचार तथा केन्द्र और राज्यों के संबंध आदि अनेक समस्याएं हैं। नई परिस्थिति पैदा होने के बाद देश में और कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे भिन्न विचारधाराओं वाले विभिन्न दलों ने कई राज्यों में सरकारें बना ली हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन राष्ट्रीय समस्याओं का हल करने में राज्यों और केन्द्र के बीच सर्व सम्मति या मतैक्य है। अतः प्रधान मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए कि इस सम्मेलन के क्या परिणाम निकले हैं।

(चार) पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में बाढ़ की स्थिति

श्री समर गुहा (कन्टाई) : मैं कृषि मंत्री का ध्यान देश के विभिन्न भागों में विशेषतया पश्चिम बंगाल में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के बारे में आज प्रातः प्रकाशित गम्भीर समाचारों की ओर दिलाना चाहता हूं। विभिन्न क्षेत्रों में हजारों लोग बाढ़ ग्रस्त हैं। कई क्षेत्रों में फसल नष्ट हो गई है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है। मिदनापुर जिले में तो स्थिति और भी गम्भीर है। पहले बाढ़ आने पर मंत्री स्वयं वक्तव्य देते थे। अतः उसी तरह मंत्री जी को एक वक्तव्य देना चाहिए ताकि सदस्यों को पता लग सके कि विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत और सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने देखा है कि आपने नियम 377 के अधीन कुछ ऐसे विषयों को उठाने की अनुमति दी है जिनका इतना महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए आपने श्री मालन्ना को मुख्य मंत्रियों के हुए सम्मेलन के बारे में मामला उठाने की अनुमति दी है। ऐसा सम्मेलन तो पिछले 30 वर्षों से प्रति वर्ष ही होता है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो० पी०जी० मावलंकर : मेरा निवेदन यही है कि जब कभी देश के किसी भाग में कोई घटना हो और सभा का सत्र चल रहा हो तो सरकार को स्वंय ही उस बारे में वक्तव्य देना चाहिए ।

बनासकांठा गुजरात में बाढ़ों से हुई तबाही

Shri Motibhai R. Chaudhary (Banaskatha) : As a result of heavy rains in my Constituency and flooding of the area 12 persons have died. Usually there is 15 inches rainfall in this area. But this year on a single day on 24th July, there has been 27 inches rainfall. That is why the whole area has been flooded. As a result railway and road bridges have been breached and communication has been disrupted. Thousands of houses have been destroyed killing 4 men and hundreds of cattle. There are babout 40 to 50 Village with which it has not yet been possible to restore contact as they are flooded with water, Although the State Government is taking relief measures, it isn ecessary that the Central Government give more and more assistance. specially financial assistance so that relief can be rushed to the needy people as early as possible.

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों में व्याप्त संकट के बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

Shri Ugrasen : Mr. Speaker we have given notice about the Bonus issue. No decision has been taken by Government so far in this regard. Workers are agitated over this issue. Two hours time should be allotted for discussion thereon.

श्री चित्तबसु : इस बारे में आपको कई सदस्यों ने लिख कर दिया है । श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय संसद् की अपेक्षा कर रहे हैं । (**व्यवधान**) सरकार कहती है कि वह इस बारे में घोषणा कर देगी। इस संबंध में घोषणा संसद् में की जानी चाहिए ।

रेल अभिसमय समिति के गठन सम्बन्धी संकल्प

Resolutions : Re. Constitution of Railway Convention Committee

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा संकल्प करती है कि रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की वर्तमान दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त संबंधी अन्य संगत मामलों का पुनर्विलोकन करने तथा इस संबंध में सिफारिशें करने के लिये इस सभा के 12 सदस्यों की एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये जिनका नाम निर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जाये।"

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की वर्तमान दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त संबंधी अन्य संगत मामलों का पुनर्विलोकन करने तथा इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए बनाई

जाने वाली संसदीय समिति में राज्य सभा के 6 सदस्यों को सहयोजित करने के लिए सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को दें।"

यह एक साधारण और विवाद-रहित संकल्प है। इस समिति का एक मात्र उद्देश्य रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं की पूंजी की आवश्यकताओं के लिए सामान्य राजस्व से निकाली जाने वाली विभिन्न राशियों पर लाभांश के भुगतान की दर की सिफारिश करना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इन्हें सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा संकल्प करती है कि रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की वर्तमान दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त संबंधी अन्य संगत मामलों का पुनर्विलोकन करने तथा इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए इस सभा के 12 सदस्यों की एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये जिनका नाम निर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जाये।"

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में देय लाभांश की वर्तमान दर का तथा सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त संबंधी अन्य संगत मामलों का पुनर्विलोकन करने तथा इस संबंध में सिफारिशें करने के लिये बनाई जाने वाली संसदीय समिति में राज्य सभा के 6 सदस्यों को सहयोजित करने के लिए सहमत हो और इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को दें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री किशोर लाल (पूर्वी दिल्ली) : कल सैंट्रल हाल में जब मैंने काफी पी तो मुझे 25 पैसे का एक सिक्का दिया गया जिस पर सम्राट जार्ज षष्टम का चित्र था। अब पुराने एक रुपये के नोट वैध नहीं है किन्तु 30 वर्षों की स्वतंत्रता के बावजूद भी ये सिक्के चल रहे हैं। वित्त मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

वित्त (संख्या 2) विधेयक
Finance (No. 2) Bill

वित्त, राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"(क) कि वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

खंड 3

कि पृष्ठ 5 पर, खंड 3 का लोप किया जायें। (1)

खंड 13

कि पृष्ठ 10-11 पर, खंड 13 का लोप किया जाये। (2)

खंड 15

कि पृष्ठ 12 पर, पंक्ति 29 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये अर्थात् :—

["(iii) समामेलित कम्पनी समामेलन के समय समामेलक कम्पनी के रोल में दर्ज कर्मचारिवृन्द तथा श्रमिकों को पूर्ण रूप से आमेलित कर लेती है।"]

["(iii) the amalgamated company absorbs in full the staff and labour borne on the rolls of the amalgamating Company at the time of amalgamation."](3)

खण्ड 20

कि पृष्ठ 16 पर, खंड 20 का लोप कर दिया जाये। (4)

खण्ड 21

कि पृष्ठ 16-17 पर, खंड 21 का लोप किया जाये। (5)

तीसरी अनुसूची

कि पृष्ठ 49 पर

(i) पंक्ति 7-8 में कोष्टक, अंक तथा अक्षर "(3) (i), 3(ii)" का लोप किया जाये, और

(ii) पंक्ति 10-11 में "चार रुपये साठ पैसे प्रति हजार", "एक रुपया साठ पैसे प्रति हजार" शब्दों का लोप किया जाये। (6)

(ख) कि राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया जाये।"

विधेयक में 6 संशोधन हैं। जिनकी राज्य सभा ने सिफारिश की है। किन्तु इसमें से कोई भी नया नहीं है और न ही उनमें कोई नई विचारधारा है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस विधेयक पर खंड-वार चर्चा करते समय इसी प्रकार के संशोधन पेश किए गए थे। उन संशोधनों पर विस्तार से विचार किया गया था और समुचित रूप से विचार करने के बाद इस सभा ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया था। और वित्त विधेयक पारित कर दिया था।

राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए प्रथम दो संशोधन वित्त विधेयक के पूंजीगत लाभ कराधान संबंधी उपबंधों के बारे में हैं। इनमें खंड 3 और 13 का संशोधन करने का प्रस्ताव है। हमारा आशय पूंजीगत लाभ कराधान में कुछ ऐसे परिवर्तन करने का है जो पूंजी निवेश को बढ़ाने और जो अनुत्पादकता से उत्पादिकता की ओर पूंजी निवेश का अन्तरण करेंगे तथा परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि करेंगे, स्पर्धा बढ़ायेंगे और वस्तुओं की बहुलता बढ़ायेंगे तथा मूल्य कम करेंगे। इन सबका आशय जनसाधारण को लाभ पहुंचाना ही है।

पूंजीगत लाभ कराधान का वर्तमान ढांचा पूंजी निवेशगत संशोधनों की प्रयप्ति गतिशीलता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है और निम्न प्राथमिकता तथा फलहीन आस्तियों में पूंजी निवेश करता है। विधेयक के खंड 13 का आशय यह है कि पूंजीगत आस्तियों के अन्तरण से होने वाला विक्रय 6 महीनों के भीतर विशिष्ट प्राथमिकता आस्तियों में लगाया जाये या जमा किया जाये तो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को छूट मिलेगी। यह छूट देने का हमारा मुख्य आशय सरणीकृत पूंजी निवेश को अनुत्पादक आस्तियों से हटाकर सरकारी प्रतिभूतियों भारतीय यूनिट ट्रस्ट में यूनिट "बैंक जमा" और बड़ी कम्पनियों में शेयर लेना जैसे उत्पादक आस्तियों में लगाने में सहायता देना है। इससे देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा।

आयकर अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के अधीन किसी विशिष्ट प्रकार की आस्तियों के हस्तान्तरण से होने वाले पूंजीगत लाभों को यदि उसी प्रकार की आस्तियों में पुनर्विनियोग कर दिया जाता है। तो वे पूंजीगत लाभ कर मुक्त रखे गए हैं। विधेयक के प्रावधान का उद्देश्य इस सिद्धान्त को विशिष्ट आस्तियों में विनियोग करना है। फिर भी यह बात ध्यान देने योग्य है कि जहां वर्तमान प्रावधान में पूंजीगत लाभों के पुनर्विनियोग की बात कही गई है, वहां, विधेयक के प्रावधान अधिक बड़े हैं। क्योंकि इसमें करदाता से यह अपेक्षा की गई है कि वह हस्तान्तरण से होने वाले लाभ की पूरी राशि को विशिष्ट आस्तियों में पुनर्विनियोगित करें।

राज्य सभा ने तीसरी सिफारिश विधेयक के खण्ड 15 के बारे में की है। राज्य सभा ने समामेलन के अनुमोदित मामलों में संचित हानि तथा असमाविष्ट ह्रास को आगे ले जाने और समंजित करने के प्रस्तावित प्रावधान में नई शर्त जोड़ने की सिफारिश की है। यह नई शर्त यह है कि यह प्रस्तावित रियायत तभी मिलेगी जब समामेलित कम्पनी समामेलन के समय उस कम्पनी के सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को नौकारी पर ले जिस कम्पनी का समामेलन किया जा रहा है।

प्रति पक्ष के सदस्य इस संशोधन का सुझाव देकर श्रमिकों के रक्षक होने का दम भर रहे हैं। वे ऐसी धारणा फैला रहे हैं मानो यह सरकार रूग्ण एककों के श्रमिकों को नौकरी से हटाना चाहते हैं और प्रतिपक्षी सदस्य ऐसे श्रमिकों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। इससे बड़े सत्य की विडम्बना क्या हो सकती है। हम सब जानते हैं कि यह रूग्णता गत सरकार द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों के कारण हुई और कुछ मामलों में कुप्रबंध के कारण। सरकार यह अपना कर्तव्य समझती है कि ऐसी रुग्ण मिलें समाप्त न हों। हमारा मुख्य इरादा यह है कि जब ऐसे रुग्ण एकक राज्य सरकार या गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा अपने हाथ में लिए जायें तब श्रमिकों की रक्षा की जायें। विधेयक में इसे सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षापाय किए गए हैं। प्रस्तावित कर रियायत तभी दी जायेगी जब सम्मेलित कम्पनी विहित प्राधिकारी से प्राप्त एक प्रमाण पत्र दे जिसमें कहा गया हो कि उस कम्पनी ने पहले वाली कम्पनी के कारोबार को चालू करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही कर ली है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विहित प्राधिकारी श्रमिक वर्गों के हितों को ध्यान में रखे और कर रियायतें तब तक न दें जब तक वह संतुष्ट न हो जाये कि समामेलन का वास्तविक उद्देश्य वस्तुतः पूरा हो गया है।

विधेयक के खण्ड 20 में औद्योगिक गतिविधियों में लगी पारिवारिक कम्पनियों को वितरण योग्य आय के सांविधिक प्रतिशतता तक के लाभांशों के अनिवार्य वितरण की आवश्यकता से छूट दी गई है। इस प्रस्ताव के समनुरूप विधेयक के खण्ड 21 में आंशिक रूप से औद्योगिक गतिविधियों में लगी पारिवारिक कम्पनियों को अपनी औद्योगिक गतिविधि से होने वाले लाभों के मामलों में लाभाशों के वितरण दायित्व से छूट दी गई है। राज्य सभा ने दोनों खंडों को हटाने की सिफारिश की है।

पारिवारिक कम्पनियों द्वारा अपने लाभों की निर्दिष्ट प्रतिशतता को वितरित करने की आवश्यकता तब उठती है जब निगम कर की दरें वैयक्तिक कराधान की अधिकतम सीमांत दरों से काफी कम हों। इस स्थिति में कर दाता अपने वैयक्तिक व्यापार की आढ़ में कम्पनियां बनाकर उच्च दर पर कर देने से बच सकते थे। लेकिन अब जब कि निगम कर की दर उतनी ही है जितनी कि वैयक्तिक कराधान की अधिकतम दर तब पारिवारिक कम्पनियां बनाकर अधिक लाभ नहीं कमाया जा सकता।

इन प्रस्तावों की इस तर्क पर आलोचना की गई है कि उद्योगपति अवितरित लाभों को बोनस, शेयरों में बदलकर पूंजी के रुप में परिवर्तित करके आयकर की अदायगी से बच सकते हैं। इस आलोचना में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि अवितरित लाभों को बोनस, शेयरों में बदलने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि ये लाभ वैयक्तिक उपयोग के लिए प्रयोग में न लाए जायें। बल्कि व्यापार में स्थायी

रूप से लगाए जावें। आलोचना करते समय इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि ऐसे बोनस शेयरों की बिक्री से होने वाले पूंजीगत लाभों पर शेयर होल्डरों को आयकर देना होगा।

राज्य सभा ने अप्रत्यक्ष करों के बारे में दो संशोधनों की सिफारिश की है। इन संशोधनों में मशीन से या हाथ से बनने वाली बीड़ी पर बढ़े हुए मूल्य उत्पाद शुल्क को वापिस लेने की बात कही गई है। राज्य सभा में बहुमत प्राप्त दल द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि ऐसे संशोधन का सुझाव देकर वे आम आदमी की ओर से बोल रहे हैं। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि जनता सरकार ने हाथ से बनने वाली बीड़ी पर उत्पाद शुल्क लगाने में पहले नहीं सोचा है। 1975 के बजट में यह शुल्क लगाया गया था। जब यह उत्पाद शुल्क लगाया गया था तो तब वे चुप क्यों थे।

इस सदन के समक्ष असली मामला यह है कि क्या बीड़ी को आदमी के लिए आवश्यक और स्वाभाविक समझना चाहिए। जनता सरकार के लिए इस बात को स्वीकार करना कठिन है। हम साफ दिल से जनता में धूम्रपान की आदत को बढ़ावा देना नहीं चाहते। प्रसिद्ध चिकित्सकों का कहना है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है।

कई सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि बीड़ी पर उत्पाद शुल्क लगाने से बीड़ी उद्योग नष्ट हो जायेगा। ऐसा कहना ठीक नहीं है। जब 1975 में पहली बार शुल्क लगाया गया था तो बीड़ी उद्योग को कोई खतरा नहीं था इसके विपरीत बीड़ी का उत्पादन और खपत बढ़ी है।

कुछ सदस्यों ने अजीबो-गरीब बात की है कि हमने बीड़ी पीने वालों की अपेक्षा सिगरेट पीने वालों का पक्ष लिया है। ऐसा कहना गलत है। मेरे प्रस्ताव से बीड़ी बाह्य मूल्य में 14 प्रतिशत वृद्धि होगी और 10 बीड़ियों के पीछे 1 पैसा बढ़ेगा। सिगरेटों पर कराधान की प्रक्रिया गलत है। सस्ती किस्म की सिगरेटों पर 150 प्रतिशत शुल्क है और मंहगी सिगरेट पर 370 प्रतिशत शुल्क है। हमने शुल्क पर 7 प्रतिशत वृद्धि करके सन्तुलन बनाये रखने का प्रयास किया है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 2 मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at two minutes past Fourteen of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

रेलवे अभिसमय समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव—जारी

RESOLUTION RE. CONSTITUTION OF RAILWAY CONVENTION COMMITTEE —(*Contd.*)

श्री यशवन्त राव चव्हाण (सतारा) : मुझे यह प्रस्ताव देखकर आश्चर्य नहीं हुआ है क्योंकि मैं सरकार से ऐसे ही प्रस्ताव की आशा कर रहा था। यही कारण है कि मेरी आशंका पक्की हो गई है कि सरकार को वास्तव में प्रतिपक्ष से सहयोग नहीं चाहिए। मैं आशा कर रहा था कि सरकार ऐसे मामलों पर हमारा सहयोग लेने के लिए तत्पर रहेगी जो कि राजनैतिक न हो कर जनहित से संबंधित हो। सरकार कम से कम यह अवश्य सोचेगी कि प्रतिपक्ष द्वारा व्यक्त विचारों पर गम्भीरता से विचार किया जाये।

संवैधानिक स्थिति बताने से कोई लाभ नहीं। लेकिन इससे अनावश्यक मतभेद हो जायेगा जो कि हम नहीं चाहते। भारतीय संविधान के अन्तर्गत बनाई गई राज्य सभा की तुलना विश्व के संविधान के अन्तर्गत बनाए गए किसी उपरि सदन से नहीं की जा सकती। यह हमारे संविधान के संघीय ढांचे की महत्वपूर्ण विशेषता है। राज्य सभा अनिवार्यतः सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है लेकिन इसका चुनाव राज्यों के प्रतिनिधित्व के आधार पर हुआ है। अतः राज्य सभा द्वारा व्यक्त विचार निश्चय ही महत्वपूर्ण है। राज्य सभा की सिफारिशों की अवहेलना राज्यों द्वारा व्यक्त विचारों को अस्वीकार करना है।

जहां तक पूंजीगत लाभों पर कर लगाने के बारे में संशोधन का संबंध है, सबसे पहले हमें इस बात पर विचार करना होगा कि पूंजीगत लाभ क्या है। पूंजीगत लाभ अनर्जित आय है और किसी भी समाजवादी या जनकल्याणकारी सरकार या ऐसी सरकार का जो यह नहीं चाहती कि धन चंद हाथों में एकत्रित हो जाये, यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि पूंजीगत लाभ के मामले में रियायत दे दी जाये। पूंजीगत लाभ एक प्रकार से समाज विरोधी है, अनर्जित आय के लिए रियायत की बात कभी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। यह हमारे लिए आवश्यक है।

इसके बाद पारिवारिक कम्पनियों का प्रश्न आता है। ये पारिवारिक फर्में हैं। इन कम्पनियों को रियायतें देकर हम गलती कर रहे हैं। इन कम्पनियों को दी गई रियायत से सरकार के इरादे का पता चलता है। मंत्री जी का तर्क है कि इससे बेहतर तथा उत्पादिकता निवेश होगा। किन्तु जहां तक कराधान का संबंध है, प्रायः इसी तरह की बातें की जाती हैं। आपने इन कम्पनियों को रियायत दी है, उससे आपके दल की विशेषता का पता चलता है। आपके दल में प्रतिक्रियावादी तत्व का आधिपत्य है ···· **(व्यवधान)**

जहां तक रुग्ण औद्योगिक एककों का संबंध है, इनकी यह दशा आपकी गलत नीतियों के कारण हुई है। कपड़ा तथा पटसन उद्योग में उद्योगपति मशीनों आदि का ठीक ढंग से रखरखाव नहीं करते। उनमें समुचित ढंग से निवेश नहीं किया जाता। उद्योगपतियों ने अधिकतम लाभ कमाकर उनकी दयनीय दशा कर दी है और अब वे उन्हें बंद करने की बात कर रहे हैं... **(व्यवधान)** यों कहा जा सकता है कि उन्होंने गाय दुह ली है। अर्थात् अपना उल्लू सीधा कर लिया है... **(व्यवधान)** वित्त मंत्री ने हमारी नीतियों को दोषी ठहराया है। मुख्य बात तो यह है कि यह गैर-सरकारी स्वामित्व की प्रवृत्ति और भावना है। वे इससे लाभ कमाना चाहते हैं और दुधारु गाय को मारना चाहते हैं इसका परिणाम यह हुआ है कि हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम इन रुग्ण मिलों का सरकारीकरण कर दें। इसके अतिरिक्त इनका आधुनिकीकरण किया जाये और इनमें समुचित पूंजी-निवेश किया जाये। लेकिन सरकार एक कम्पनी को दूसरी कम्पनी में समालित करने की अनुमति दे रही है। वस्तुतः इस प्रकार सरकार एक कम्पनी के खातों को दूसरी कम्पनी के खातों में मिलाने की अनुमति दे रही है ताकि यह कराधान कानून का लाभ उठा सके और जनशक्ति की उपेक्षा कर सके। यदि वे रोजगार के पहलू पर चिंतित हैं तो हमारे संशोधन को क्यों नहीं मान लेते। किन्तु आप हमारे संशोधनों को स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि आपका यह उद्देश्य नहीं है ... **(व्यवधान)**।

वित्त मंत्री ने कहा है कि हम लोग यह दिखावा कर रहे हैं जैसा कि हम लोगों के संरक्षक हैं। इसमें गलत क्या बात है। जनता की ईमानदारी से सेवा करना ही रानीतिक दल का कार्य होता है। राजनीतिक दल इसीलिए बने हैं। उन्हें दिखावा नहीं करना चाहिए अपितु उन्हें वास्तविक संरक्षक के रूप में कार्य भी करना चाहिए। इसलिए हम इस पर बल दे रहे हैं।

जब कभी किसी दोष की ओर ध्यान दिलाया जाता है तो सारा दोष भूतपूर्व सरकार के सिर मढ़ दिया जाता है और कहा जाता है कि यह उनकी गलती थी और अब हम इस कार्य को इस ढंग से शुरू कर रहे हैं। आप इस तरह की बहानेबाजी कब तक करेंगे ?

श्री बीजू पटनायक : कम से कम 30 वर्ष और ।

श्री यशवन्तराव चव्हान : भारतीय जनता बहुत समझदार है। वे शीघ्र निर्णय ले लेते हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह आपको पता है।

श्री यशवन्तराव चव्हान : You also know them (*interruption*) We are also duly elected representatives here. We are not here just because of anybody's favour. (*interruption*).

जहां तक बीड़ी पर लगाये गए कर का सम्बन्ध है, यह कहना कि साधारण जनता से इसका कुछ सम्बन्ध नहीं है, ठीक नहीं है। कर्मचारी वर्ग के लागत सूचकांक तैयार करते समय धूम्रपान को एक महत्वपूर्ण मद के रूप में रखा गया था। इस दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है। ब्रांड वाली तथा गैर ब्रांड वाली बीड़ियों में अन्तर का बीड़ी उद्योग द्वारा अनुचित लाभ उठाया जायेगा और उन्होंने निर्धन व्यक्तियों का शोषण भी शुरू कर दिया है। यदि आप यह सोचते हैं कि यह हमारी गलती थी तो क्या आप इसे सुधारने के लिये तैयार हैं?

[**उपाध्यक्ष महोदय पठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : विपक्ष के नेता ने जो तर्क दिये हैं वे सही नहीं हैं। हमने पहले ही कह रखा है कि जब तक जनता पार्टी अधिनायकवाद, लोकतन्त्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध संघर्ष रखेगी तब तक हम उन्हें अपना समर्थन देते रहेंगे। जब तक उनकी नीतियां सिद्धान्तों पर आधारित होंगी, उन्हें हमारा समर्थन प्राप्त होता रहेगा। निस्सन्देह जिस प्रस्ताव से हम देखेंगे कि इससे लोगों का हित नहीं होगा, उसका हम विरोध करेंगे।

विपक्ष के नेता ने मगरमच्छ के आंसू बहाये हैं। आज "गरीबी हटाओ" का नारा सुनने में नहीं आता। आज 20 सूत्री कार्यक्रम की बात नहीं होती (**व्यवधान**) आपने इस देश के लोगों का अपमान किया है। कांग्रेस दल ने देश की जनता और संसदीय संस्थाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है। इसलिये श्री चव्हाण के लिये यही बेहतर था कि वह इस तरह की बातें करने की बजाय अपने दल पर नियंत्रण करते। पता नहीं अभी भी इस दल में कितने बेकार के लोग हैं .... (**व्यवधान**)

जब वह वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री आदि थे तो मैं उनकी प्रशंसा करता था किन्तु आज उन्होंने ऐसी बातें कहीं हैं, जिन पर वह स्वयं विश्वास नहीं करते।

हम जनता पार्टी से सहयोग करते रहेंगे। यद्यपि हमें पता है कि पश्चिम बंगाल में हमारे दल का बहुमत है, फिर भी हम उनका सहयोग चाहते हैं। हमने केन्द्र से सहयोग करना है क्योंकि हमें देश का निर्माण करना है। कांग्रेसी सरकार ने देश का सत्यानाश कर दिया था ..... (**व्यवधान**) राष्ट्रनिर्माण के इस महान कार्य में हम अपना सहयोग देते रहेंगे। ...... (**व्यवधान**) यह एक ऐसा हल था जिसने देश की जनता पर केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही आघात नहीं पहुंचाया अपितु उनके लोकतांत्रिक और आर्थिक अधिकारों का भी हनन किया। कांग्रेस दल द्वारा अपनाई गई तथाकथित नीति, 20 सूत्री कार्यक्रम, गरीबी हटाओ इत्यादि का नतीजा यह निकला है कि आज देश के 70 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं।

जहां तक वित्त विधेयक के सम्बन्ध में दी गई सिफ़ारिशों का प्रश्न है, संविधान ने राज्य सभा को सिफ़ारिश करने का अधिकार दिया है। लेकिन चूंकि लोक सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसलिये लोक सभा की स्थिति राज्य सभा से श्रेष्ठ है। वह राज्य सभा की सिफ़ारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। राज्य सरकार अचानक ही गरीब लोगों के सम्बन्ध में इतनी चिन्तित हो गई और इस वित्त विधेयक के तथाकथित विशेष कर प्रस्तावों के सम्बन्ध में सिफ़ारिशें देना चाहती है लेकिन जब संविधान का 42वां संशोधन लाया गया और जब बोनस संशोधन विधेयक और आंसुका का कानून बनाया गया तब उन्हें कोई चिन्ता नहीं हुई।

जहां तक वित्त विधेयक का सम्बन्ध है, मैं चाहता हूं कि अप्रत्यक्ष कराधान को कम से कम किया जाये और प्रत्यक्ष करों को बढ़ा दिया जाये। धनवान लोग जो करों के भार को सहने में समर्थ हैं, उन पर अधिक कर लगाये जायें। वास्तव में देश के सम्पूर्ण कराधान ढांचे को बदलने की आवश्यकता है। कांग्रेस का भूत वित्त मंत्रालय पर अभी मंडरा रहा है। उनका रवैया पहले जैसा ही है भूमि सुधारों और जनसाधारण की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। मूल्य वृद्धि को रोकने तथा बेरोजगारी के आतंक को कम करने के सम्बन्ध में भी कुछ कार्यवाही नहीं की गई है।

वित्त विधेयक में पारिवारिक कम्पनियों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव किये गये हैं, वह देश के जन साधारण के हित में नहीं हैं।

जहां तक सममिलन का सम्बन्ध है, यदि सममिलन के परिणामस्वरूप रुग्ण एकक फिर से चालू हो जायेंगे, तो निश्चय ही यह स्वागत योग्य प्रस्ताव है क्योंकि इससे अधिक रोजगार की सम्भावयता होगी और अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। लेकिन हम इसे सांविधिक मान्यता देना चाहते हैं।

जहां तक बीड़ी का सम्बन्ध है, सामान्य उत्पाद शुल्क को एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत किया गया है। जनसाधारण पर इसका भार पड़ेगा।

कहा गया है कि बीड़ी पर उत्पाद शुल्क बहुत कम है अर्थात् 10 बीड़ियों के मूल्य पर केवल एक पैसा बढ़ाया गया है। लेकिन इस रवैये को बदलना होगा। यह बात हमें माननी ही पड़ेगी कि हमारे देश के निर्धन वर्ग पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। सरकार के प्रति जनसाधारण की जो विश्वसनीयता है, उसे सरकार को खोना नहीं चाहिये। अतः इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

राज्य सभा ने अच्छी सिफ़ारिशें की हैं, इसलिये हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिये।

श्री आर० वेंकटरमन (मद्रास दक्षिण): इन सिफ़ारिशों के बारे में वित्त मंत्री को विपक्ष के नेता के साथ मिलकर विचार विमर्श करना चाहिये था और उसके बाद ही यह प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिये था। हमें इन सिफ़ारिशों पर विचार करते समय राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिये। इन पर केवल आर्थिक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये। अब तो हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है कि हम उन तर्कों की वैधता की जांच करें और सुनिश्चित करें कि वे कहां तक ठीक तथा स्वीकार्य हैं।

पूंजीगत लाभ उनको प्राप्त होते हैं, जिनका वृद्धि में कुछ भी अंशदान नहीं होता। अतः यह केवल अनर्जित वृद्धि है।

सारे विश्व में पूंजीगत लाभों पर कर लगता है। ये कर उचित एवं संगत समझे गये हैं। हम राजस्व के स्रोत को छोड़कर घाटे को पूरा करने के लिये गरीबों पर कर क्यों लगाएं? यदि कोई आदमी एक सम्पत्ति खरीदता है, उसमें सुधार करता है और उसे उसका अधिक मूल्य मिलता है तो वर्तमान कानून

के अनुसार उसे सुधार पर व्यय की गई राशि के लिये कर छूट मिल सकती है और वह राशि पूंजीगत लाभों में नहीं गिनी जाती। अतः पूंजीगत लाभों को कराधान की परिधि से बाहर रखना संगत नहीं होगा।

खण्ड 3 और 13 का संयुक्त प्रभाव यह होगा कि भारत सरकार को पूंजीगत लाभ करों के रूप में जो राजस्व की प्राप्ति होती है वह समाप्त हो जायेगी क्योंकि जैसे ही किसी व्यक्ति को पूंजीगत लाभों की प्राप्ति होगी, वह सूची में निर्धारित आस्तियों, जैसे बैंक निवेश, यूनिट ट्रस्ट अथवा शेयरों में अपना पैसा लगा देगा। अधिकांशतः यह पूंजीगत लाभ बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। वह तीन साल में एक बार अपने शेयर बदलते हैं। यह कहना कि एक जगह से दूसरी जगह पूंजी निवेश करने से देश की सम्पत्ति में वृद्धि होगी और लोगों को भी लाभ होगा बिल्कुल गलत है। इस तरीके का सहारा लेकर राज्यों को सारे राजस्व से वंचित किया जा सकता है। अतः मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिये।

जहां तक पारिवारिक कम्पनियों का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री ने कहा है कि समाज को इनसे कुछ हानि नहीं होती। पारिवारिक कम्पनियां वह कम्पनियां होती हैं जिनका संचालन कुछ परिवार तथा कुछ सम्बन्धियों द्वारा किया जाता है, वास्तव में यह एक प्रकार की साझेदारी ही है। लेकिन इसमें कानूनी रूप में कर अपवंचन किया जाता है। साझेदारी में आयकर प्राधिकारी साझेदारों के कुल मुनाफ़े पर कर लगाते हैं और अगर पारिवारिक कम्पनियों को भी साझेदारी का एक रूप मान लिया जाये तो सारे मुनाफ़े पर कर लगाया जा सकेगा और इस प्रकार सरकार को राजस्व की हानि भी नहीं होगी। लेकिन पारिवारिक कम्पनियां यदि राशि का वितरण नहीं करतीं, जो कि सांविधिक रूप से वितरण योग्य हैं बचा कर रखती हैं, तो कम्पनियों को केवल निगम कर ही देना पड़ता है और शेयरधारियों द्वारा प्राप्त लाभांश पर उन्हें कुछ कर नहीं देना पड़ता। इस प्रकार शेयरधारियों के लाभांश पर लगाये जाने वाले कर से जो राजस्व की प्राप्ति होती है उससे सरकार वंचित रहती है। जब यह पीछे बची राशि इकट्ठी हो जाती है तो तीन अथवा चार वर्षों में इस राशि को बोनस शेयरों के रूप में दे दिया जाता है। बोनस शेयर पर भी कोई कर नहीं लगता। वर्तमान खंड 3 और 13 का संयुक्त प्रभाव यह होगा कि यदि शेयरधारी इन बोनस शेयरों को बेचकर पैसा साम्य पूंजी अथवा यूनिट ट्रस्ट में लगा देंगे तो वे कर से बच जायेंगे। अतः ऐसी स्थिति में जबकि हमारे पास मुनाफ़े का बजट नहीं है, क्या सरकार के लिये इस राजस्व को छोड़ देना उचित है?

श्रमिक वर्ग ने सरकार को रुग्ण एककों को अपने अधिकार में लेने की बात पर जो बल दिया है, वह उद्योगपतियों की सुरक्षा हेतु नहीं दिया अपितु रूग्ण एककों में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु दिया गया है, लेकिन जब तक सममिलन करने वाला एकक रुग्ण एककों के कर्मचारियों को नहीं खपाता, तब तक उनकी सुरक्षा किस प्रकार हो सकती है। वित्त मंत्री ने कहा है कि उन कर्मचारियों का ध्यान रखा जायेगा, लेकिन इसे सांविधिक दायित्व बनाने में उन्हें क्या रुकावट थी। कर्मचारियों को सांविधिक सुरक्षा दी जानी चाहिये, केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं होगा।

जहां तक बीड़ी पर लगाये गये कर का सम्बन्ध है, यह कहा गया है कि केवल ब्रांड वाली बीड़ियों पर कर लगाया जायेगा। कई लोग ब्रांड वाली मदों को अन्य लोगों में बांट देंगे और कहेंगे कि ये गैर ब्रांड वाली बीड़ियां हैं। और इस पर कर अपवंचन किया जायेगा। इसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि होगी और बेरोजगारी फ़ैलेगी तथा कर्मचारियों का शोषण होगा। अतः मैं राज्य सभा द्वारा की गई 4 सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लेने की मांग करता हूं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I am disappointed to hear the speech of the leader of the opposition. He has made uncharitable remarks against Janta Party. It is unfair. In fact his speech is in the nature of a political gimmick.

The leader of the opposition has said that non-acceptance of the recommendations of Rajya Sabha amount to its disrespect. Lok Sabha is a representative body elected by the people of the country. In not accepting the Finance Bill as passed by Lok Sabha, did Rajya Sabha not show disrespect to Lok Sabha ? Therefore, it is no question of Lok Sabha versus Rajya Sabha. In bringing forward this motion we do not mean any disrespect to Rajya Sabha. But at the same time, we shall not allow Rajya Sabha to override the decisions of Lok Sabha on Finance Bill.

Therefore, under the present circumstances, it would be pertinent for the Government to have a second look on the role of Rajya Sabha and also to what extent Rajya Sabha, which is an indirectly represented body, should be allowed to withhold the decisions of Lok Sabha which is a representative body of this country.

What has the Congress been doing all these years ? They were feeding the people with empty slogans of socialism, Garibi Hatao and what not. What has been the result of the policies followed by the Congress ? The assets of the big business houses have multiplied many times. The rich has grown richer and the condition of poor man has gone worse.

Now as regards the recommendations made by Rajya Sabha on Finance Bill, the opposition has criticised the concessions given under capital gains tax. Was it not Shri Chavan who brought interest income which is an unearned income at par with earned income. He had also exempted capital gains tax on the sale of the property, if the same is reinvested within a year. Are these concessions in line with the socialist policies ?

As regards amalgamation of sick mills to the profitable ones, it is a salutary scheme and would stop heavy drain on public exchequer, which the Government has to bear on the management of those sick mills taken over by the Government.

The additional excise on bidi would bring Rs. 34 crores. If this levy is withdrawn, the deficit financing to that extent would increase.

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : मैं राज्य सभा की भूमिका पर चर्चा करना नहीं चाहता। सदन के समक्ष समस्या यह है कि जो वित्त विधेयक इस सदन द्वारा स्वीकार करके राज्य सभा में भेजा गया था, राज्य सभा ने उसे कुछ परिवर्तनों के साथ लौटा दिया गया है। हमें इस समस्या पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये।

बीड़ी पर लगे कर को हटा लिया जाना चाहिये। राज्य सभा में कांग्रेस का बहुमत है? उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था। क्या हम अपनी प्रतिष्ठा पर अड़े रहेंगे या संगत संशोधनों को मान लेंगे?

जहां तक बीड़ी के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि सिगरेट निर्माताओं का इसके पीछे हाथ है। सिगरेट निर्माता चाहते थे कि बीड़ी की कीमत में वृद्धि हो। अतः कम से कम इस आधार पर तो रियायत दी जानी चाहिये। यदि राज्य सभा की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया जाये तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।

एक अन्य संशोधन को भी स्वीकार किया जा सकता है। जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, प्रबन्ध को अवश्य बदला जाना चाहिये। इसे कानून क्यों नहीं बनाया जाता? कर्मचारियों को सांविधिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिये। अतः सरकार को इन दो सरल संशोधनों को स्वीकार कर लेना चाहिये। यदि लोक सभा राज्य सभा द्वारा किये गये इन संशोधनों को स्वीकार कर लेती है तो यह बहुत अच्छा प्रयास होगा।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : मैं जनता पार्टी के सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि जनता का निर्णय सदन में प्रतिबिम्बित होता है। क्योंकि लोक सभा में जनता के द्वारा सीधे चुने गये प्रतिनिधि होते हैं। अतः राज्य सभा को लोक सभा के निर्णय का आदर करना चाहिये। लेकिन साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि राज्य सभा वाले कुछ कहते हैं तो हमें भी उनका आदर करना चाहिये।

भारत में अधिकांश लोग बीड़ी पीते हैं। अतः जनता सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिये। यह तर्क देना ठीक नहीं है कि बीड़ी पर से शुल्क हटाने से 45 करोड़ रुपये का घाटा होगा। देश की अधिकतर जनता गरीब है और वह इस भार को सहन करने में असमर्थ है। इसलिये यदि इस कर को हटा लिया जायेगा तो वे सब प्रसन्न होंगे तथा सभी प्रगतिशील उपायों का समर्थन करेंगे।

हम प्रस्ताव में सम्मिलित प्रत्येक मद के लिये आग्रह नहीं करेंगे। आप मदवार मतदान करालें क्योंकि बीड़ी के प्रश्न पर और कम्पनियों के सम्मेलन के प्रश्न पर मतभेद रखते हैं। कम से कम बीड़ी के प्रश्न पर जनता की भावना पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री चित्र बसु (बारसाट) : प्रधान मंत्री ने कहा बताते हैं कि लोक सभा के अधिकार को नहीं छोड़ना चाहिये। लोक सभा के अधिकार से उनका क्या अर्थ है और राज्य सभा का किसी सिफारिश को लोक सभा द्वारा स्वीकार किये जाने से लोक सभा का अधिकार कैसे समाप्त हो जाता है। उससे हमारे अधिकार पर कतई कोई आंच नहीं आती। अतः इस समय प्रधानमंत्री का ऐसा वक्तव्य देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

राज्य सभा की एक सिफारिश विलयन के बारे में तथा दूसरी बीड़ी कर्मचारियों के बारे में है। विलयन का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कर्मचारियों के प्रति पूरी सहानुभूति बरती है परन्तु उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वे उन कर्मचारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते जिनमें विलयन के हित के लिये पीछा छुड़ाना आवश्यक है। यह तर्क न्यायोचित नहीं है।

बीड़ी के सम्बन्ध में उनका कहना है कि यदि राज्य सभा की सिफारिश स्वीकार की जाती है तो उससे 34 करोड़ रुपये की हानि होगी। परन्तु उसकी वसूली निगमित क्षेत्र का अन्य सम्पन्न लोगों पर कर लगा कर क्यों नहीं की जाती। बीड़ी कर्मचारियों और बीड़ी उद्योग पर कर का भार लादा जा रहा है जबकि बड़े पूंजीपतियों और एकाधिकारियों को बड़ी बड़ी रियायतें दो गई हैं। इसलिये आपसी समझौते तथा इस सदन और राज्य सभा की इच्छा के बीच मतभेद के प्रतीक के रूप में सरकार सारे मामले पर फिर से विचार करे और 6 सिफारिशों में से कम से कम दो को स्वीकार करे।

Chowdhry Balbir Singh (Hoshiarpur) : The previous Government had promised to fix land ceiling but it was not done. The opposition members pleaded for the poor people but the previous Government followed the policy of helping the big business to increase their capital many times. The previous Government have abrogated the Firoze Gandhi Act and curbed the freedom of press. But now the Congress Party members are pleading for the poor. Having heard the speech of the Leader of opposition, it appears that the devil is quoting scriptures.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : विपक्ष के नेता और अन्य कई विपक्षी सदस्यों ने राज्य सभा की भूमिका के बारे में कहा है। हम द्विसदनीय व्यवस्था की संवैधानिक स्थिति का आदर करते हैं तथा यह मानते हैं कि राज्य सभा सम्माननीय सदस्य है जो राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। हम यह भी मानते हैं कि राज्य सभा को लोक सभा से आने वाले किसी भी कानून को पास करने, अस्वीकृत करने और संशोधन करने का अधिकार है। हमारी संसदीय प्रणाली संघीय है जिसमें

निचले सदन का चुनाव सीधे जनता करती है जो सभी वित्तीय मामलों के लिए उत्तरदायी है। कांग्रेस सदस्यों को जो कुछ समय के लिए ऊपरी सदन में बहुमत में है, इस संविधान की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए।

सभी लोकतंत्रों में एक सदन दूसरे पर हावी होता है और वह सदन है लोक सभा क्योंकि इसका चुनाव जनता करती है। विपक्ष दल को ऊपरी सदन में अपने बहुमत का उपयोग विधान में कुछ सुधार करने के रूप में करना चाहिए था। परन्तु उन्होंने उसका उपयोग सरकार को कठिनाई में डालने के लिए किया है। मैं चाहता हूं कि बीड़ी के कर को समाप्त किया जाये और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाये। परन्तु सरकार को इस समय सदन में अपने बहुमत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमें आम इच्छा का आदर करना चाहिए तथा जनप्रिय रुख अपनाना चाहिए।

बीड़ी का उपयोग देश के प्रत्येक भाग में किया जाता है। अतः बीड़ी पर लगे इस कर का विरोध किया जाना चाहिए।

वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सभा की सिफारिशों को अस्वीकृत किया जाये। हम उन्हें इसलिए अस्वीकृत कर रहे हैं क्योंकि वे गुण-दोष के आधार पर उचित नहीं हैं।

यह कहा गया है कि यदि पारिवारिक कम्पनियों को पूंजीगत लाभ पाने की अनुमति दी जाती है तो इससे हित होने के बजाय अहित होगा। बार-बार यह कहा गया है कि जिस रुपये का उपयोग नहीं किया जाता वह निवेश योग्य धन होता है। निश्चय ही विचार के लिए यह एक उचित विषय है। हो सकता है कुछ राजस्व की हानि हो। परन्तु वह हानि निवेश के लिए अधिक राशि मिलने पर पूरी हो जायेगी। हमने जो प्रस्ताव रखे हैं उनके पीछे कुछ ठोस आर्थिक तर्क हैं तथा वे आवश्यक हैं।

यह कहना ठीक है कि देश की आय का मुख्य साधन प्रत्यक्ष कर होना चाहिए, अप्रत्यक्ष कर नहीं। परन्तु एक गरीब देश इसे अपनाने की स्थिति में नहीं होता। फिर भी कई वर्ष बाद यह पहला अवसर है जब अप्रत्यक्ष करों के बजाय प्रत्यक्ष करों से अधिक वसूली होगी। प्रत्यक्ष करों से 99 करोड़ रुपये वसूल होंगे जबकि अप्रत्यक्ष करों से कम। सम्पन्न लोगों पर ही कर लगाया गया है, गरीबों पर नहीं।

राजस्व को घटाना और घाटे को बढ़ाना इतना सरल नहीं है। घाटे की अर्थ-व्यवस्था खराब है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी और मूल्यों में वृद्धि होगी। मैं घाटे की अर्थव्यवस्था को कम से कम करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

इसमें सन्देह नहीं कि इस विधेयक के इस सदन द्वारा पास कर दिये जाने के बाद ये सिफारिशें नहीं की जानी चाहिए थीं और मेरा यह कहना है कि सदन विधेयक को उसी रूप में स्वीकार करे जिस रूप में राज्य सभा में भेजने से पहले इसे पास किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"(क) कि वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

खण्ड 3

(1) कि पृष्ठ 5 पर, खण्ड 3 का लोप कर दिया जाये।

खण्ड 13

(2) कि पृष्ठ 10-11 पर, खण्ड 13 का **लोप कर दिया जाये** ।

खण्ड 15

(3) कि पृष्ठ 12 पर, पंक्ति 32 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए** अर्थात:—

"(iii) समामेलित कम्पनी समामेलन के समय समामेलक कम्पनी के रोल में दर्ज कर्मचारिवृन्द तथा श्रमिकों को पूर्ण रूप से आमेलित कर लेती है ।"

खण्ड 20

(4) कि पृष्ठ 16 पर, खण्ड 20 का **लोप कर दिया जाय** ।

खण्ड 21

(5) कि पृष्ठ 16-17 पर, खण्ड 21 का **लोप कर दिया जाय** ।

तीसरी अनुसूची

(6) कि पृष्ठ 49 पर,—

(i) पंक्ति 7-8 में कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "(3)(i), 3(ii)" का **लोप कर दिया जाये**; और

(ii) पंक्ति 10-11 में, "चार रुपए साठ पैसे प्रति हजार ।", "एक रुपया साठ पैसे प्रति हजार ।" शब्दों का **लोप कर दिया जाय** ।

(ख) कि राज्य सभा द्वारा की गयी सिफारिशों को अस्वीकृत किया जाये ।

(a) that the following amendments recommended by Rajya Sabha in the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1977-78, be taken into consideration :—

Clause 3

(1) That at page 5, clause 3 be *omitted.*

Clause 13

(2) That at page 10-11, clause 13 be *omitted.*

Clause 15

(3) That at page 12, *after* line 29, the following be *inserted* namely :—

"(iii) the amalgamated company absorbs in full the staff and labour borne on the rolls of the amalgamating company at the time of amalgamation."

Clause 20

(4) That at page 16, clause 20 be *omitted.*

Clause 21

(5) That at pages 16-17, clause 21 be *omitted.*

THE THIRD SCHEDULE

(6) That at page 45,—

(i) line 15, the brackets, figures and letters "(3)(i), (3)(ii)" be *omitted*; and

(ii) line 17-19, the words "Four rupees and sixty paise per thousand.", "One rupee and sixty paise per thousand" be *omitted*.

(b) that the recommendations made by Rajya Sabha be rejected.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं।

खण्ड 3

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिए रखा गया

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में		86	विपक्ष में	:	164
Ayes	:	86	Noes	:	164

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

खण्ड 13

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 सभा में मतदान के लिए रखा गया।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	:	85	विपक्ष में	:	171
Ayes	:	85	Noes	:	171

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

खण्ड 15

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 सभा में मतदान के लिए रखा गया।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	:	117	विपक्ष में	:	178
Ayes		117	Noes	:	178

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

खण्ड 20

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 सभा में मतदान के लिए रखा गया ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	87	विपक्ष में	181
Ayes	87	Noes	181

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

खण्ड 21

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 सभा में मतदान के लिए रखा गया ।

लोक सभा में मत-विभाजनन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	88	विपक्ष में :	179
Ayes :	88	Noes :	179

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

तृतीय अनुसूची

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 सभा में मतदान के लिए रखा गया ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	118	विपक्ष में :	179
Ayes	118	Noes :	179

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"(ख) कि राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिशों को अस्वीकृत किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्य की अगली मद पर चर्चा आरम्भ करेंगे ।

श्री बयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं नियम 376 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । यह इस सदन की कार्यवाही की रिपोर्टिंग के बारे में है । मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हू ।

गत महीने की 28 तारीख को विजया बैंक के कार्यकरण के सम्बन्ध में आधे-घंटे की चर्चा उठाई गई थी। श्री लकप्पा ने बैंक के चेयरमैन द्वारा अपनाये गये भ्रष्ट तरीकों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया था। उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से एक केस तैयार किया था जिसकी रिपोर्टिंग भलीभांति की गई थी।

अगले दिन समाचारपत्रों में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई :

"वित्त मंत्री, श्री एच० एम० पटेल ने आज लोक सभा में विजया बैंक के कार्यकरण की जांच करने के सरकार के निर्णय की घोषणा की।"

दूसरे दिन यह शुद्धि दी गई। जो इस प्रकार थी।

"गलती से यह समाचार दिया गया है कि श्री पटेल ने विजया बैंक के कार्यकरण की जांच करने के सरकार के निर्णय की घोषणा की है।"

सदन के कार्यवाही वृत्तान्त के अन्तिम पैरे में यह कहा गया है :

"विजया बैंक के बारे में जो बातें कही गई हैं और जो जानकारी मेरे पास है उससे मैं पूरी तरह सन्तुष्ट हूं कि विजया बैंक सम्बन्धी सभी तथ्यों की जांच करना आवश्यक है। मैं ऐसा करने का विचार रखता हूं।"

माननीय मंत्री ने यह कहा था। 'Probe' शब्द का अर्थ "पूर्णतया जांच करना है"। पहली रिपोर्ट में 'Probe' शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी रिपोर्ट में मंत्री ने कहा है कि वह उन सभी तथ्यों पर विचार करेंगे।

इस प्रकार की शुद्धि किसने दी? इसके लिए कौन प्राधिकारी उत्तरदायी है? सदन में जो कुछ हुआ उसे शुद्ध करने वाले अधिकारी कौन है? इसके लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव कौन अधिकारी सक्षम है। समाचार में यह दिया गया है कि यह गलती से रिपोर्ट किया गया है। गलती क्या है। किसी रिपोर्ट को शुद्ध करने का अधिकार किसे है? क्या यह मंत्री द्वारा किया गया है? यदि हां, तो मंत्री स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री इस पर ध्यान देंगे। हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते। अब हम अनुसूचित जातियों सम्बन्धी प्रतिवेदन पर चर्चा आरम्भ करते हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 20 वें, 21 वें और 22 वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : TWENTIETH, TWENTY-FIRST AND TWENTY SECOND REPORTS OF THE COMMISSIONER OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

Shri Hukamdeo Narain Yadav (Madhuhari) : The incidents of cruelties on scheduled castes and scheduled tribe people are condemnable. Reference has been made to Belchi incident. It is not that no such incident has happened in the past. During the congress regime there were a number of incidents of cruelties and atrocities on Harijans.

The problem of scheduled caste and scheduled tribe people is a social problem. This is a centuries old problem. Caste system is at the root of the problem. Unless caste system is eradicated this problem cannot the tackled.

The people of the South have to understand the difficulty of the Harijans if English language is continued. These people do not know this language well and candidates belonging to these communities cannot compete with those candidates who are well-off in English and who generally belong to well-to-do families. Therefore, if we want that Harijans should progress we will have to give up English and test their capability through their mother-tongue. We will have to encourage use of our languages.

During the last 30 years nothing substantial has been done to ameliorate the lot of Harijans and other backward people. Their name has been exploited to get their votes. Persons belonging to these communities did not get due representative in courts, universities, Ministries etc. Harijans, Adivasis, women and other minorities should be given due share in services, business, armed forces and other spheres. They should receive preferential treatment. There will have to be 60 per cent reservation for them in different bodies and spheres.

In the political field also these people should be given proper share. They should be given adequate representation in Ministries also.

श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए

SHRI M. SATYANARAYAN RAO IN THE CHAIR

Inter-caste marriages will have to be encouraged. The Government should bring forward a law in this regard. Also inter-cast marriage should be made compulsory for entry into Government service. We will have to make an all-out effort to abolish caste system from our country.

Shrimati Parvati Devi (Laddakh) : The reports of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1970 to 1974 have been under discussion, but it is astonishing that there is nowhere any mention of Laddakh in them. According to Dhehar Commission's Report of 1960-61, the area of Laddakh fulfilled all the necessary conditions for being declared as a scheduled area. But, inspite of it, nothing has been done.

The report for the year 1972-73 does contain some mention of nomadic and semi-nomadic tribes and it is heartening to note that Gujars and Bakarwals of Jammu and Kashmir have been included in these tribes. But, at the same time, it is painful to find that Changpa and Dokpa tribes of Laddakh have not been included amongst them. In every respect, Laddakh is more backward than other two regions of Jammu and Kashmir State. Therefore, Laddakhis should also be included among scheduled tribes. There is only 2 per cent reservation for Laddakhies in the service of the State of Jammu and Kashmir.

It is unfortunate that though Laddakh fulfils all the conditions for being declared as a scheduled area, yet the Fifth Schedule of the constitution under which the President of India can declare any part as a scheduled area, is not applicable to it, because it is a part of the State of Jammu and Kashmir. For this matter, directive may be given to the State authorities to amend constitution of Jammu and Kashmir or the State Government should give their consent so that Union Government may request the President to declare Laddakh as a scheduled area under the Fifth Schedule of the Constitution. The Union Government should consider over this matter and take some steps in this direction so as to make Laddakhies feel that they too are being given equal opportunities to join in mainstream of the country.

Shri V. Tulsiram (Peddapalli) : Only 14 per cent of Scheduled castes and 11 per cent of Scheduled Tribes are literate in our country. This clearly shows that very little has been done in the sphere of education for these classes. Much more vigorous efforts are needed to see that they are properly educated.

Some of my friend have talked about inter-caste marriages but I do not think they will themselves act upon this when they are asked to put this suggestion into practice by arranging inter-caste marriages in their own families. Today the need is that Government should make proper arrangements for their education and give them adequate facilities for this purpose.

Their reservation quota in Government services is hardly fulfilled. Except in class IV posts, where they are in good numbers because other persons are not available, their number so far as class I, II and III posts are concerned, is far below the reserved quota.

If a scheduled caste candidate passes I.A.S. examination and appears before the Service Commission or Selection Committee, for interview, very embarrassing questions are put to him, which is not a good thing. We have seen that the candidates belonging to scheduled caste community have been selected for appointment as General Candidate in competition.

This fact has been recorded in the report that even now if a scheduled caste person is appointed as teacher and posted in a village, he finds it very difficult in gettin gaccommodation simply because he is a scheduled Caste.

Being a member of scheduled castes and scheduled tribes committee I noticed in many cases reservation quota was not filled in and after some time the post was deserved on the froke pretext that suitable persons belonging to scheduled castes and scheduled tribes were not available. Apart from this many cases have come to light that Caste Hindus have acquired fake secheduled caste/tribes certificates and have taken advantage of the concession admissible for scheduled caste/tribes persons. On the basis of such fake certificates some persons have got admission in medical colleges and also got appointments in higher categories in Government services. All such cases should be inquired into and action taken against them.

We have seen that in various Government or public undertakings and Government departments reservation quota have not been filled in. The management does not implement directions of Government of India.

So far as atrocities on harijans are concerned I may mention here that a number of incidents of atrocities against harijans and members of scheduled castes and scheduled tribes have appeared in the Press. In one such case referred to in the report which was occurred in a village near Ghaziabad, a harijan youth was fried and burnt alive to death. Many other such cases have occurred in various parts of Uttar Pradesh and Bihar where ghastly atrocities have been committed on harijans. I demand thorough investigation of all such cases and the persons found guilty of much ghastly acts on harijans must be brought to book. Secondly the distribution of surplus land is only in papers. Actual possession has not been given to those persons so far. In many other cases the land given to the harijans has since been taken away by the caste Hindus. Government must also ensure protection to the lives and property of Harijans and care should be taken to see that such incidents do not occur in future.

Mr. Chairman : The hon. Members may continue his speech tomorrow. Now we shall take up Half-an-hour discussion.

आधे घंटे की चर्चा
HALF-AN-HOUR DISCUSSION

काला हांडी उड़ीसा में चावल मिलों का बन्द होना
CLOSURE OF RICE MILLS IN KALAHANDI, ORISSA

श्री पी० के० देव (काला हांडी) : मैं अपने जिले में चावल मालिकों, स्टाकिस्टों और अन्य एजेन्सियों की घृणित गतिविधियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर

रहे हैं। उड़ीसा राज्य में कालाहांडी जिला चावल की वसूली के मामले में दूसरे स्थान पर है। इस जिले को इस शताब्दी के भीतर दो भीषण अकालों का सामना करना पड़ा है। पहला अकाल 1965 में और दूसरा 1974 में पड़ा था। निःसन्देह राज्य में सूखा पड़ा, लेकिन रुग्ण मिल मालिकों की अविवेकपूर्ण और बेईमान गतिविधियों तथा दोषपूर्ण वसूली नीति के कारण स्थिति और अधिक खराब हुई। ऐसे मिलों पर उड़ीसा सरकार का 1.69 करोड़ रुपया तथा भारतीय खाद्य निगम का 71 लाख रुपया बकाया था, अर्थात् उन पर कुल मिलकार 2.41 करोड़ रुपया था।

कुल मिलाकर 32 धूर्त व्यक्ति पकड़े गये हैं। ये लोग जाने माने मिलावट करने वाले, जमाखोर, चोर बाजारिये और सामाजिक अपराधी हैं। ये लोग कालाहांडी से रायपुर जिले में चावल की तस्करी करते रहे हैं और इन्होंने करोड़ों रुपये कमाये हैं। रायपुर जिला भिलाई का बड़ा औद्योगिक समूह है। अब तक ये लोग सत्ताधारी सरकार के चहेते बने हुए थे। इन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

अब मिलें बन्द पड़ी हैं और खरीदने तथा चावल कूटने का लाइसेंस केवल 5 या 6 मिलों को ही दिया गया है और ये जिले भर में वसूली कार्य पूरा नहीं कर सकते। पिछली फसल में किसानों को सरकारी वसूली दर से भी कम कीमत पर चावल बेचना पड़ा। इन गरीब किसानों के पास भण्डारण का कोई साधन नहीं है। अब जब कि मन्दी का समय है चावल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। सरकार की दोषपूर्ण वसूली नीति के कारण गरीब व्यक्ति चावल नहीं खरीद सकता क्योंकि मूल्य बहुत बढ़ जाते हैं। इस नीति को बदलना चाहिए। यदि गरीब किसान सरकार या सहकारी समितियों का ऋण अदा नहीं कर पाते हैं तो उनके विरुद्ध सरकारी कार्यवाही की जाती है और उनके बर्तन, पशु आदि नीलाम कर दिये जाते हैं जबकि ये बड़े-बड़े मिल मालिक बचे रहते हैं।

उड़ीसा सरकार के नागरिक पूर्ति विभाग के अधिकारियों पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। अतः केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच कार्य अपने हाथों में लेना चाहिए और मिल मालिकों की ओर बकाया पड़ी ढाई करोड़ रुपये की राशि वसूल की जानी चाहिए। यह राशि कालाहांडी जिले की कुछ सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय की जानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि यह राशि खारिआर में, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इन्दिरा चरण-2 परियोजना के लिए आबंटित की जानी चाहिए क्योंकि यहां कोई जलाशय नहीं है। मुझे आशा है इससे प्रयोजन सिद्ध हो जायेगा और जनता सरकार ऐसे भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सफल रहेगी।

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : इन मिल मालिकों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का 2.41 करोड़ रुपया बकाया पड़ा है। इस सम्बन्ध में सरकार को इस की जांच करानी चाहिए। जिसे केन्द्रीय जाच ब्यूरो करे। यह सच है कि ये दोषी मिल मलिक अब इस पार्टी के साथ भी सांठगांठ का प्रयास कर रहे हैं और ये सत्ताधारी दल से ऐसी ही सांठगांठ करते हैं और केन्द्रीय सरकार के प्रशासन तंत्र में अपना सम्पर्क स्थापित कर लेते हैं।

मुझे आशा है मंत्री महोदय परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इसकी जांच करायेंगे और दोषी पाये गये व्यक्तियों को दण्ड देंगे।

श्री गिरधर गोमांगो (कोरापुट) : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। अन्य जिलों में भी अधिक उत्पादन होता है। जहां करोड़ों रुपये का मामला बन जाता है वहां धान खरीदने वाले एजेंट सरकार या भारतीय खाद्य निगम की परवाह नहीं करते हैं और रुपये की अदायगी भी नहीं करते हैं। यह मामला बहुत जटिल हो गया है। क्योंकि इसमें रुपया ही नहीं अन्य कई मामले भी अन्तर्ग्रस्त हैं। सत्ताधारी दल के बदलने के साथ ही ये भी बदल जाते हैं मानो ये धान नहीं खरीदते बल्कि 'दल' को ही खरीदते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

Shri Gananath Pradhan (Sambalpur) : These purchase agents purchase paddy at very throw away or low price from the cultivators and show their stock to the Government that they have procured that much quantity of paddy; on the basis of which they mint huge money. Even in Kalahandi the procurement agents are to pay more than 2 crores of rupees to the Government. If the poor cultivator finds himself unable to repay his loan to the government, he has to face harassment and decree also, but these corrupt sharks always escape. No action is taken against them. They hobnob with the party which so ever becomes in power and exploit the poor cultivators. Government should stop this exploitation of poor cultivators and bring reforms in procurement system and its policy so that cultivators get their due amount.

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : प्रत्येक विपणन मौसम (काल) के लिए मूल्य एवं वसूली सम्बन्धी नीति का निर्णय करते समय भारत सरकार राज्य सरकारों पर यह बात छोड़ देती है कि वे ऐसी वसूली प्रणाली अपनाये जो उन्हें अनुकूल हो। उड़ीसा में उड़ीसा राज्य सरकार एकाधिकार वसूली की प्रणाली अपनाती रही है। इस एकाधिकार वादी वसूली प्रणाली के कारण गैर-सरकारी व्यापारी बाजार के अन्दर ही नहीं आ सकता। केवल खरीद एवं कुट्टन एजेंट ही वसूली एजेंटों की ओर से धान की वसूली कर सकते हैं। उड़ीसा में मुख्यतः राज्य सरकार और कभी-कभी भारतीय खाद्य निगम ही वसूली एजेंट होते हैं। किन्तु भारतीय खाद्य निगम ने 1974-75 से यह काम करना बन्द कर दिया है क्योंकि यह प्रणाली कारगर नहीं बताई गई है। सरकार ने उड़ीसा राज्य सरकार को इस प्रणाली में परिवर्तन करने और कुट्टन प्रशुल्क लगाने के लिए लिखा है।

इन खरीद एवं कुट्टन एजेंटों ने बाजार में आने वाले सारे धान की वसूली कर ली है। उन्हें वसूली एजेंटों से धान के बदले में 70 से 90 प्रतिशत अग्रिम राशि मिल जाती है। धान की कुटाई के बाद उन्हें वसूली एजेंटों द्वारा निर्धारित दर पर चावल देना होता है। वे दो तरफ काम कर रहे हैं। कुछ लोग वसूली एजेन्टों को चावल न देकर उसे बाजार में बेच रहे हैं या वे चावल भी दूसरे राज्यों में तस्करी की नीयत से सीमावर्ती जिलों में चावल ले जाते हैं। अतः वे चावल की पूरी मात्रा वसूली एजेन्टों को नहीं देते हैं। कभी-कभी तो वे अग्रिम राशि को भी वापस नहीं करते हैं। इसीलिए ऐसी 32 पार्टियों की ओर अत्यधिक राशि बकाया है।

श्री उग्र सैन : कुल कितनी बकाया राशि है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : 1.69 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर और 71.71 लाख रुपये भारतीय खाद्य निगम की ओर बकाया है। यह राशि कई वर्षों से बकाया चली आ रही है। भारतीय खाद्य निगम ने समझौते की शर्तों के अनुसार 24 पक्षकारों (पार्टियों) के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है इनमें मुकदमें भी लगा दिए गए हैं। हमने राज्य सरकार से यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। लेकिन हमें अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। हमें इतना ही बताया गया है कि धन-राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।

उड़ीसा सरकार की ओर अत्यधिक बकाया राशि है और उन्हें यह पूरा अधिकार है कि वे जैसे भी हो मामले को निपटा सकते हैं।

श्री पी० के० देव : पूरी राशि वसूल की जानी चाहिए और एकाधिकर वादी वसूली बन्द की जानी चाहिए।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हमने उन्हें यही सलाह दी है।

Shri Ugrasen : Have you attached the properties of those who are to pay the amount due to them.

Shri Surjit Singh Barnala : It is the function of the State Government.

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार 3 अगस्त, 1977/12 श्रावण, 1899 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 3, 1977/Sravana 12, 1899 (Saka)

MGIPRRND—IV(D)—12 LSS/77—6-12-77—200